तृतीय माला, खण्ड १२—अंक २८

मंगलवार, २२ जनवरी, १९६३
२ माघ, १८८४ (शक)

# लोक-सभा
# वाद-विवाद

(तीसरा सत्र—द्वितीय भाग)

3rd Lok Sabha

( खण्ड १२ में अंक २७ से अंक ३१ तक हैं )

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

# विषय सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर—** | |
| तारांकित प्रश्न* संख्या ४०० से ४०९, ४११ और ४१२ | १३१—५३ |
| अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ और १७ | १५४—५७ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर—** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या ४१० और ४१३ से ४२९ | १५७—६६ |
| अतारांकित प्रश्न संख्या ९२२ से ९९३ | १६६—२०० |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | २०१—०४ |
| **लोक लेखा समिति—** | २०४ |
| पांचवां प्रतिवेदन | |
| **प्राक्कलन समिति—** | २०४ |
| पांचवां प्रतिवेदन | |
| **कार्य मंत्रणा समिति—** | २०५ |
| ग्यारहवां प्रतिवेतन | |
| **चीनी नक्शों के बारे में** | २०५–०६ |
| **संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक —** | २०६–३२ |
| संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव | |
| श्री अ० कु० सेन | २०६—०८ |
| श्री हरि विष्णु कामत | २०८—१० |
| श्री र० ना० रेड्डी | २१०—१२ |
| श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी | २१२–१३ |
| श्री दी० चं० शर्मा | २१३–१४ |
| श्री श्रीनारायण दास | २१५ |
| श्री बड़े | २१५—१८ |
| श्री मनोहरन् | २१८—१९ |
| श्री च० का० भट्टाचार्य | २१९–२० |
| श्री कृ० चं० शर्मा | २२०–२१ |
| श्री स्वैल | २२१–२२ |
| श्री त्यागी | २२२–२३ |


*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

# लोक-सभा वाद-विवाद

मंगलवार, २२ जनवरी, १९६३

२ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे । श्री हरिश्चन्द्र माथुर ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : प्रश्न संख्या ४०० ।

**श्री भक्त दर्शन** : इसके साथ ही प्रश्न संख्या ४१९ भी ले लिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि वे मिलाये जा सकते हैं और आसानी से उनका उत्तर दिया जा सकता है तो मुझे उन्ह एक साथ लेने में कोई आपत्ति नहीं है ।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : हम उन्हें एक साथ ले सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या श्री रामेश्वर टांटिया सभा में उपस्थित हैं ?

†**एक माननीय सदस्य** : जी नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तब प्रश्न संख्या ४१९ अभी नहीं लिया जा सकता । केवल प्रश्न संख्या ४०० का ही उत्तर दिया जाये ।

**पंचायती राज संस्थायें**

+

†*४००. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** :
**श्री भक्त दर्शन** :
**श्री बाल्मीकी** : }

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार तथा किस सीमा तक आपातकाल से निबटने के लिये तथा युद्ध प्रयत्नों को बढ़ाने के लिये कटिबद्ध किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में



2563 (Ai) LSD—1

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : ग्रामीण क्षेत्रों में मानदीय तथा भौतिक संसाधनों के सम्पूर्ण संचालन के लिये मंत्रालय ने सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकारी संगठनों की देशव्यापी शाखाओं के जरिये प्रत्येक गांव में एक ग्राम स्वयंसेवक दल बनाने की योजना बनाई है। ग्राम स्वयंसेवक दल का, जिसमें गांव के सभी समर्थ वयस्क होंगे, उत्पादन, सार्वजनिक शिक्षा तथा ग्राम रक्षा का तीनसूत्री कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को तैयार करने, चलाने और समन्वय का उत्तरदायित्व पंचायत राज संस्थाओं पर होगा। २६ जनवरी को इस योजना का सूत्रपात प्रधान मंत्री करेंगे। योजना की प्रतिलिपियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या यही कार्यक्रम आसाम से केरल तक बनाया गया है? क्या आसाम से केरल तक कार्यक्रम का समान रूप है या उसमें कोई परिवर्तन हैं? यदि परिवर्तन हैं, तो वे क्या हैं और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या तैयारियां की गई हैं?

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : योजना को भारत के प्रत्येक राज्य में स्वीकार किया गया है। इसकी कार्यान्विति पर बल देने में यहां तहां थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : श्रीमान् मेरे प्रश्न के केवल आधे भाग का उत्तर दिया गया है। मैं जानना चाहता था कि परिवर्तन क्या हैं और कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये क्या तैयारियां की गई हैं। मेरे प्रश्न के दूसरे भाग को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है।

†**श्री ब० सू० मूर्ति** : 'बल' से मेरा अभिप्राय यह था। कुछ राज्यों में गांव के सरपंच को दलपति माना जाता है जबकि दूसरे राज्यों में पंचायत दलपति को मनोनीत करती है। यह एक मामली बात है। जहां तक स्वयंसेवक दल का संबंध है, जहां तक कार्यान्विति का संबंध है, प्रत्येक गांव को अपना स्वयं सेवक दल बनाने पर तैयाप किया जा रहा है। योजना इस महीने की २६ तारीख को चालू होगी जब प्रधान मंत्री कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्राम स्वयंसेवक दल तथा प्रतिरक्षा श्रमिक बैंक की अनुमानित संख्या क्या होगी और इनसे किस प्रकार के वास्तविक काम की आशा की जाती है?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : हमारा चरम उद्देश्य यह है कि प्रत्येक ग्रामीण वयस्क को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, ग्राम स्वयंसेवक दल का सदस्य बनाया जाये। इस समय यह अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि उनमें से कितने प्रतिशत को वास्तव में सदस्य बनाया जायेगा। जहां तक प्रतिरक्षा श्रमिक बैंक का प्रश्न है, यदि गांवों के बेकार लोगों से पूरी तरह काम लिया जाये तो हमें ३०० करोड़ रुपये तक की आय हो सकती है। परन्तु यह भी पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि देश में कैसा नेतृत्व है और हम कहां तक संचालन कर सकते हैं।

**श्री भक्त दर्शन** : क्या माननीय मंत्री और उनके मंत्रालय ने इस बात पर विचार किया है कि पंचायतों की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है और वे किस प्रकार से यह युनिफार्म्स वगैरह दे सकगीं? क्या इस बात पर भी विचार किया गया है कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारें पंचायतों को कुछ राहायता करे?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सु० कु० डे** : गांव के बेकार मजदूर ही एक मात्र ऐसा संसाधन उपलब्ध है जिसे पंचायतें लाभपूर्वक योग में ला सकती हैं और यही उद्देश्य है जिससे यह नई योजना पूरा करना चाहती है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या मैं जान सकता हूं कि ग्राम स्वयंसेवक दल को कैसे प्रशिक्षित किया जायेगा ? उस दल के कर्तव्य क्या हैं ?

†**श्री सु० कु० डे** : जैसा कि प्रश्न के उत्तर में पहले बताया गया है, यह एक तीनसूत्री कार्यक्रम होगा । पहला चाक होगा उत्पादन पर पूरा जोर देना जिसमें कृषि तथा अन्य संबद्ध विषय होंगे । दूसरा मुख्य काम प्रजातन्त्र पर राष्ट्रीय आपत का प्रभाव और उससे संबद्ध मामलों को देखना होगा । गांव की रक्षा तीसरा काम होगा जिसका चरम लक्ष्य राष्ट्रीय प्रतिरक्षा को तैयारी है ।

**श्री भक्त दर्शन** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या सरकार ने इस योजना को शुरू करने और उसकी कार्यान्विति पर होने वाली लागत का अनुमान लगा लिया है और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री सु० कु० डे०** : माननीय सदस्य को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि यही एकमात्र ऐसी योजना है जिस पर वस्तुत : कोई लागत नहीं आयेगी क्योंकि वर्तमान संगठन को पूरी तरह काम में लाया जायेगा ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्यों में यह योजना चालू हो गई है ?

†**श्री सु० कु० डे**: : २६ जनवरी को प्रात : ९ बजे सभी राज्यों में योजना के उद्घाटन किये जाने की संभावना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : अभी तक हम हवा में ही हैं । हमें कोई भी जानकार नहीं मिल पाई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्नों का सारा समय इसी पर बिता दिया जाय तबभी नतीजा यही रहेगा ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : तब मैं संतुष्ट हूं ।

## सरकारी समितियों द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार

***४०१. श्री द० ब० राजू** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती और तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखने के लिये वर्तमान राष्ट्रीय आपातकाल में सहकारी समितियों के द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) केन्द्र द्वारा तैयार की गई उपभोक्ता सहकारी समितियों की योजना के अन्तर्गत जो थोक भंडार संगठित किए गए हैं वे जरूरत पड़ने पर अपनी आवश्यकताओं की खरीद थोक में करने के लिए अपने ही राज्य के भीतर और अन्तरर्राज्य स्तर पर विपणन और विधायन सहकारी समितियों के साथ सीधे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करेंगे ।

(ख) चूंकि थोक भंडार अभी-अभी चालू किए जा रहे हैं अतः ठीक ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।

†**श्री द० ब० राजू** : क्या वर्तमान राष्ट्रीय आपातकाल में मूल्य-स्तर पर नियंत्रण रखने के लिये सहकारी समितियों को अपनी आवश्यकता की वस्तुयें खुले बाजार से खरीदने की आज्ञा है? यदि हां, तो क्या सहकारी समितियां आय-कर से मुक्त हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : जिन थोक समितियों की स्थापना की जायेगी उन्हें, जहां तक आवश्यक होगा, खुले बाजार से खरीदने की अनुमति होगी। वे यथासंभव परिष्करण और विपणन सहकारी समितियों का संरक्षण भी करेंगी ।

†**श्री रा० गि० दुबे** : क्या मैं जान सकता हूं कि मूल्य स्तर पर नियंत्रण रखने के लिये विभिन्न राज्यों में कितनी सहकारी थोक समितियां चालू की गई हैं ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक २०० थोक समितियां स्थापित की जानी हैं; इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक ७० थोक समितियां स्थापित होनी हैं। इन ७० समितियों में से दस मद्रास, राजस्थान और देहली में स्थापित हो चुकी हैं तथा अन्य २६ जनवरी को चालू होंगी।

**श्री तुलशी दास जाधव** : यह जो कोआपरेटिव स्टोर्स खुल २ हैं उन से जो माल बेचा जाता है वही माल जब प्राइवेट ओनर्स बेचते हैं तो वह सस्ता बचते हैं और चूंकि वहां माल सस्ता मिलता है इसलिए ग्राहक उधर चले जाते हैं और कोआपरेटिव स्टोर्स में नुकसान होता है और उस के कारण वे बंद होते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या गवनमेंट इन कोआपरेटिव स्टोर्स को कुछ ऐसे आर्टिकिल्स देने वाली है जो कि बाहर प्राइवेट में न मिलें ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : ये होलसेल स्टोर्ज और कन्ज्यूमर्ज स्टोर्ज इस लिए नहीं खोले जा रहे हैं कि माल सस्ता हो । असल में उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अच्छा माल, अनएडलट्रेटिड माल, फ़ेयर प्राइस पर मिल सके। इस के अलावा जो ड्रग्ज गवर्नमेंट कंट्रोल में हैं, उन के संबंध में गवर्नमेंट से बात चीत हो चुकी है । कपड़े के बारे में टैक्स्टाइल कमिश्नर से बातचीत चल रही है। इसी तरह आयल के बारे में इंडियन आयल कम्पनी से बातचीत की जा रही है। ये चीज़ें इन होलसेल स्टोर्ज से मिलेंगे, जिस से कीमत कुछ फ़ेयर होगी और अच्छी चीज़ें मिल सकेंगी ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या मैं जान सकता हूं कि इन थोक सहकारी स्टोरों की शाखायें होंगी या वे सहकारी समितियों को उपभोक्ता वस्तुओं का संभरण करेंगे, अथवा वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध अन्य कृषि उत्पादों को भी खरीद देंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामधर मिश्र** : मुख्यत : तो वे उपभोक्ता वस्तुओं का ही संभरण करेंगे । जहां तक उपभोकता वस्तुओं की आवश्यकता है, व उन्हें उत्पादक समितियों से खरीद सकते हैं ।

**श्री विश्राम प्रसाद** : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो डेफिसिट एरियाज हैं, जैसे की पूर्वी उत्तर प्रदेश हैं, वहां पर प्राइसिस को बढ़ने से रोकने के लिये क्या विचार किया जा रहा है ?

**श्री श्यामधर मिश्र** : इन होलसेल स्टोर्ज़ का ताल्लुक डेफ़िसिट एरियाज़ या नान-डेफ़िसिट एरियाज़ से कतई नहीं है । ये तो सप्लाई सोसायटीज़ होंगी, जो कि सामान प्रोक्योर करेंगे, जो कि सामान को डेफ़िसिट एरियाज़ में पहुंचायेंगी उन जगहों से, जो कि नान-डेफ़िसिट एरियाज़ हैं, जहां सामान बनते हैं । मिसाल के तौर पर हो सकता है कि कल लिवर ब्रदर्ज़, बम्बई, से सामान लेना पड़े दिल्ली के लिए । हो सकता है कि आनन्द सोसायटी से बटर लेना पड़े राजस्थान के लिए । इस लिए इस बारे में डेफ़िसिट और नान-डेफ़िसिट एरियाज़ का प्रश्न नहीं उठता है ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : गैर-सरकारी व्यापारियों की तुलना में सहकारी संस्थाओं को व्यापार में और अधिक वरीयता देने के बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**श्री श्यामधर मिश्र** : सहकारी संस्थाओं को इसी दृष्टि से वरीयता दी जा रही है । वे उचित मूल्यों पर वस्तुओं का संभरण कर सकती हैं तथा उनकी वस्तुयें विशुद्ध होती हैं । मूल्यों में शायद बहुत अधिक अन्तर न हो । जहां तक सरकारी सहायता का सम्बन्ध है, योजना में पहले से ही कई प्रकार की सहायता का उल्लेख है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न । क्या प्रश्न संख्या ४१३ का भी इसी के साथ उत्तर दिया जा सकता है ?

†**एक माननीय सदस्य** : वह इससे कुछ भिन्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है; उसका उत्तर अलग से दिया जाये ।

**पाकिस्तानी नाविकों और संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के बीच समझौता**

\+

†*४०२ { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विशनचन्द्र सेठ : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी नाविकों और संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के बीच हुए समझौते से भारतीय कर्मचारियों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या कलकत्ता संस्थापनों के ६००० कर्मचारियों ने भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन दिया है;

(ग) उनकी कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या चार पक्षीय समिति में उनका भी कोई प्रतिनिधि शामिल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). मांगी गई जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ७०४/६३**]

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण से मालूम पड़ता है कि संघ द्वारा भेजे गये ज्ञापन में एक मांग यह थी कि पाकिस्तानी और भारतीय दोनों नाविकों की विशिष्ट मांगों का निर्णय करने वाली समिति में संघ का एक प्रतिनिधि लिया जाये। अब जब कि संयुक्त स्टीमर कम्पनी ने भारत सरकार से इस में सम्मिलित होने की प्रार्थना की है और समिति अभी तक नहीं बनाई गई है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उनका प्रतिनिधि इस में शामिल किया जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर** : क्योंकि इस बात का सम्बन्ध केवल पाकिस्तानी नाविकों से ही है, इसलिये यही उचित समझा गया कि इस समिति में भारतीय नाविकों का प्रतिनिधि नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक समिति को गठित करने का सम्बन्ध है, पाकिस्तान सरकार ने इस समिति में अपने मनोनीत सदस्य या प्रतिनिधि का नाम अभी तक नहीं भेजा है। उनके ऐसा करने पर भारत सरकार भी वैसा ही करेगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मैं जान सकता हूं कि इससे पहले भी पाकिस्तानी नाविकों ने कई बार काम बन्द करने की धमकी दी थी और यदि हां, तो सरकार ने समस्त सेवा का भारतीयकरण करने के लिये क्या ठोस उपाय किये हैं ? क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार सारी सेवा का भारतीयकरण करने की ओर अग्रसर हो रही है ?

†**श्री राज बहादुर** : यह सच है कि हम समय-समय पर काफी कठिनाई का सामना करते रहे हैं। इसी कारण हमें एक निर्बाध सेवा का प्रबन्ध करना है और उसके लिये हम ने संयुक्त स्टीमर कम्पनियों को काम करने की अनुमति दी है। जहां तक हो सकता था, हम ने उनकी सहायता की। हम ने यह देखने का भी प्रयास किया है कि पाकिस्तानी नाविक भी सर्वोत्तम काम करें। साथ ही हम चाहते हैं कि इन सेवाओं का अधिकाधक भारतीयकरण होना चाहिये और चालकवृन्द भी भारतीय हो। इस के लिये हमें ब्रह्मपुत्र में, जिसका कि हम आज तक सभी प्रकार के प्रयोजनों के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय जल मार्ग के रूप में प्रयोग करते आये हैं, नौपरिवहन का स्वच्छन्द अधिकार प्राप्त होना चाहिये। अतः इसको इसी तरह से प्रयोग किये जाने की हमारी इच्छा है परन्तु हम साथ ही साथ परिवहन की वैकल्पिक रीतियों का भी विकास कर रहे हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : पटल पर रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि समझौते की मद संख्या ९ के अनुसार पाकिस्तानी कर्मचारियों को ऐसा संघ बनाने की अनुमति दी गई है जो कि भारत में पंजीबद्ध हो, जिसमें केवल पाकिस्तानी कर्मचारी ही हों, जिसके पदाधिकारी केवल पाकिस्तानी राष्ट्रीयता के हों तथा जिसके कानूनी और अन्य मंत्रणाकार पाकिस्तान में हों। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह उपबन्ध देश के वर्तमान श्रम विधान के प्रतिकूल नहीं है और क्या सरकार ने ऐसे उपबन्ध को अपनी पूर्व स्वीकृति दे दी थी ?

†**श्री राज बहादुर** : समझौते के ज्ञापन की एक प्रतिलिपि मेरे पास है और मद संख्या ९(१) में लिखा है . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : कानूनी राय के बारे में माननीय मंत्री को उत्तर देने की जरूरत नहीं है। वह प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें कि क्या सरकार ने अनुमोदन कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर** : मैं केवल वास्तविक स्थिति के बारे में उत्तर दे रहा हूं । उसके विषय में मद संख्या ९(१) में इस प्रकार लिखा हुआ है :—

"कम्पनियां पाकिस्तान में स्थित या पंजीबद्ध किसी संघ को मान्यता नहीं दे सकतीं ।"

इसी प्रकार पटल पर रखे गये विवरण के अन्तिम वाक्य में लिखा है :—

"जहां तक पाकिस्तानी कर्मचारियों के किसी संघ की मान्यता का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में किसी ऐसे संघ को मान्यता नहीं दी गई है ।"

अतः प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

†**श्री इन्द्रजीत गप्त** : मैं ने यह प्रश्न नहीं पूछा था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कानूनी राय के बारे में पूछ रहे थे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं कानूनी राय के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते थे कि क्या यह वर्तमान श्रम विधान के प्रतिकूल है । उस प्रश्न का अब उत्तर नहीं दिया जा सकता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं केवल दूसरे भाग के बारे में कह रहा हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इसका अनुमोदन किया था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केवल पाकिस्तानी नाविकों का भारत में पंजीबद्ध संघ के बनाये जाने की अनुमति दे दी है ?

†**श्री राज बहादुर** : भारत सरकार द्वारा अनुमोदन किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता । हम किसी संघ के गठन की अनुमति नहीं देते । ऐसे अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है । परन्तु जब कोई संघ बनाया जाता है तो विधि का संचालन करने वाले सम्बन्धित प्राधिकारी सारे मामले की छानबीन करते हैं और देखते हैं कि क्या विधि के अधीन वे अनुमति योग्य हैं या नहीं । अनुमति योग्य होने पर ही संघ बनाया जा सकता है । हमारे अनुमोदन का तो प्रश्न ही नहीं है । हम ने किसी ऐसी चीज का अनुमोदन नहीं किया है ।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम के साथ जो हमारी लाइफ-लाइन है, उसके तहफ्फुज की गारंटी का भी ख्याल रखा गया है ?

**श्री राज बहादुर** : पता नहीं, इसका क्या जवाब दिया जाये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पूछा गया प्रश्न बड़ा स्पष्ट है । समझौते को दर्शाने वाला विवरण बड़ा स्पष्ट है । उस में यह कहा गया है कि संघ को मान्यता दी जायेगी । उस में इस प्रकार लिखा है :—

"कम्पनियां अपने पाकिस्तानी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तथा केवल पाकिस्तानी राष्ट्रीयता के पदाधिकारियों वाले संघ को मान्यता प्रदान करने को तैयार हैं यदि यह संघ कलकत्ता में पंजीबद्ध हो, उसका गठन उचित ढंग से हुआ हो और वह कम्पनियों के पाकिस्तानी कर्मचारियों की संगत संख्या का प्रतिनिधित्व करता हो ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर सोचा है कि केवल पाकिस्तानी नाविकों का एक संघ कलकत्ता में पंजीबद्ध होना है ? यह कैसे हो सकता है ? इसे कैसे मान्यता दी जा सकती है ?

†**श्री राज बहादुर** : मुझे इस बारे में कोई सन्देह नहीं है कि सम्बन्धित प्राधिकारी स्थिति के इस विशेष पहलू का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे । अब जब कि आप ने मुझे पहले से ही चेतावनी दे दी है, मैं इस समय सारी चीज के कानूनी पहलू को नहीं ले सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका अनुमोदन कर दिया है ?

†**श्री राज बहादुर** : पश्चिम बंगाल सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वे कानूनी स्थिति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं । वे इस उपबन्ध के बारे में पूछ रहे हैं कि वे ऐसे संघ के बनाये जाने की अनुमति देंगे . . .

†**श्री दाजी** : और मान्यता दी गई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : . . . . और इसे मान्यता दी जायेगी जबकि इसमें केवल पाकिस्तानी ही हैं और इसे कलकत्ता में पंजीबद्ध कराया जा सकता है । विवरण में यही दिया हुआ है ।

†**श्री राज बहादुर** : इस विशेष उपबन्ध का आवश्यक भाग यह है कि संघ को कलकत्ता में पंजीबद्ध कराया जाना है । संघ विशेष का पंजीयन प्राधिकार द्वारा अनुमोदन किये बिना पंजीयन नहीं हो सकता । तब तक न तो पंजीयन हो सकता है और न ही पंजीयन प्राधिकार उसकी अनुमति दे सकता है जब तक कि वह विधि के अनुरूप न हो । विधि की विवेचना कैसे की जायेगी, इसमें न जाने के बारे में आपने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी है । मेरे विचार में इसे इस प्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जा सकता ।

## रेलों में तोड़ फोड़ के मामले

†*४०३. **श्री महेश्वर नायक** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में आपातकाल की घोषणा के बाद रेलवे परिवहन व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने के उद्देश्य से, विशेषकर सामरिक महत्व के क्षत्रों में, तोड़ फोड़ के कुछ मामले हुये हैं ;

(ख) अब तक ऐसी कितनी घटनायें हुई हैं ; और

(ग) क्या रेलवे प्रशासन ने रेलवे व्यवस्था की सुरक्षा के लिये सावधानी के उपायों को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). अभी तक ऐसी तोड़फोड़ का कोई मामला प्रमाणित नहीं हुआ है ?

(ग) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि, जैसा कि कुछ समाचारपत्रों में आया है, उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण में रेलवे लाइनों पर बड़े बड़े पत्थरों से रुकावट डालकर नेफा क्षेत्र में युद्ध सामग्री भेजने में बाधा डालने का कोई मामला हुआ है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे लाइन में गड़बड़ करने के कुछ मामले हुये हैं। हम यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि वे तोड़फोड़ के मामले थे। आपातकाल में जब मैं उस क्षेत्र में गया तो किसी व्यक्ति द्वारा लाइन पर लोहे का स्लीपर रखने की एक घटना हुई थी। बाद में पता चला कि वह नशें में था और वह स्वयं भी ऐसा करते हुये गाड़ी के नीचे कुचला गया।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रेलवे प्रशासन नेफा क्षेत्र में ऐसी घटनाओं को पुनः होने से रोकने के लिये कोई उपाय कर रहा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जी हां। हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं। पटरियों पर गश्त लगा कर और आसपास के गांवों में सिखावटी प्रचार करके हम तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को रोकने के लिये पूर्वोपाय कर रहेहैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई शराब पीता है तो मंत्री महोदय कैसे कहेंगे कि वह नशे में था ?

†**श्री हेम बरुआ** : पिछले एक अवसर पर रेलवे प्रशासन ने मुझे आपातकाल में आसाम में हुये ऐसे तीन मामलों के बारे में बताने की कृपा की थी जिनमें लोगों ने सैनिकों को ले जाने वाली गाड़ियों की तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अब तक इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यदि हां, तो क्या उनसे ऐसा करने में किसी राजनैतिक उद्देश्य का पता चला है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैंने कहा हम तोड़फोड़ का कोई मामला प्रमाणित नहीं कर पाये हैं और न ही उन्हें गिरफ्तार कर सके हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : तोड़फोड़ की कार्यवाहियां नहीं, बल्कि ऐसा करने के प्रयत्न किये गये थे। मुझे ऐसी ही सूचना मिली है।

†**श्री शाहनवाज खां** : अभी तक कोई गिरफ्तारीयां नहीं की गई हैं।

**श्री कछवाय** : क्या असम में कुछ तोड़फोड़ की घटनायें रेलवे में हुई हैं और यदि हां तो पिछले छः महीनों में कितनी हुई हैं ?

**श्री शाहनवाज खां** : मैंने अर्ज किया है कि कुछ ऐसे वाकात तो हुए हैं जहां रेलवे की पटरी पर कोई पत्थर रखा गया या कोई लोहे का स्लीपर रखने की कोशिश की गई लेकिन वे बाकायदा सैबोटाज थे, यह साबित नहीं हो सका और न ही हम किसी को गिरफ्तार कर सके।

†**श्री सोनावने** : ग्रामीणों और विशेषतः ग्राम पंचायतों का सहयोग प्राप्त करने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या ठोस उपाय किये हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : हम राज्य सरकारों तथा स्थानीय पुलिस द्वारा ग्रामीणों का सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा कर रहेहैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या सरकार रेलवे लाइनों के दोनों ओर, लगभग दो-दो मील तक, लोगों को बसाने का विचार रखती है ताकि इससे सुरक्षा उपायों में सहायता मिले ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मुझे खेद है कि मैं इसका उत्तर नहीं दे सकूंगा ।

## आसाम में सड़कें और पुल

†*४०४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आसाम के संसद्-सदस्यों ने सरकार को एक अभ्यावेदन दिया था, जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि आसाम क्षेत्र में विशेषतः आसाम को भारत से मिलाने वाले क्षेत्र में, सड़कों और पुलों की संख्या में वृद्धि की जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की ओर से इस संबंध में प्रतिक्रिया हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री ( श्री राज बहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभ्यावदन में दिये गये बहुत से सुझावों को आसाम में राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करने के आपत्तिकालीन कार्यक्रम में पहिले ही सम्मिलित कर लिया गया हैं और विकास कार्यों को शीघ्रतापूर्वक समाप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : भारत से आसाम को मिलाने वाली सीधी सड़क कब तक बना दी जायेगी और इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है अथवा नहीं।

†**श्री राज बहादुर** : मैंने बताया है कि हमने आपातकाल की पृष्ठभूमि के संदर्भ में आने वाली आवश्यकताओं सहित सभी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। हमने उचित कदम उठाये हैं। इससे आगे मैं अधिक कुछ नहीं कह सकूंगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या मैं जान सकता हूं कि आसाम को वस्तु परिवहन में पाकिस्तानी जलमार्ग के उपयोग का त्याग करने के लिए, सरकार से परामर्श लेकर, एक नौपरिवहन योग्य नहर बनाने का प्रस्ताव है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी से मिलायेगी?

†**श्री राज बहादुर** : इस समय यह प्रस्ताव सक्रिय रूप में सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

†**श्री बासुमतारी** : क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय सड़क राजमार्ग उस क्षेत्र से होकर जाता हैं जहां से पाकिस्तान की सीमा केवल २½ मील दूर हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने असाम के संसद् सदस्यों के उस अभ्यावेदन पर विचार किया हैं जिसमें वर्तमान बदले हुए राजमार्ग से छता हुआ जमद्वार से बिजनी तक एक दूसरा सड़क राजमार्ग बनाने का सुझाव दिया गया है; यदि हाँ, तो इस सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राज बहादुर :** हमने इन सब बातों पर पूर्ण रूप से विचार करके स्थिति की जांच की है और कुछ निश्चय किए हैं जिनको इस समय बताना उचित नहीं होगा।

**श्री विभूति मिश्र :** क्या सरकार के पास कोई ऐसी स्कीम है कि असम से ले करके और लद्दाख तक जितनी भी यह हमारी उत्तरी सीमा है, उस सब पर नैशनल हाइवेज बनाये जायें जैसे चीन ने बनाई हैं?

**श्री राज बहादुर :** जो हमारे राष्ट्रीय मार्ग हैं, नैशनल हाइवेज हैं, वे इस प्रकार हैं कि असम से उत्तरी बंगाल, उत्तरी बंगाल से बंगाल में, बंगाल से बिहार में और बिहार से उत्तर प्रदेश, पंजाब में आते हैं और इस तरह से काश्मीर तक पहुंच जाते हैं।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच है कि ब्रह्मपुत्र पुल तैयार है किन्तु केवल एक "स्लैब" की कमी के कारण पुल सड़क परिवहन द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है; यदि हां तो ऐसा कितनी देर से है?

†**श्री राज बहादुर :** एक विशेष प्रकार के पुल की 'गर्डर' का प्रबन्ध करने में लगभग दो तीन मास की देरी हुई थी। अब वह दे दी गई है और मेरा विचार है कि पुल शीघ्र ही खुल जायेगा।

†**श्री रंगा :** क्या माननीय मंत्री के लिए सड़क परिवहन के विकास के सम्बन्ध में आसाम के संसद्-सदस्यों से परामर्श लेना सम्भव नहीं होगा?

†**श्री राज बहादुर :** अवश्य श्रीमान्।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम को शेष भारत से मिलान वाले मार्ग अल्प हैं, सरकार का शीघ्र ही क्या कदम उठाने का विचार है ताकि आपातकाल में आसाम शेष भारत से अलग न हो जाये?

†**श्री राज बहादुर :** हमने अपने संचार साधनों को मजबूत करने के लिए आवश्यक पुलों का उपबन्ध करने तथा वर्तमान पुलों को दृढ़ करने के लिए विशेष कदम उठाये हैं। यह सब कार्य अत्यन्त शीघ्रतापूर्वक किया जा रहा है।

### गेहूं, चावल तथा चीनी के लिये पण्य बोर्ड

+

†*४०५. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री बिशन चन्द्र सेठ :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, गहूं, चावल तथा चीनी के लिये पण्य बोर्ड विदशों में ऐसे ही प्रविधिक निकायों की शैली के अनुरूप, स्थापित करने का प्रस्ताव है जो देश में संबंधित वस्तुओं के संबंध में थोक-व्यापारियों को लाइसेंस देने और विपणन प्रणालियों तथा मंडी के प्रभारों के विनिमय का काम करेंगे; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या पग उठाये गये हैं?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे)**: (क) और (ख). देश की वर्तमान अवस्थाओं को दृष्टिकोण में रखकर एक कृषि पण्यादार्थ बोर्ड[1] तथा एक चीनी विपणन बोर्ड[2] की स्थापना के लिए सुझाव सोचे जा रहे हैं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: क्या मैं जान सकता हूं कि इन बोर्डों की स्थापना अखिल भारतीय आधार पर होगी अथवा विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न प्रकार के बोर्ड होंगे ।

†**श्री शिन्दे**: सुझाव विचाराधीन हैं। अभी तक कुछ अन्तिम निर्णय नहीं हुआ किन्तु सरकार की कार्य-प्रणाली के अनुसार अखिल भारतीय बोर्ड होंगे और कुछ राज्यों में राज्य बोर्ड भी होंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा**: इन बोर्डों का प्रतिरूप क्या है और किन आधारों पर इन की स्थापना की जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० क० थामस)**: बोर्ड मुख्यरूप से थोक मूल्यों तथा व्यापार की गतिविधि का नियमन करने के लिए है; यह वास्तविक नियंत्रण से कहीं अधिक व्यापार का नियमन करेगा । कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे दशों में यह बोर्ड मुख्यरूप से निर्यात प्रयोजनों तथा स्वदेशी उत्पादकों को न्यूनतम सहायक मूल्यों की प्रत्याभूति देने के लिए हैं, किन्तु भारत में इन बोर्डों की स्थापनों जिन आधारों पर होगी वह कुछ भिन्न हैं । मुख्य रूप से यह थोक तथा फुटकर मूल्यों का नियमन करगे तथा विपणन प्रणालियों का भी नियमन करेंगे और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए व्यापार की गति में भी सहायता करेंगे ।

†**डा० पं०श।० देशमुख**: क्योंकि बोर्ड द्वारा किए गए किन्हीं भी निश्चयों तथा सिफ़ारिशों का किसानों पर असर पड़ने की संभावना है, किसानों के प्रतिनिधियों का इन बोर्डों में भाग लेने के लिए क्या विचार है ?

†**श्री अ० क० थामस**: विस्तृत विवरण अभी तैयार करने हैं । योजना के एक खाके पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी, खाद्य तथा कृषि मंत्री, द्वारा विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया गया । यह अभी विचार स्थिति में ही है और राज्य सरकारों की अन्तिम प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है ।

**श्री विभूति मिश्र**: मैं जानना चाहता हूं कि बोर्ड बनने के बाद जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनका क्या स्थान रहेगा ।

**खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: बोर्ड इस लिये नहीं बन रहा है कि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं वे वहां से हट जायें । वह केवल रेगुलेशन के लिये हैं ।

**श्री अचल सिंह**: क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि इस किस्म के रेगुलेशन की वजह से भारत के व्यापारियों में काफी बेचैनी है ?

**श्री स० का० पाटिल**: आज कुछ काम चल रहा है लेकिन उस को गवर्नमेंट कर रही है इसलिये बोर्ड बनने से इसमें कुछ फर्क होने वाला नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Agricultural Commodities Board.

[2]Sugar marketing Board.

†श्री सोनावाने : सभा-सचिव के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि इन बोर्डों की स्थापना व्यापारिक फसलों को तथा उनके मूल्य निर्धारण में सहायता करेगी । क्या खाद्यान्नों के लिए उचित तथा लाभकारी न्यूनतम मूल्य प्राप्त करने के हेतु एक ऐसी मण्डली बनाने का कोई सुझाव है ?

†श्री अ० म० थामस : कृषि पण्य बोर्ड मुख्य रूप से खाद्यान्न व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए हैं । व्यापारिक फ़सली एवं अन्य वस्तुओं के लिए दूसरी पण्य समितियां है । चीनी विपणन बोर्ड के विषय में भी एक प्रश्न पूछा गया है । यह मुख्य रूप से एक विपणन निकाय होगा ।

## रेलवे वर्कशापों में चोरियां

+

†*४०६. { श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री बाल गोविन्द वर्मा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हमारी बहुत सी रेलवे वर्कशापों में हुई सामान की चोरियों से अवगत है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या है ; और

(ग) ऐसी चोरियां को रोकने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री सें० वे० रामस्वामी) : (क) रेलवे कर्मशालाओं में हुई चोरियों के मामले सरकार के सामने आये है ।

(ख) अपराधी प्रवत्ति वाले व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ये चोरियां की है ।

(ग) रेलवे में पहिले ही से वर्तमान कुछ उपायों का ब्यौरा सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ७०५ । ६३]

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन वर्कशाप्स में सामान की चोरी हुई है और कितने रुपयों की हुई है ?

†श्री सें० वे० रामस्वामी : मेरा विचार ई मेरे पास यह सूचना नहीं ई ।

†अध्यक्ष महोदय : यह उत्तर तैयार नहीं ई ।

†श्री श० ना० चतुर्वेदी : इन चोरियों के कारण रेलवे को हुई वार्षिक क्षति कितनी है ।

†श्री सें० वे० रामस्वामी : मैं कुल हानि बताता हूं । यह १९६० में हुई १.१२ लाख रुपये की हानि से घटकर १९६२ में ०.६५ लाख रुपये है ।

श्री रामेश्वरानन्द : इस तरह की जो चोरियां होती है उन को रोकने के लिये कोई विशेष उपाय सरकार सोच सकती है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदयः यह तो उन्होंने बतलाया ।

†मूल अंग्रेजी में

**श्री कछवाय** : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी रेलवे की वर्कशाप्स में साल में कितनी चोरियों की घटनायें हुई हैं ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : पश्चिमी रेलवे में १९६२ में चोरियों के मामलों की संख्या ९९ हैं ।

**श्री कछवाय** : हिन्दी में उत्तर दे दिया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय**: क्या मंत्री महोदय नम्बर बतला सकते है ?

†**श्री सें० वे० रामस्वामी** : १९६२ में यह ९९ थीं ।

**श्री प्रियगुप्त** : डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने इस का उत्तर देने की कृपा की और क्रिमिनालोजी या इस तरह का कोई शब्द कहा । तो यह तो एक सोशल क्राइम है, कंट्री के खिलाफ क्राइम है । मैं जानना चाहता हूं कि इस को रिफार्म करने के लिये क्या क्या कायदे अख्त्यार किये गये है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य दिशाओं के सुधारकों को बाद में देखा जा सकता है ।

**श्री प्रिय गुप्त** : जब कारण बतलाया है तो यह भी बतला दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य उत्तर से संतुष्ट नहीं है । उत्तर दिया जा चुका है ।

**श्री रामेश्वरा नन्द** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आप की बात तो हो चुकी । एक से ज्यादा दफे इस की इजाजत नहीं दी जा सकती ।

**श्री राम सेवक यादव** : पश्चिमी रेलवे की चोरियों में रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों का भी कुछ हाथ है या नहीं ?

**श्री सें० वे० रामस्वामी** : जी हां, कुछ मामलों में ।

**श्री राम सेवक यादव** : हिन्दी में उत्तर दे दिया जाय ।

**अध्यक्ष महोदय** : कई दफे उन का भी हाथ पाया गया है ।

**भारतीय मीन-क्षेत्र निगम**[1]

\+

†*४०७. **श्री कोया** :
**श्री अ० क० गोपालन** :
**श्री प० कुन्हन ०**
**श्री महेश्वर नायक** :
**श्री कपूर सिंह** :
**श्री बिशनचन्द्र सेठ** :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परियोजनाओं का पुरोनिधान[2] करने तथा मछली के निर्यात को सुधारने के लिये सरकर का एक भारतीय मीन-क्षेत्र निगम स्थापित करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Indian Fisheries Corporation.

[2]Sponsor.

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री अ०म० थामस )** : (क) और (ख). जी हां । सरकारी क्षेत्र में मीन-क्षेत्र निगम स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जो कि निर्यात तथा देश में उपभोग के लिए गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने तथा उनके शोधन का कार्य करेगा । इस कार्य में विदेशी सहयोग प्राप्त करने की सम्भावनाओं की खोजबीन की जा रही है । अन्य विवरण अधिकतर ऐसे सहयोग की शर्तों पर निर्भर करेंगे और अभी तक उनकी कोई ठीक सूरत नहीं बनी है ।

†**श्री कोया** : क्या निगम के मुख्यालय के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लिया गया है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव (श्री शिन्दे )** : इस अवस्था पर मुख्यालय के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं किया गया ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या राज्य सरकारें भी अपने मीन-क्षेत्र निगम स्थापित कर रही है ; और यदि हां तो केन्द्रीय निगम की राज्य निगमों से क्या संमुखीन सम्बन्ध है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री ( श्री अ० म० थामस)** : ऐसा विचार है कि केन्द्र में बनने वाली निगम में समुद्रीय राज्य की भाग लेंगे तथा राज्य इस निगम की अंश-पूंजी में अंशदान करेंगी । कुछ राज्यों में निगम है उदाहरणार्थ उड़ीसा में मीन-निगम है । हम उसमें विघ्न नहीं डालना चाहते ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या मछली के निर्यात में कुछ कमी हुई है, और यदि हां तो उसके क्या कारण है और उसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गए है?

†**श्री अ० म० थामस** : निर्यात के सम्बन्ध में, जमी हुई तथा टीन बन्द मछलियों के निर्यात में वृद्धि हुई है, किन्तु श्री लंका और बर्मा को सूखी मछलियों के निर्यात में कमी हुई है और वह हमारे नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों के कारण है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारत में प्रति व्यक्ति मछली की खपत कितनी है और क्या यह निगम देश में मछली का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस**: इस निगम का उद्देश्य यह है हमारे देश का समुद्रतट बहुत लम्बा है तथा यहां सांमुदायिक संसाधनों की खोजबीन करने का पर्याप्त क्षेत्र है और यह निगम गैर सरकारी क्षेत्र में विघ्न डालने के लिए नहीं है, गैर सरकारी क्षेत्र को उत्साहित किया जायेगा तथा उसे यथासम्भव मछलियां पकड़ने की अतिरिक्त सुविधायें दी जायेंगी । मछली के औ उपभोग के आंकड़े मेरे पास नहीं है ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस क्षेत्र में काफ़ी संख्या में सहकारी संस्थायें है और इसलिए क्या उन्हें निगम के शेयर लेने और अंशधारो बनने की अनुमति दी जायेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : इस निगम का प्रतिरूप अभी नहीं बनाया गया है । हमारा विचार केन्द्र के स्वयं समुद्रीय राज्यों के भाग लेने का है और यदि विदेशी सहयोग प्राप्त हुगा तो वह भी लिया जायेगा क्योंकि हमारे सामने आवश्यक मशीनें तथा मछुआ जहाज और अन्य जहाजों

---

†मूल अंग्रजी में

के आघात के लिए विदेशी मुद्रा की कठिनाइयां है। मुख्य रूप से विदेशी सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से हम इस निगम को बनाने का सुझाव रख रहे है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या इसका यह अर्थ है कि निगम इस पर विचार नहीं करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदयः** शान्पि, शान्ति। श्री कुन्हन।

**श्री प० कुन्हन** : क्या मछुओं को निगम में कुछ प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, और यदि हां, उसका क्या तरीका है ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसा कि मेंने पहिले कहा है, इस निगम का निश्चित प्रतिरूप अभी निश्चय नहीं किया गय है।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या मैं यह समझ लूं कि मीन-क्षेत्र निगम का विस्तार उन राज्यों तक नहीं होगा जहां पहिले से राज्य मीन क्षेत्र निगम स्थापित किये हुए है ? क्या संपूर्ण योजना का समन्वय करना उचित नहीं है ?

†**श्री अ० म० थामसः** मैं पहिले ही बता चुका हूं कि सामुद्रीय राज्यों का इसमें भाग दिलाने का विचार है क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री मछलियां, विशेषतया टयूना और प्रौन, पकड़ने का और उनके साथ भाग लेने का है जिनकी इस में रुचि है; जहां तक आन्तरिक और अन्तर्देशीय मीन क्षेत्रों का सम्बन्ध है हम उस क्षेत्र में पदार्पण करना नहीं चाहते।

†**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख** : क्या गहन समुद्र में मछलियां पकड़ने के सम्बन्ध में कोई प्रविधिक सहकारिता प्राप्त करनें के बारे में कोई बातचीत हो रही है ?

†**श्री अ० म० थामस** : मुख्यतया इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर निगम बनाय जा रहा है।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : क्या मंत्रालय ने पहिले ही से यह निश्चय कर लिया है कि वह सहकारी संस्थाओं को शेयर नहीं खरीदने देगी तथा उन्हें विकास का अवसर नहीं देगी।

†**खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : यह एक अच्छा सुझाव है। हम इस पर विचार करेंगे किन्तु इसके ब्यौरे को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

## दुधारू गायों का निर्यात

+
†*४०८. {**श्री सुबोध हंसदाः**
**श्री स० चं० सामन्त** :
**श्री ब० कु० दास** :}

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अन्य राज्यों को किये जाने वाले दुधारू गायों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और दुधारू गायों के लिये अन्य राज्यों की मांग को पूरा करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री के सभा सचिव (श्री शिन्दे) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** क्या सरकार के पास अन्य राज्यों से निर्यात की गई दुधारू गायों का कोई लेखा है और क्या वह उतनी ही उपयोगी हैं जितनी कि पहले थीं ?

†**श्री शिन्दे :** राज्यवार ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है। किन्तु गोसंवर्द्धन केन्द्रीय परिषद द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति ने पंजाब से दुधारू पशुओं के निर्यात की समस्या की जांच की और उसने पता लगाया है कि पंजाब से प्रति वर्ष ६०,००० पशु निर्यात किये जाते हैं।

†**श्री सुबोध हंसदा:** क्या केवल पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां से दुधारू कायें अन्य राज्यों को निर्यात की जाती हैं अथवा और भी ऐसे राज्य हैं ?

†**श्री शिन्दे :** दुधारू पशु हर राज्य में हैं। देश के सब भागों में पशु एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजे जाते हैं। पंजाब में कुछ विशिष्ट नस्लें हैं और उन्हें कुछ अन्य राज्यों को निर्यात किया जाता है ।

**श्रीमती ज्याबेन शाह :** क्या यह सही है कि हमारे देश में विदेशी लोग आकर अच्छी से अच्छी गायें खरीद कर ले जाते हैं ? यदि हां, तो उसको रोकने का गवर्नमेंट क्या कर रही है ?

†**श्री शिन्दे :** जी, नहीं। जहां तक अन्य देशों को निर्यात का सम्बन्ध है इस पर प्रतिबन्ध है ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या मैं जान सकता हूं कि पंजाब के हरियाना क्षेत्र की गायें, जो हमारे देश के अन्दर ऊंची कोटि की नस्ल मानी जाती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी आपके मंत्रालय की ओर से कोई विशेष व्यवस्था की जा रही है ?

†**श्री शिन्दे :** उपाय विचाराधीन हैं। जिस समिति ने इस प्रश्न की जांच की उसने कुछ सिफारिशें कीं और उन सिफारिशों को विभिन्न राज्यों को सौंप दिया गया है।

## कृषि उत्पादन

+

†*४०६. { **श्री गो० महन्ती :**
**श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० कुन्हन :**
**श्रीमती विमला देवी :** }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने के विशेष उपायों के लिये राज्य सरकारों को धन दी है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये योजनायें भेजी हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संवितरण का आधार क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) से (ग). कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक योजनाओं को पहले ही राज्यों की योजनाओं में सम्मिलित कर लिया गया है जो कि राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जा रही हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, चालू साल १९६२–६३ में राज्य सरकारों को अतिरिक्त लघु सिंचाई कार्यक्रमों तथा भू-संरक्षण कार्यक्रमों के प्रारम्भ करने योग्य बनाने के लिए, राज्य योजनाओं की उच्चतम राशि के अलावा, ९.७२ करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन का अनुमोदन किया गया है।

वर्ष १९६३–६४ के लिए, राज्य सरकारों की उनकी योजनाओं की १९६३–६४ की उच्चतम राशि के अन्दर अन्दर कृषि उत्पादन, लघु सिंचाई, भू-संरक्षण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के आयव्ययक के कृषि अंग के उप-शीर्षों के लिए अधिक आवंटन करने के लिए कहा गया है, जिसका कि कुल योग १९६२–६३ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि से पर्याप्त अधिक होगा।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि सरकार के प्रयत्नों के बावजूद बिहार और आसाम में पटसन के मूल्य गिर गए हैं और यदि हां, तो सरकार अगले वर्ष में पटसन के उत्पादन में कमी को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम समस्त संभव उपाय कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक भिन्न प्रश्न है।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया** : राज्य सरकारों को लघु सिंचाई उद्योग कार्यक्रमों के लिए दिए जाने वाले आवंटनों के अतिरिक्त, क्या उरकार राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कुओं-आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत कुएं बनाने के लिए वित्तीय सहायता दे रही है?

†**डा० राम सुभग सिंह** : यह भी साथ साथ किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में जहां से कि माननीय सदस्य आते हैं, हम राज्य की उन समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं जिन्हें कि राज्य सरकार यहां भेजती है।

**श्री विभूति मिश्र** : अभी माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि माइनर इर्रीगेशन के लिए सब इन्तिजाम हो रहा है मैं जानना चाहता हूं कि इसमें जो रेड टेपिज्म हो रहा है जिसके कारण माइनर इर्रीगेशन का काम नहीं हो पाता, उसको जल्द से जल्द दूर करने के लिए सरकार क्या कोशिश कर रही है?

**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय सदस्य का बिहार सरकार पर बहुत ज्यादा प्रभाव है। मैं उनका आभार मानूंगा अगर वह बिहार सरकार को सुझाव देकर जो कि उनके जिले में रेड टेपिज्म होता है उसको दूर करावें। जो कुछ उनके जिले के लिए यहां से करना सम्भव हो सकता है वह वे बतलावें। अगर सम्भव होगा तो वह भी किया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सलाह दूंगा कि मेम्बर साहब और वजीर साहब दोनों मिल जायेंगे तो काम हो जाएगा।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : 'पैकेज प्रोग्राम' का क्या परिणाम रहा प्रोग्राम का अन्य जिलों में विस्तार कैसा है?

---

†मूल अंग्रेजी में

**डा० राम सुभग सिंह :** मेरे विचार में 'पैकेज प्रोग्राम' का परिणाम पूर्णतः संतोषजनक है। कुछ क्षेत्रों में उत्पादन साधारणतया २१ प्रतिशत तक बढ़ गया है। शाहाबाद में शायद यह कुछ प्रतिशत और अधिक है। इसके विस्तार के विषय में यह कहना है कि हम सरन जिले में, जहां के माननीय सदस्य हैं, मोटे अनाज और बाजरा के उत्पादन में 'पेकेज प्रोग्राम' का विस्तार कर रहे हैं। धान के उत्पादन के सम्बन्ध में भी हम इसका विस्तार बिहार के अन्य चार जिलों, दरभंगा, सन्थाल, परगना, रांची तथा गया में कर रहे हैं।

†**श्री रंगा :** क्या सरकार इससे अवगत है कि आंध्र प्रदेश के अनेक डेल्टा वाले जिलों में धान की उपज 'स्टेम बोरर' की विध्वंस क्रियाओं तथा अनेक अन्य मुसीबतों के कारण ५० प्रतिशत तक घट गई है ?

†**डा० राम सुभग सिंह:** यह सही है कि आंध्र प्रदेश में विशेषतया डेल्टा वाले जिलों में 'स्टेम बोरर' के कारण धान की फसल कुछ प्रतिशत गिर गई है,किन्तु यह डेल्टा जिलों में अधिकतर भा ी वर्षों के कारण गिरी है। हम 'स्टेम बोरर' के विरुद्ध समस्त सावधानियां बरत रहे हैं और यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या इस समस्या का अध्ययन करने के लिए वहां एक संस्था की स्थापना संभव होगी।

†**श्री अ० क० गोपालन** क्या : उर्वरक, बीज और साख के वितरण को दृढ़ करने के लिए कोई नई योजनायें बन रही हैं ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं उर्वरक अधिकतर सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित किया जा रहा है, परन्तु जहां कहीं कुछ त्रुटियां हैं हम अन्य संस्थायें स्थापित करने के लिए तैयार हैं और वास्तव में हमने राज्य सरकारों से एसा करने के लिए सिफारिश भी की है। केरल राज्य के सम्बन्ध में वहां से आने वाले प्रत्येक सुझाव पर हम यथासम्भव सहानुभूतिपूर्ण ध्यान देते हैं। यदि किसी सदस्य के विचार में कुछ है तो वह हमें उससे सूचित करे और हम उसकी जांच करेंगे।

†**श्री पु० र० पटेल :** मैं यह जानना चाहता हूं कि उन सब उपायों के होते हुए भी जो हमने अब तक किए हैं हमारे देश की प्रति एकड़ उपज अन्य देशों से बहुत कम क्यों है क्या यह मूल्य प्रोत्साहन की कमी के कारण है ?

†**डा० राम सुभग सिंह :** मूल्य प्रोत्साहन की कमी इसका एक कारण है। हम उस प्रोत्साहन को भी थोड़ा सा अन्तर रख कर देना चाहते थे परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं लोकतन्त्र में हमें अनेक दलों से परामर्श लेना होता है और यह करना सम्भव नहीं था। प्रति एकड़ उपज के यहां कम होने के और भी कारण हैं। उर्वरक तथा हरी खाद के संभरण तथा श्रेष्ठतर कृषि रीतियां हमारे कृषि उत्पादन में अवश्य ही वृद्धि करेंगी।

## रेल दुर्घटना की जांच

†*४११. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ११ नवम्बर, १९६२ को छपरा-वाराणसी लाइन पर मांझी और बकुलाह स्टेशनों के बीच गोरा पुल पर हुई दुर्घटना जिसमें गाड़ी की छत पर यात्रा करने वाले अनेक यात्री मारे गये थे, की जांच पूरी हो गई है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां और निष्कर्ष क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें रामस्वामी)**: (क) और (ग) लखनऊ में रेलवे सुरक्षा के अतिरिक्त आयुक्त ने अपनी जांच पूरी कर ली है। उनके अस्थायी निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना यात्रियों के असावधानीपूर्ण व्यवहार के कारण हुई थी जो भारतीय रेलवे अधिनियम १८९० की धारा ११८(२) के उपबन्धों को भंग करके डिब्बों की छतों पर अनधिकृत ढंगसे यात्रा कर रहे थे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या अतिरिक्त आयुक्त ने इस बात की जांच की है कि क्या रेलवे प्राधिकारियों ने, यदि आवश्यक हुआ तो बल प्रयोग करके स्वयं यात्रियों के हित में उन्हें छत से नीचे उतारने का प्रयत्न किया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यात्रियों को एक बार नहीं, तीन बार चेतावनी दी गई थी । उन्हें सब से पहले स्टेशन छपरा पर चेतावनी दी गई थी और वहां रेलगाड़ी ३० मिनट लेट हो गई तथा उनमें से अधिकतर नीचे उतर आये फिर, खेलगंज स्टेशन के पास गाड़ी रोकी गई और यात्रियों से नीचे उतरने को कहा गया । बाद में भीतरी सिगनल से गाड़ी के निकलते ही गाड़ी रोकी गई और उनसे नीचे उतरने को कहा गया ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या रेलवे प्राधिकारियों ने नही देखा था कि यात्री रेलगाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे हैं ? अतः गाड़ी को आगे जाने ही क्यों दिया गया जब कि यात्री छत पर बैठे गये ?

**श्री सें० वें० रामस्वामी** : स्पष्ट है कि रेलवे प्राधिकारियों को ज्ञात न था कि वे अब भी छत पर बैठे हैं ।

†**श्री रंगा** : यह घटना पहिली बार नहीं हुई है । पिछली बार भी अनेक व्यक्ति मरे थे । क्या सरकार का विचार उपयुक्त निदेश बनाने या जारी करने का है ताकि ऐसी घटना न हो ? कार्यवाही चाहे जो हो, वह दृढ़ता से लागू की जानी चाहिए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही करने के लिए सुझाव है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि यात्रियों को उतारने का प्रयत्न किया गया। फिर, तत्काल उन्हों ने कहा कि उन्हें यात्रियों के छत पर बैठने का पता न था । इस का क्या अभिप्राय है ?

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं यह समझ सका हूं कि दो या तीन बार उन्हें पता लगा कि यात्री छत पर यात्रा कर रहे हैं और उन्हें उतारने की कोशिश की गई । फिर गाड़ी चली । बाद में कुछ व्यक्ति छत पर चढ़ गये और शायद वे नहीं देखे गये ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : यदि यात्री रेल-गाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे हों, तो रेलवे प्रशासन के रेलवे कर्मचारियों को क्या स्थायी अनुदेश या निदेश हैं ? क्या रेलवे कर्मचारियों ने उन अनुदेशों या निदेशों का पालन किया था ? यदि नहीं, तो निदेशों का पालन न करने के लिए उन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी:** उन्हों ने निदेशों का पालन किया है । उन्हों ने यात्रियों को उतरने की चेतावनी दी और वे उतर गये । यदि वे हमारे अनजाने में फिर छत पर चढ़ गये, तो यह हमारी गलती नहीं है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या ड्राइवर ने रेलगाड़ी पुल से एक फर्लांग के भीतर रोकी थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं ने अभी कहा कि रेलगाड़ी तीन बार रोकी गई थी और गार्ड तथा अन्य व्यक्तियों ने यात्रियों को चेतावनी दी ।

†**श्री रंगा:** क्या पुल से पहिले रेलगाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जब यह देखा गया यात्री रेलगाड़ी की छत पर यात्रा कर रहे हैं, तो वह ३० मिनट तक रोकी गई, फिर १५ मिनट तक रोकी गई । फिर, तीसरी बार कुछ समय तक रोकी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नियम क्या है या कर्मचारियों को क्या निदेश हैं ? यदि यात्री छत से नीचे नहीं उतरते, तो क्या वे रेलगाड़ी को रोकेंगे या नहीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** निदेश यह हैं कि किसी भी यात्री को रेलगाड़ी की छत पर यात्रा करने की अनुमति नहीं है । परन्तु यह घटना आधी रात को हुई । इस पर भी, रेलवे कर्मचारियों ने अपना कर्तव्य निभाया । उन्हों ने व्यक्तियों को नीचे उतरने के लिए कहने को तीन बार गाड़ी रोकी । परन्तु यदि वे रेलवे कर्मचारियों को अनजाने में फिर ऊपर चढ गये, तो यह हमारी गलती नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** छत पर यात्रा करना सामान्य बात हो गई है, इस कारण क्या सरकार ने कोई ऐसा ढंग निकाला है कि छत पर यात्रा करना असंभव हो जाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्या का क्या अभिप्राय है । क्या हम उस पर कांटेदार तार लगायें . . . . . (**अन्तर्बाधा**) या कीलें लगाय ?

†**श्री त्यागी :** गाड़ी के पुल से निकलने से पहिले क्या छत पर बैठे यात्रियों को चेतावनी देने की सावधानी बरती गई थी कि रेलगाड़ी पुल में से जायेगी और छत पर बैठे यात्रियों को जीवन का भय है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हमें पता न था कि वे छत पर बैठ हैं . . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति । माननीय मंत्री अपने उत्तर में विभिन्न अवस्थाओं में अन्तर करें, अन्यथा इस से भ्रम हो सकता है । क्योंकि उन्हों ने कहा है कि गाड़ी के चलने पर उन्हें चेतावनी दी गई थी और गाड़ी तीन बार रोकी गई । जब गाड़ी अन्तिम बार चली, क्या उन्हें बताया गया था कि आगे पुल है और वे यदि नहीं उतरे तो गिर जायेंगे या मर जायेंगे ?

†**श्री विश्राम प्रसाद :** या लेट जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, लेटने का कोई प्रश्न नहीं है ।

---

†**मूल अंग्रेजी में**

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** :रेल गाड़ी संख्या ६७ अप तेज यात्री गाड़ी को खेलगंज और सुराई मानपुर के बीच बिना रुके, खेलगंज घाट, मांझी और वकुलाह तीन स्टेशनों को छोड़ते हुए चलना था। १० नवम्बर, १९६२ को छपरा स्टेशन के प्लेटफार्म पर, बलिया तथा कुछ अन्य स्थानों में कार्तिक पूर्णमासी मेला में जाने के लिए, यात्रियों की बड़ी भीड़ गाड़ी में चढ़ने के लिए जमा हो गई। कुछ यात्री रेल गाड़ी की छत पर चढ़ गये। गाड़ी के गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर और सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाहियों ने मिल कर यात्रियों को छत से उतार दिया और गाड़ी को ३० मिनट रोक कर चलाया। रेलगाड़ी छपरा से लगभग २३.३० बजे चली और खेलगंज ००.०५ बजे पहुंची। खेलगंज पर देखा गया कि कुछ यात्री अब भी छत पर हैं। रेलगाड़ी के गार्ड ने सहायक स्टेशन मास्टर और सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाहियों तथा रेलवे सुरक्षा पुलिस बल के कर्मचारियों के साथ फिर यात्रियों से छत से उतरने को कहा और १५ मिनट गाड़ी रोक कर फिर चलाई। इंजन भीतरी सिगनल से बाहर निकला ही था कि गाड़ी खतरे की जंजीर खींच कर फिर रोक दी गई। गार्ड और फायरमैन वहीं आ गये और दोष दूर कर के फिर गाड़ी चलाई। गाड़ी को चलाने से पहिले यात्रियों को पुल के बारे में चेतावनी दी गई और गार्ड ने सरकारी रेलवे पुलिस तथा रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों की सहायता से उन्हें उतार दिया, परन्तु कुछ यात्री डिब्बों की छत पर अवश्य रह गये होंगे।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मेरा निवेदन है कि आप सरकार को इस प्रतिवेदन की प्रति पटल पर रखने का निदेश दें।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस रिपोर्ट को पटल पर रखने का विचार है या यदि मैं सरकार से इसे पटल पर रखने को कहूं ,तो उन्हें कुछ आपत्ति है ?

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम पटल पर रिपोर्ट की प्रति रख देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय**: ठीक है। यह पटल पर रख दी जायेगी। अगला प्रश्न।

## कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय

†*४१२ **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान राष्ट्रीय आपात काल में देश में कृषि उत्पादन को तीव्र गति से बढ़ाने के उद्देश्य से मंत्री महोदय की मद्रास में दक्षिणी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ किस प्रकार की चर्चा हुई ; और

(ख) उस चर्चा के फलस्वरूप कौन-कौन से निश्चित सुझाव सामने आये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में कृषि मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मद्रास में दक्षिण राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक में उत्पादन में, विशष कर चावल, ज्वार, बाजरा आदि, दालों, कपास, तिलहनों, फलों, सब्जियों, दूध, मांस और अंडों के उत्पादन में शीघ्र वृद्धि करने के मार्गोपायों पर विचार विमर्श किया गया। खाद्य तथा कृषि मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों से जो विचार विमर्श किया उस में यह भी एक विषय था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) सुधरे हुए बीजों तथा उर्वरकों की उपलब्धि बढ़ाना, कृषि उत्पादन प्रोग्रामों की कार्यान्विति के लिए राज्यों में प्रशासी प्रबन्ध सुव्यवस्थित करना और छोटी सिंचाई, भूमि संरक्षण तथा शुष्क कृषि के वर्ष १९६३–६४ में और बाद के वर्षों में ऊंचे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बैठक में राज्यों द्वारा योजनाओं का बनाया जाना निश्चित हुआ ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : खाद्य उत्पादन में स्वावलम्बी बनने में देश को कितना समय लगगा ?

†**डा० राम सुभग सिंह** : हम अभी तो तीसरी योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने और आपात आवश्यकता की पूर्ति के लिए भरसक प्रयत्न कर रहे हैं ; परन्तु हम ने अभी उस की गणना नहीं की है जो माननीय सदस्य चाहते हैं ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कुछ समय पहिले कहा था कि प्रति मास ५०,००० टन अनाज का आयात होता है । इस प्रकार अनाज खरीदने में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० क० पाटिल)** : ५०,००० टन की इस बड़ी मात्रा में अनाज का वह बड़ा सौदा भी शामिल है जो हम ने किया था और जिस का पूरा ब्यौरा सभा के समक्ष है । जहां तक आयात का प्रश्न है, कभी अधिक अनाज की आवश्यकता होगी और हम इसकी व्यवस्था कर रहे हैं ।

**श्री यशपाल सिंह** : क्या सरकार ने कभी इस बात पर गौर किया है कि एग्रीकल्टरल होल्डिंग्ज के ऊपर सीलिंग का कानून रहते हुए, उत्पादन नहीं बढ़ सकता ?

**डा० राम सुभग सिंह** : यह सूचना माननीय सदस्य से हम लोग लेते हैं ।

†**श्रीमती सरोजिनी महिषी** : क्या इसके लिए इस बैठक में कोई विशेष उपाय सुझाये गये थे कि छोटी सिंचाई और भूमि संरक्षण की योजनायें, विशेष कर स्वीकृत योजनायें समय पर लागू हों ?

**डा० राम० सुभग सिंह**: वास्तव में इस बैठक की इच्छा व उद्देश्य यही था, और मुख्य मंत्रियों से खाद्य तथा कृषि मंत्री ने छोटी सिंचाई, शुष्क कृषि, भूमि संरक्षण, आदि के प्रोग्रामों को शीघ्र कार्यान्वित करने की प्रार्थना की थी ।

†**श्रीमती अकम्मा देवी** : कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से, क्या सरकार ने मद्रास राज्य को 'डाइथीन' पर्याप्त मात्रा में भेजी है ताकि नीलगिरि क्षेत्र में आलुओं की फसल को नष्ट करने वाले 'ब्लाइट' रोगों को रोका जा सके ?

**डा० राम सुभग सिंह** : हमें विदित है कि नीलगिरी क्षेत्र में 'गोल्डन नेमालेड' रोग प्रचलित है । मैंने पौदा रक्षण विभाग से कृमि नाशक औषधि का आयात करने को कहा है जिसकी उस रोग के लिये आवश्यकता है । मैंने कोयम्बटूर कृषि कालेज से भी उस रोग का गहन अध्ययन करने तथा यह सुझाव देने को कहा है कि यहां किस प्रकार की कृमिनाशक औषधि प्रयोग की जायें । मेरा ख्याल है कि हम रोग का नाश करने के लिय शीघ्र ही यथासंभव कार्यवाही करेंगे ।

---

†मूल अंग्रजी में

## अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

### गोहाटी से सिलीगुड़ी तक पाइप लाइन

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १६ : श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटालियन स्टेट आयल कम्बाइन ई एन आई ने गोहाटी से सिलीगुड़ी तक एक पाइप लाइन लगाने का वचन दिया है ?

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री ( श्री के० दे० मालवीय ) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पाइप लाइन ई एन आई कम्पनी स्नाम एस० पी० ए० द्वारा बनाई जायगी और उस पर कुल ३३५.७९ लाख रु० व्यय होंगे जिन में से १५७.४१ लाख रू० की विदेशी मुद्रा व्यय होगी जिसमें आयात होन वाले सामान का मूल्य शामिल है । पाइप लाइन के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा की पूर्ति भारत को ई एन आई द्वारा दिये गये ऋण से होगी ।

(ग) पाइप लाइन बिछाने के लिय भूमि प्राप्त करने के अधिकार लेने सम्बन्धी औपचारिकतायें लगभग पूरी हो गई हैं और विदेशी परामर्शदाताओं के एक अग्रिम दल ने क्षेत्र में कार्य आरम्भ कर दिया है । पाइप लाइन के लिये अपेक्षित रूरकेला में बनाये जा रहे हैं और पाइपों का संभरण शीघ्र ही पूरा हो जाने की आशा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** पाईप लाइन कुल कितनी लम्बी होगी और वह कब तक पूरी हो जायगी ?

†**श्री क० दे० मालवीय :** गोहाटी से सिलिगुड़ी पाइपलाइन के मार्ग से २७० मील । आशा है कि पाइपलाइन का निर्माण दो वर्ष से कुछ कम समय में या लगभग दो वर्षों में पूरा हो जायगा ।

†**श्री प्र० चं०बरुआ :** क्या आरम्भ में गोहाटी और सिलिगुड़ी हो कर एक बहुप्रयोजनीय पाइप लाइन बनाने का विचार था जब कि अब दो पाइपलाइन बनाने का है, अर्थात् अशोधित तेल ले जाने वाली एक लाइन तो बन रही है और दूसरी जिस का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो मूल प्रस्ताव क्यों छोड़ दिया गया था, और मूल प्रस्ताव को लागू करने में क्या कठिनाई थी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** माननीय मित्र ने जो विचार व्यवत किये हैं उनमें कुछ भ्रम है। अशोधित तेल ले जाने वाली पाइपलाइन किसी भी पैट्रोलियम उत्पाद के लिये प्रयोग नहीं हो सकती । इस के लिये पृथक पृथक पाइपलाइनों की आवश्यकता है । जिस पाइपलाइन से पैट्रोलियम उत्पाद भेजे जायेंगे वह भी कभी मिट्टी का तेल, पैट्रोल और अन्य ईंधन तेल जैसे सभी पैट्रोलियम उत्पाद भजने के लिये भी प्रयोग नहीं की जा सकती ।

आरम्भ में, गोहाटी से सिलिगुड़ी तक या पश्चिम की ओर पैट्रोलियम उत्पाद ले जाने के लिये पाइप लाइन बनाने का विचार था । परन्तु वह सम्भव नहीं समझा गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : क्या गोहाटी से सिलिगुड़ी तक यह पाइप लाइन बनाने का ई एन आई के साथ यह करार मूल ५० करोड़ के करार का भाग है जो कि हमने उन के साथ किया था या यह कोई नया करार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ५० करोड़ रुपये का ऋण व्यय करने के सामान्य करार में एक यह परियोजना भी है जिसमें पाइप लाइन का निर्माण शामिल है।

## नेताजी के जन्म-दिवस पर आकाशवाणी द्वारा विशेष कार्यक्रम

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ : श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का २३ जनवरी, को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के ६६वें जन्म-दिवस के अवसर पर, जो सम्पूर्ण भारत में नेताजी जयन्ती के रूप में मनाया जायेगा उनके जीवन और कार्यों के बारे में कोई विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी से प्रसारित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उस का विस्तृत विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)**: (क) और (ख) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की ६६वीं वर्ष गांठ के सम्बन्ध में आकाशवाणी के केन्द्रों से प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों का विवरण देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

### २३ जनवरी, १९६३ को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की ६६वीं वर्षगांठ पर प्रसारित होने वाले प्रोग्राम

| | | |
|---|---|---|
| दिल्ली केन्द्र | हिन्दी में वार्ता (नेताजी के आध्यात्मिक विचार) २०.४५ से २०.५५ बजे, दिल्ली 'क' पर। | जगन्नाथ प्रभाकर : |
| कलकत्ता | ०७.२० से ०७.२५ बजे (कलकत्ता 'क' पर) प्रभती चरण भट्टाचार्य द्वारा नेताजी के लेखों का पाठ। | |
| | १८.३० बज १८.४० बजे कलकत्ता 'ख' पर (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के व्यक्तिगत संस्मरण) अभियानाथ बोस की बंगला में वार्ता। | |
| | १९०० दजे से १९·१० बजे कलकत्ता 'ख' पर बंगला में तुषार कान्ति घोष की वार्ता (कर्मयोगी) | |
| इन्दौर-भोपाल. | हिन्दी रूपक (सेनानी देशभक्त) २१.४५ से २२.०० बजे। | |

इसके अतिरिक्त, आकाशवाणी के और अन्य केन्द्र समाचारदर्शन में स्थानीय समारोहो के बारे में भी प्रसारण करेंगे।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत:** पटल पर रखे गये विवरण में दिल्ली, कलकत्ता और इन्दौर-भोपाल तीन केन्द्रों के प्रोग्रामों का उल्लेख है। देश में अन्य केन्द्रों से कोई प्रोग्राम प्रसारित क्यों नहीं हुआ ? क्या सरकार ने प्रोग्रामों में आजाद हिन्द फौज के जोशीले और देश भक्ति से भरे गान और आर्जी हुकूमते आजाद हिन्द के अध्यक्ष के रूप में नताजी के एक या दो भाषणों को शामिल करने पर भी विचार किया था, जिनके रिकार्ड उपलब्ध हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** कुछ समय पहले अर्थात्, सितम्बर, १९६१ में केन्द्रीय प्रोग्राम मंत्रणा समिति ने विचारा था कि राष्ट्रीय नेताओं की वर्ष गांठें प्रति वर्ष न मनाई जा कर पांच वर्ष में एक बार मनाई जायें, अर्थात् ६५ वीं, ७० वीं, ७५ वीं, आदि। अतः यह बात स्टेशनों पर छोड़ दी गई है कि वे अपनी इच्छानुसार प्रोग्राम बनायें। इस वर्ष तीन केन्द्रों ने इस की व्यवस्था की है। पांच वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला यह एक प्रकार का राष्ट्रीय प्रोग्राम है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मंत्री जी को विदित है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने पिछले कई वर्षों से नेताजी जयन्ती को सरकारी छुट्टी की है ? यदि हां, तो क्या नेताजी जयन्ती को राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष है, यह इस बात का ध्यान रख कर कि नेताजी एक महान राष्ट्र नेता हैं जिन्हें जन साधारण महात्मा गान्धी की भान्ति प्यार करते हैं और सम्मान करते हैं ?

†**डा० बे गोपाल रेड्डी :** पश्चिमी बंगाल में सरकारी छुट्टी होने के कारण कलकत्ता केन्द्र भी प्रोग्राम रखता है। परन्तु भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित नहीं किया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या इसे राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के पास है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यह बताना मेरा काम नहीं है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** यह प्रोग्राम देशभर में सभी केन्द्रों से क्यों प्रसारित नहीं किया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अखिल भारतीय प्रोग्राम, राष्ट्रीय प्रोग्राम, पांच वर्ष में एक बार होते हैं। एक समिति बनाई गई थी और उस ने वह सिफारिश की थी। जहां तक केन्द्रों का संबंध है, वे प्रति वर्ष वह प्रोग्राम रख सकते हैं। इस वर्ष केवल तीन केन्द्रों ने प्रोग्राम किया है।

†**श्री रंगा :** क्या मैं यह समझूं कि हैदराबाद ने कुछ समय पहिले मनाया था और इस कारण हैदराबाद केन्द्र पर इस वर्ष यह प्रोग्राम नहीं रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इसका निश्चय हैदराबाद केन्द्र करेगा।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** साधारणतया, सभी केन्द्र पांच वर्ष में एक बार मनाते हैं। परन्तु यह बात प्रत्येक पर छोड़ दी गई है कि प्रतिवर्ष भी मना सकते हैं। संभावतः इस वर्ष हैदराबाद नहीं मना रहा है। कलकत्ता, इन्दौर और दिल्ली मना रहे हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** विवरण से विदित है कि कलकत्ता ने तीन प्रोग्राम किये हैं और पश्चिमी बंगाल सरकरा ने इसे छुट्टी घोषित कर दिया है। इस का क्या कारण है कि महान नेता नेताजी बोस के बारे में प्रोग्राम की संख्या को पश्चिमी बंगाल राज्य में भी इस प्रकार सीमित किया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह राज्य सरकार करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ** : नहीं, नही आकाशवाणी कलकत्ता के लिये भी बहुत ही कम प्रोग्राम रखती है। वे केवल बंगला और हिन्दी में होंगे। अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में क्या होता है ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी** : इसके अतिरिक्त कलकत्ता और जिलों में जो भी महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, वे समाचार दर्शन में पुनः शामिल किये जायेंगे। जहां तक वार्ताओं का संबंध है, केन्द्र ने तीन वार्ताओं या गायन आदि की व्यवस्था की है।

†**श्री अन्सार हरवानी**: क्या आकाशवाणी ने नेताजी बोस के कुछ उन भाषणों के रिकार्ड, जो भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के दिनों में नेताजी ने बर्लिन और सुदूर पूर्व में दिये थे, प्राप्त किये गये हैं। और यदि हां, तो क्या उन्हें आकाशवाणी से पुनः प्रसारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**डा० वे० गोपाल रेड्डी**: मैं नहीं जानता कि हमने अन्य केन्द्रों से वे सब प्रसारण प्राप्त किये हैं या नहीं, परन्तु जो भी उपलब्ध हैं उसका प्रयोग हमारे केन्द्र कर रहे हैं।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### मैलानी और शाहजहांपुर के बीच रेलवे लाइन

*४१०. **श्री प्रे० कृ० खन्ना :**
**श्री दि० सि० चौधरी :**
**श्री समनानी :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शाहजहांपुर को मैलानी से मिलने वाली रेलवे विगत महायुद्ध में उखाड़ दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस लाइन को कब तक पुनः बनाने का विचार है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खान)**: (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब शाहबाजनगर-मैलानी लाइन से है। यह लाइन १९१८ में उखाड़ गयी थी।

(ख) इस लाइन को फिर से बनाने का कोई विचार नहीं है और न यह लाइन उन नयी लाइनों में शामिल है जो तीसरी आयोजना में रेलवे के निर्माण-कार्यक्रम में रखी गयी है।

### आसाम को वस्तुओं का परिवहन

†*४१३. **श्री ह० च० सौय :**
**श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी परिवहन प्रणाली के संबंध में आसाम और शेष भारत के बीच गतिरोध दूर हो गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार ट्रकों द्वारा आसाम को सामान भेजने की वैकल्पिक व्यवस्था को अस्थायी आधार पर कायम रखने का है ; और

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

**विवरण**

(क) ज्वाइन्ट स्टीमर कम्पनीज़ और उनके पाकिस्तानी रेटिंगों के बीच, जिन्होंने ९ अक्तूबर से ४ दिसम्बर, १९६२ तक वड़ीसाल और फेंचुगंज में काम की हड़ताल की थी, अधिकतर विवादों पर समझौता हो गया है। हड़ताल ४ दिसम्बर, १९६२ को समाप्त कर दी गई थी और कम्पनी की सेवायें उसके बाद जल्दी चालू कर दी गईं।

(ख) हां ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन संगठन ने पचास गाड़ियां प्राप्त की हैं। आशा है कि चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पचास गाड़ियां और आ जायेंगी। अगामी वित्त वर्ष में १०० और गाड़ियां प्राप्त करने का भी विचार है ।

**अदालती पंचायत**

***४१४. श्री भक्त दर्शन** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार** मंत्री २० अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ११५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 'अदालती पंचायती' के अध्ययन दल ने हाल में ही जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसकी सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ती)**: मंत्रालय में रिपोर्ट की जांच की गई है। न्याय पंचायतों का विषय राज्य क्षेत्र में है और इसलिये रिपोर्ट में की गई लगभग सभी सिफारिशों पर राज्य सरकारों द्वारा कार्यवाही की जानी है । इस विषय पर राज्य सरकारों को लिखा गया है। गुजरात, राजस्थान और दिल्ली ने सूचित किया है कि न्याय पंचायतों के बारे में जो एक्ट उन्होंने बनाये हैं उनमें इस रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशें पहले से ही शामिल हैं। दूसरे राज्यों में या तो रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है या सिफारिशों को लागू करने के बारे में कदम उठाये जा रहे हैं ।

**खाद्यान्न के मूल्य**

†***४१५.** { **श्री विभूति मिश्र :**
**श्री राम सेवक यादव :**
**श्री पें० वेंकाटा सुब्बया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात काल की उद्घोषणा के बाद खाद्यान्नों के मल्यों में कमी होने की प्रवृत्ति है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) किसानों के हितों की रक्षा के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस के साधारण कारण यह हैं कि बाजार में नये चावल और खरीफ के दूसरे अनाज आ गये हैं। इस का कारण यह है कि मूल्यों को स्थिर रखने के लिये सरकार ने विभिन्न कार्यवाही की हैं और वर्तमान संकट काल में व्यापारियों ने सहयोग दिया है।

(ग) गेहूं का न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। चावल के बारे में, सरकार कुछ राज्यों में चावल ले रही है और इन राज्यों में सरकार के मूल्य सहायक मूल्यों के रूप में काम करेंगे। अन्य राज्यों में, सरकारों को समाहार मूल्यों पर सामान्य सफेद किस्म के चावल खरीदने की सलाह दी गई है, बशर्ते कि किसी क्षेत्र में मूल्य इन स्तरों से नीचे गिरने लगें।

## कम्पनियों के लिये भूमि अर्जन

†*४१६. **श्री पें० वेंकटासुब्बया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब राज्य सरकारों को निदेश दिये गये हैं, कि जब तक केन्द्रीय सरकार अग्रेतर निदेश न दे, तब तक कम्पनियों के लिये भूमि अर्जन की सब कार्यवाही रोक दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को विदित है कि बहुत से मामलों में कार्यवाही बहुत आगे की अवस्था में है और हाल में निदेश के फलस्वरूप, युद्ध की तैयारी और राष्ट्रीय संकट के लिये आवश्यक कुछ उद्योगों का काम रुक गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस रुकावट को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह ):** (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है।

### विवरण

राज्य सरकारों को सूचित किया गया हैं कि संसद् में भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर हाल की चर्चा में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों को ध्यान में रखकर, यह उचित होगा कि कम्पनी के लिये भूमि प्राप्त करने के लिये और कार्यवाही इन आश्वासनों के अनुसार की जाये। ये आश्वासन नियमों में शामिल कर दिये जायेंगे। उन्हें यह भी सुझाव दिया गया था कि कम्पनियों के लिये आगे कार्यवाही नियमों को बनाने के बाद की जा सकती है।

युद्ध-कार्य के लिये अनिवार्य उद्योगों के बारे में राज्य सरकारों के विचार निश्चित होने के कारण भमि अर्जन के मामलों का निश्चित ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। फिर भी, राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि जब भी वे ये अनिवार्य समझें कि राष्ट्रीय संकट के हित में कार्यवाहीं की जाये, तब वे ऐसा कर सकती हैं परन्तु उन्हें ऐसा करने में संसद् में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों का ध्यान रखना होगा।

## उर्वरक

†*४१७. **श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान आपात्काल में उर्वरकों के उत्पादन को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये क्या पग उठाये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) किसानों को सीधा उर्वरक देने के मार्ग की रुकावटों को पूरा करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ३ नवम्बर, १९६२ को नई दिल्ली में केन्द्रीय मालिक तथा मजदूर संगठन की संयुक्त बैठक में औद्योगिक सन्धि पर एक संकल्प पारित हुआ था जिसमें स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग करके बढ़े हुए औद्योगिक उत्पादन का जिक्र था। केन्द्र में एक विशेष आपातकालीन उत्पादन समिति औद्योगिक सन्धि संकल्प के उत्पादन के भाग को शीघ्रता तथा प्रभावोत्पादक रूप से क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई है। इन कार्यवाहियों में उर्वरक कारखानों का उत्पादन भी आ जाता है। उत्पादन बढ़ाने के लिए २३ लाख टन नाइट्रोजन की क्षमता का लाइसेंस दिया गया है।

(ख) नाइट्रोजन उर्वरक राज्य सरकारों को केन्द्रीय उर्वरक भांडार में दिया जाता है जो सहकारी समितियों के द्वारा किसानों में इसका वितरण करते हैं। राज्यों में वितरण पद्धति को तैयार करने को कहा गया है तथा मध्यस्थों को कम करने को कहा गया है। जहां पर सहकारी समितियां नहीं हैं अथवा प्रभावोत्पादक रूप से काम नहीं कर रही हैं वहां पर राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वह सरकारी तथा गैर-सरकारी अन्य एजेंसिन्यों को इसमें लगाने पर विचार करें।

इसके अतिरिक्त उर्वरकों की खपत बढ़ाने के लिए निम्नलिखित ठोस कार्य किये गये हैं :—

(१) सल्फेट आफ अमोनिया, यूरिया, तथा कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के भांडार मूल्यों में छूट की पद्धति उस समय लागू की गई है जब इसका संभरण खाद न देने वाली मौसम में राज्यों को सौंप दिया जाता है। खाद न दिये जाने वाली तिमाही प्रत्येक राज्य में निश्चित कर दी गई है।

(२) इसकी जांच करने के लिए कि उर्वरक पर्वतीय तथा अगम्य क्षेत्रों में भी उन्हीं मूल्यों पर बेचे जाते हैं जिन मूल्यों पर मैदानों में बिकते हैं यह निर्णय किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तथा अगम्य क्षेत्रों के नाइट्रोजन के उर्वरक का परिवहन व्यय अधिक होने के कारण २५ प्रतिशत सहायता दी जानी चाहिए यदि राज्य सरकारें भी उसमें कुछ सहायता दें।

(३) कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के भांडार मूल्य कम करके प्रति मीट्रिक टन २७८ रुपये कर दिये गये हैं जिससे कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट तथा सल्फेट आफ अमोनिया के विक्रय मूल्य में प्रति टन ५० रुपये का अन्तर न रहे और कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के प्रयोग में कोई पक्षपात न रहे।

(४) आसाम में उर्वरकों की खपत को बढ़ाने के लिए यह स्वीकार किया गया है कि यदि राज्य सरकार आधा व्यय वहन करे तो वास्तविक भार के अन्तर की वितरण व्यय में सहायता की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

## परादीप पत्तन

†*४१८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेक्निकल दृष्टि से सम्भव परादीप पत्तन को सब मौसमों में खुला रहने वाले पत्तन के रूप में विकसित करने की प्रविधिक व्यवहार्यता के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस को एक बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को देश में बड़े पत्तनों के विकास की चालू योजना में शामिल कर लिया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) सब मौसमों में खुल रहने वाले पत्तन के रूप में परादीप पत्तन का विकास करना टैक्निकल दृष्टि से सम्भव समझा गया है ।

(ख) और (ग). राज्य सरकार सब मौसमों में खुला रहने वाले पत्तन के रूप में परादीप का विकास करने की योजना पर विचार कर रही है । परामर्शदाता इंजीनियर की ब्रिटेन की फ़र्म ने इस काम के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन बना लिया है । भारत सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि यही फर्म नकशे तथा अनुमान बनाये ।

इस प्रश्न पर अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि परादीप पत्तन परियोजना को बृहत् पत्तन परियोजना माना जाये । इसलिए इस समय इसको केन्द्र सरकार की परियोजनाओं में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

## ग्राम स्वयंसेवक दल

†*४१९. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम स्वयंसेवक दल और प्रतिरक्षा श्रम बैंक के लिये एक राष्ट्रव्यापी योजना शुरू की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो इससे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के उद्देश्य को कैसे सहायता मिलेगी ; और

(ग) ऐसे स्वयंसेवकों की कुल संख्या क्या है ?

†**सममुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :** (क) जी हां, आगामी गणतंत्र दिवस पर ।

(ख) योजना इस प्रकार बनाई गई है कि सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकारी संगठनों द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव तथा सामग्री दोनों का पूर्ण उपयोग हो सके । इस प्रकार गांवों में प्रतिरक्षा तथा आर्थिक विकास को दीर्घकालीन उद्देश्यों के लिए, इस समय उत्पन्न उत्साह

†मूल अंग्रेजी में

का उपयोग हो सकेगा। प्रत्येक ग्राम स्वयंसेवक दल का त्रिसूत्री कार्यक्रम होगा उत्पादन, जन शिक्षा तथा ग्राम प्रतिरक्षा। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिए पहली आवश्यक वस्तु शक्तिशाली कृषि आधार बनाना है। उत्पादन कार्यक्रम में ग्राम स्वयंसेवक दल तथा प्रतिरक्षा श्रम बैंक का गठन होगा।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## डेनमार्क की सहायता से डेरी फार्म

†*४२०. **श्री यशपाल सिंह :**
**श्री विशन चन्द्र सेठ :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डेनमार्क के एक विशेषज्ञ दल ने भारत में डेरी फार्म स्थापित करने के लिए उपयुक्त कुछ क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस फार्म की स्थापना के लिए डेनमार्क सरकार से सहायता मांगी जा रही है;

(ग) इस कार्य के लिए कौन कौन से क्षेत्रों का चुनाव किया गया है; और

(घ) इसके कब तक चालू हो जाने की आशा है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। परन्तु डेनमार्क सरकार ने स्वयं ही सहायता का प्रस्ताव भेजा है। अभी यह अस्थाई है क्योंकि सहयोग की संभावना की जांच हो रही है।

(ग) सर्वेक्षण राजपुर (उत्तर प्रदेश) माण्ड्या (मैसूर) बंगलौर, उटकमंड तथा रांची में हो रहा है।

(घ) क्योंकि अभी कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है इसलिए अभी यह बताना सम्भव नहीं है।

## कीटाणुओं सम्बन्धी अनुसंधान

†*४२१. **श्री हेम राज :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, उन नाशिकीटों तथा कीटाणुओं के सम्बन्ध में अनुसन्धान केन्द्र खोलने का है जो पंजाब की पहाड़ियों के फलों के पौदों में लगते हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर स्थापित होगा और इसका वार्षिक व्यय क्या होगा?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) १ अप्रैल, १९६३ से पांच वर्ष के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों में फलों के रोगों पर अनुसंधान की एक योजना बनाई है।

(ख) सुल्तानपुर (कुलु घाटी) में एक योजना बनाई जायेगी और पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमानित व्यय ६०,३०० रुपये है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## पाकिस्तान से रेलवे सम्पर्क

†*४२२. श्री मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने भारत होकर पूर्वी-पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान के बीच सीधा रेलवे सम्पर्क बनाने का प्रश्न उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) और (ख). भारत तथा पाकिस्तान द्वारा असैनिक यातायात (यात्री, पार्सल तथा माल) के रेलवे द्वारा लदान जो उसी देश के एक भाग से दूसरे भाग में अन्य देश से हो कर जायेंगे, की अनुमति दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है परन्तु अब तक मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

## नौवहन टनभार[1]

†*४२३. श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या परिवह तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने नये जहाज़ खरीदने के लिए और अधिक धन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) तीसरी योजना में ३,७५,००० जी आर टी से ५,५०,००० जी आर टी के लक्ष्य पूरे हो जाने के बाद कोई धन नहीं मांगा गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## किसानों को रोज़गार

†*४२४. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में ४ लाख २५ हज़ार किसानों के लिए रोज़गार की व्यवस्था करने की तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने की राजस्थान सरकार की योजना क्या है तथा उस की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) राजस्थान सरकार ने बताया है कि राज्य में ४.२५ लाख किसान हैं और उन को राज्य की कृषियोग्य बेकार पड़ी

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Shipping tonnage.

भूमि के १२२.५ लाख एकड़ क्षेत्र में पुनः बसाया जा सकता है। अनुमानित व्यय लगभग २० करोड़ रुपये होगा।

(ख) क्यों कि काम की प्रगति प्रावास्था भाजित कार्यक्रम पर तथा प्रशासनिक उपलब्ध साधनों पर आधारित होगी राज्य सरकार से बसाये जाने वाले परिवारों की संख्या, बांटे जाने वाले क्षेत्र तथा वर्षवार अनुमानित व्यय तथा पुनः कृष्यकरण और पुनर्वास का प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम बनाये।

## बर्मा से चावल का आयात

†*४२५. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विशन चन्द्र सेठ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्य खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा बर्मा के बीच भारत में बर्मा का २,२५,००० टन चावल आयात करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) और (ख). २५ दिसंबर, १९६२ को भारत तथा बर्मा की सरकारों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे जिस में भारत १-१-६३ से तीन वर्ष तक प्रति वर्ष १.५ लाख टन चावल खरीदेगा। दूसरी तिथि को एक और समझौता हुआ था जिस के अनुसार १९६३ में १.५ लाख टन तथा बर्मा में उपलब्ध चावल की अपेक्षित अतिरिक्त मात्रा मिल सकेगी। बर्मा से चावल की खरीद का तरीका वही रहेगा जो पहले के समझौतों में रहा है।

## ८ डाउन एक्सप्रैस का पटरी से उत्तर जाना

†*४२६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, १९६२ में लकवा और सफरी रेलव स्टशनों के बीच रेलवे की पटरी पर पत्थर रख कर ८ डाउन एक्सप्रेस गाड़ी को पटरी से उतारने का प्रयत्न किए जाने की कोई जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं।

(ख) मामला अभी पुलिस की जांच में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## सड़क परिवहन

†*४२७. श्री महेश्वर नायक :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **परिवसन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आपात के कारण सड़क परिवहन व्यवस्था को यातायात का कितना भार उठाने को कहा गया है ;

(ख) अतिरिक्त भार के लदान के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इस के लिए योजना उपबन्धों से अलग कोई विदेशी सहायता उपलब्ध की गई है ?

**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

### विवरण

(क) यद्यपि आपात्काल के कारण सड़क परिवहन पर अतिरिक्त भार पड़ा है परन्तु यह बताना कठिन है कि कितनी वृद्धि हुई है क्योंकि राज्य सरकारों, जिन पर सड़क परिवहन की प्रशासकीय जिम्मेदारी है ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है ।

(ख) स्थिति को ठीक करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) परिवहन विभाग के अधीन आसाम को अत्यावश्यक सामान के संरक्षन के लिए एक विशेष सड़क परिवहन संगठन स्थापित किया गया है । यह आसाम को रेल है तथा पानी परिवहन का अनुपूरक होगा । इस संगठन ने पचास गाड़ियां ले ली हैं । चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पचास और गाड़ियां ले ली जायेगी । आगामी वित्तीय वर्ष में १००० गाड़ियां लेने का विचार है ।

(२) भारत प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के अधीन आदेश जारी किए गये हैं जिन के अनुसार भारत की प्रतिरक्षा तथा असैनिक प्रतिरक्षा आदि में लग हुए व्यक्तियों तथा गाड़ियों को भार प्रतिबन्धों से मुक्त कर दिया गया है तथा पर्मिट तथा प्रति-हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं है ।

(३) बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आसाम और कुछ अन्य स्थानों की कुछ सड़कों को सुधारने के कार्यक्रम प्राथमिकता के आधार लिया जायेगा ।

(४) ट्रकों, बसों तथा जीपों का निर्माण करने वाली इकाइयों को निर्माण कार्य का विस्तार करने का लाइसेंस दे दिया गया है जिस से तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार उन की स्थापित क्षमता हो जाये । इस कार्य के लिए पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा तथा मोटर गाड़ियों में देसी पुर्जों को बढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) वर्तमान आपात्काल के संबंध में सड़क परिवहन के विकास के लिए योजना उपबन्धों के अतिरिक्त कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध नहीं की गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रोज़ा-हापुड़ रेलवे लाइन

*४२८. श्री प्रे० कृ० खन्ना :
श्री दि० सि० चौधरी :
श्री समनानी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोज़ा-हापुड़ रेलवे लाइन जो जलालाबाद, राजघाट, गंगा और राम गंगा के बीच से हो कर बनाने का प्रस्ताव था, उस का विगत ५० वर्षों में कितनी बार सर्वेक्षण किया जा चुका है ;

(ख) इन सर्वेक्षणों के आधार पर रेलवे मंत्रालय ने उक्त रेलवे लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में क्या निर्णय लिये ; और

(ग) इस रेलवे लाइन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस के कब तक बनने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जलालाबाद, राजघाट, गंगा और राम गंगा के रास्ते रोज़ा-हापुड़ लाइन बनाने के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया ।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता ।

## अलभ्य जड़ी बूटियों का विदोहन

*४२९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई की एक आयरिश फर्म को जिला चमोली उत्तर प्रदेश की अलभ्य जड़ी बूटियों के विदोहन का एकाधिकार दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस एकाधिकार की शर्तों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) सामरिक महत्व के उस सीमावर्ती जिले में एक विदेशी फर्म को यह एकाधिकार देने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

## उपभोक्ता सहकारी स्टोर

†९२२. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में देश में उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) अब तक कितने उपभोक्ता सहकारी स्टोर खोले गये हैं ;

(ग) इस कार्य के लिए कितना धन आवंटित किया गया है ; और

(घ) अब तक कितना धन व्यय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) ५०,००० से अधिक की जनसंख्या वाले महत्त्वपूर्ण नगरों तथा उपनगरों में २०० थोक के स्टोर तथा ४००० प्राथमिक स्टोर-शाखायें खोली गयी हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश, मद्रास, बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम, मैसूर तथा राजस्थान में अब तक १५ सहकारी थोक-केन्द्रीय स्टोर तथा २२९ प्राइमरी-शाखायें खोली गई हैं ।

(ग) समस्त योजना के लिए १० करोड़ रुपये तथा चालू वर्ष के लिए २ करोड़ रुपये ।

(घ) क्योंकि योजना केवल १२-११-६२ तक के लिए स्वीकार की गई थी इसलिए राज्य सरकारों ने अब तक कोई धनराशि नहीं ली है ।

## सहकारी समितियों को चलाने के लिये कर्मचारी

†९२३. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में सहकारी समितियों के चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुमानित आवश्यकता क्या है ;

(ख) उन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये उस समय क्या सुविधायें है ; और

(ग) अब तक कितने व्यक्ति प्रशिक्षित हुए है ?

†**सामुदायक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र)** : (क) तीसरी योजना में सहकारी समितियों को चलाने के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की अनुमानित आवश्यकता ४३,५०० विभागीय तथा संस्थानिक कर्मचारियों की है ।

(ख) कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए ८१ सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र हैं ।

(ग) संबंधित केन्द्रों में पाठ्यक्रम के आरम्भ से मार्च १९६२ के अन्त तक ३५,१२१ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

## धान का प्रति एकड़ उत्पादन

†९२४. **श्री इम्बीचिबावा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में धान की प्रति एकड़ बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) देश में इस समय औसतन प्रति एकड़ उत्पादन कितना है ; और

(ग) राज्यवार अलग अलग आंकड़े क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम जैसे बड़े, मध्यम तथा छोटे सिंचाई कार्यों का विस्तार, उर्वरक, खाद्य, अच्छे बीज के प्रयोग में वृद्धि तथा पौदा संरक्षण कार्यों, अच्छे औजार, सुधरे हुए खेती करने के तरीके तथा विस्तार एजेंसी के द्वारा प्रविधिक सहायता आदि चावल का उत्पादन बढ़ाने के

†मूल अंग्रेजी में

काम आते हैं। कृषि जलवायु की दशा के आधार पर कृषि विकास के सामान्य कार्यक्रम जो बढ़ते हुए धान, उत्पादन आंकड़े तथा फालतू धान के विपणन के लिए लाभदायक है, के अतिरिक्त ४० जिलों को चुना गया है तथा संबंधित राज्यों से कहा गया है कि खरीफ १९६३ के आरम्भ से योजना के शेष वर्षों में इन चुन गए जिलों में चावल की विस्तृत खेती का कार्यक्रम बनायें।

तीसरी योजना में सभी राज्यों (राजस्थान के अतिरिक्त) तथा हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र में चावल के अनुसंधान के लिए सेंट्रल रीजनल स्टेशन तथा सब स्टेशन की स्थापना की समन्वित योजना बनाई गई है तथा तीसरी योजना के क्रियान्विविति के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों में परिचालित की गई है। नस्ल सुधारने, भूमि तथा उर्वरक, रोग तथा नाशिकीटों अन्य ३८ चावल अनुसंधान योजनाओं में से कई से अच्छे परिणाम निकले हैं जिनकी किसानों में प्रचार की सिफारिश विस्तार एजेन्सी से की गई है

(ख) और (ग). भारत में प्रति एकड़ चावल की उपज दिखाने वाला विवरण संबंध है। इसमें (अखिल भारतीय तथा राज्यवार) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ के वर्षों के आंकड़े हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ७०६ / ६३]**

## चावल का उत्पादन

†१२५. **श्री इम्बीचिबावा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना में चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार का क्या विचार है ;

(ख) क्या इन कारणों के परिणामस्वरूप उत्पादन बढ़ाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ;

(घ) देश में चावल की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता क्या है ; और

(ङ) इस समय कुल वार्षिक उत्पादन कितना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह):** (क) देश में कृषि उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम जैसे बड़े, मध्यम तथा छोटे सिंचाई कार्यों का विस्तार, उर्वरक, खाद, अच्चे बीज के प्रयोग में वृद्धि तथा पौदा संरक्षण कार्यों, अच्छे औजार, सुधरे हुए खेती करने के तरीके तथा विस्तार एजेन्सी के द्वारा प्रविधिक सहायता आदि चावल का उत्पादन बढ़ाने के काम आते हैं। कृषि जलवायु की दशा के आधार पर कृषि विकास के सामान्य कार्यक्रम जो बढ़ते हुए धान, उत्पादन आंकड़े तथा फालतू धान के विपणन आदि के लिए लाभदायक हैं के अतिरिक्त ४० जिलों को चुना गया है तथा संबंधित राज्यों से कहा गया है कि खरीफ १९६३ के आरंभ से योजना के शेष वर्षों में इन चुने गए जिलों में चावल की विस्तृत खेती का कार्यक्रम बनायें।

तीसरी योजना में सभी राज्यों (राजस्थान के अतिरिक्त) तथा हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्रों में चावल के अनुसंधान के लिए सेंट्रल रीजनल स्टेशन तथा सब स्टेशन की स्थापना की समन्वित योजना बनाई गई है तथा तीसरी योजना में क्रियान्विति के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों में परिचालित की गई है। नस्ल सुधारने, भूमि तथा उर्वरक, रोग तथा नाशिकीटों की अन्य ३८ चावल अनुसंधान योजनाओं में से कई में अच्छे परिणाम निकले हैं जिनकी किसानों

†मूल अंग्रेजी में

में प्रचार की सिफारिश विस्तार से एजेंसी से की गई हैं। इसके अतिरिक्त चावल का उत्पादन बढ़ाने का इरादा बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने दिसम्बर, १६६२ में चावल के उत्पादन वाले राज्यों में औसतन अच्छे किस्म के सफेद चावल के समाहार मूल्य निश्चित किए हैं।

(ख) और (ग). जी हां। १६५८–५६ में चावल का उत्पादन ३०३ लाख ५ हजार टन बढ़ जाने का अनुमान है।

(घ) भारत के समान विकासवान अर्थव्यवस्था वाले देश में चावल जैसे खाद्यान्न की उपभोक्ता आवश्यकता का वार्षिक अनुमान लगाना बड़ा कठिन है।

(ङ) १६६१–६२ के लिए चावल उत्पादन का आखिल भारतीय अन्तिम अनुमान ३३६ लाख १० हजार टन है।

## स्कूटर रिक्शा के लिये टैक्सी की तरह के मीटर

†१६२६. **श्री बाल्मीकी :**
**श्री यशपाल सिंह :**

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि देश में स्कूटर रिक्शा के लिए टैक्सी की तरह के मीटर उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जिससे दिल्ली में स्कूटरों में यह मीटर लगाये जायें और अधिक किराया लेने का कदाचार रोका जाये तथा जनता को असुविधा न हो?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राम बहादुर)** : (क) देश में स्कटर रिक्शा के सीमित मीटर उपलब्ध हैं।

(ख) राज्य परिवहन अधिकारी, दिल्ली ने निर्णय कर लिया है कि स्कूटर रिक्शा के लिए नये पर्मिट तभी जारी किए जायेंगे जब बाड़ियों में किराये के मीटर लगे होंगे। वर्तमान स्कूटर रिक्शा में किराये के मीटर लगानें के प्रश्न पर अधिकारी विचार कर रहे हैं। इस आवश्यकता को निर्धारित करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इसका पता लगाया जाय कि पर्याप्त मीटर उपलब्ध हैं। दिल्ली में इस समय ३,५०० स्कूटर रिक्शा हैं परन्तु दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई जांच से पता लगता है कि लगभग १२०० मीटरों का भारत में आयात हुआ है। प्रशासन आयात किए गए अतिरिक्त मीटरों के मिलने की संभावना की जांच कर रही है।

## गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास

†१६२७. **श्रीमती विमला देवी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास करने के संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कितना धन व्यय किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मूलत: भारत सरकार का विचार २० अतिरिक्त मछली पकड़ने के जहाज लेने का है जिससे गहरे समुद्र में तथा तट के निकट मछली पकड़ने के वर्तमान केन्द्रों को शक्तिशाली बनाया जाये तथा वैरावल, मंगलौर, परादीप और पोर्टब्लेयर में चार नये केन्द्र खोले जायें। वैरावल तथा मंगलौर के केन्द्रों ने वर्तमान जहाजों से काम आरंभ कर दिया है। एक ट्रालर बनाने का आर्डर दे दिया गया है और ट्रालर लेने का प्रश्न विचाराधीन है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इनको नहीं लिया जा सका है।

(ख) भारत सरकार के गहरे समुद्र तथा तट पर मछली पकड़ने वाले संगठन द्वारा नये तथा उत्तम मछली पकड़ने के स्थानों को ढूंढ़ निकाला है और इसी कारण गत दो वर्षों में गैर सरकारी उद्योग ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ना शुरू कर दिया है।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में १,६८,६०० रुपये व्यय हुए हैं।

## गोदामों का निर्माण

†९२८. { श्री मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्यान्नों का भांडार बनाने के लिए सरकार का गोदामों के निर्माण का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो १९६३ में विभिन्न राज्यों में कितने गोदाम बनाये जायेंगे?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): (क) जी हां।

(क) विभिन्न राज्यों में १९६३ में सरकारी गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम नीचे दिया जाता है:

| राज्य | भी० टनों की '००० क्षमता | गोदामो की अनुमानित संख्या |
|---|---|---|
| १. आंध्र प्रदेश | ८.८४ | ३ |
| २. आसाम | ६.६० | ३ |
| ३. बिहार | ३०.५८ | ८ |
| ४. दिल्ली | १९.८१ | ५ |
| ५. गुजरात | ५.०८ | १ |
| ६. केरल | १०.१६ | २ |
| ७. मद्रास | २६.१६ | ८ |
| ८. महाराष्ट्र | ११७.१८ | २८ |
| ९. पंजाब | १७.७८ | ४ |
| १०. उत्तर प्रदेश | ६८.१७ | २२ |
| ११. पश्चिम बंगाल . . . | ५४.१५ | १३ |
| जोड़ . . | ३६४.५१ | ९७ |

†मूल अंग्रेजी में

## उर्वरक के मूल्य

†६२६. **श्री द० ब० राजू** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० ए० एन० उर्वरक के हाल में ही मूल्य कम करने से इस उर्वरक की बिक्री में वृद्धि हो गयी है; और

(ख) देश में उर्वरक के कितने प्रदर्शन हुए हैं क्या उनमें से कितने सी० ए० एन० उर्वरक के प्रचार के लिए हैं?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) जी हां।

(ख) १६५४–५५ से १६६१–६२ के बीच देश में ११.३ लाख प्रदर्शन उर्वरक के हुए हैं। इनमें से ६३ हजार प्रदर्शन कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के हुए हैं। कैल्सियम अमोनियम नाइट्रेट के प्रदर्शन १६५७–५८ में आरंभ किए गए थे।

## रेलवे में गत्यावरोध

†६३०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत सितम्बर में नेफा में जब लड़ाई छिड़ी थी तो रेलवे को कुछ गत्यावरोधों का सामना करना पड़ा था; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे को प्रतिरक्षा आवश्यकताओं और असैनिक संभरण की पूर्ति, विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में, के लिये तैयार करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

## एयर इंडिया बोईंग ७०७ की दुर्घटना

†६३१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १ दिसम्बर, १६६२ को सान्ताक्रूज हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग विमान में आग लगने के संबंध में जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

**मंगलौर प्रकाशस्तंभ**

†९३२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर का देश के पश्चिमी समुद्री तट पर एक बड़े पत्तन के रूप में विकास किये जाने की दृष्टि से वहां कोई प्रकाशस्तंभ बनाने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). मंगलौर में एक नया प्रकाश स्तंभ बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**नई दिल्ली में राष्ट्रीय गुलाब उद्यान**

†९३३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में सफदरजंग रोड के पास एक राष्ट्रीय गुलाब उद्यान बनाने का विचार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये भारतीय कृषि गवेषणा संस्था ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** (क) जी हां। ज्ञात हुआ है कि नेशनल रोज सोसाइटी आफ इंडिया, जो एक गैर-सरकारी निकाय है, उसके बनाने का विचार कर रही है।

(ख) भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली की सहायता यह होगी कि वह कीमत पर गुलाब के पौधे उपलब्ध करेगी।

**मुजफ्फरपुर में रेलवे की इमारत**

†९३४. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे ने आर० टी० एस० आफिस के लिये मुजफ्फरपुर (बिहार) में एक बड़ी इमारत बनाई है ;

(ख) उस कार्यालय के वहां न ले जाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) वह इमारत इस समय किस काम में लाई जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्रादेशिक कार्यालय की न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के लिये मुजफ्फरपुर में एक इमारत बनाई गई थी।

(ख) दिसम्बर, १९५७ तक प्रादेशिक कार्यालय मुजफ्फरपुर में ही था। १९५८ में पूर्वोत्तर रेलवे के दो जोन अर्थात् पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में विभाजन के पश्चात् प्रादेशिक कार्य प्रणाली खत्म कर दी गई।

(ग) इस समय उस इमारत में निम्नांकित कार्यालय हैं :

(१) डिस्ट्रिक्ट सिगनल एण्ड टेली-कम्यूनिकेशन इंजीनियर का कार्यालय।

(२) सहायक सुरक्षा अधिकारी का कार्यालय।

(३) डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का कार्यालय।

(४) कर्मचारी प्रशिक्षण स्कूल।

(५) वायरलेस आफिस।

## पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय

†९३५. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
**श्री बालगोविन्द वर्मा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर स्थित मुख्यालय को भारत में कहीं अन्यत्र ले जाने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कौन सा स्थान चुना गया है ;

(ग) यह परिवर्तन कब तक हो जाने की आशा है ; और

(घ) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

## पालियाकलां में चीनी का कारखाना

†९३६. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोला गोकरणनाथ (खेरी) ने १६ जून, १९६२ तक २ करोड़ ८ लाख मन गन्ना पेरा था ;

(ख) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पालियाकलां और सम्पूरन नगर की गन्ना विकास यूनियनों ने उक्त कारखाने को १ करोड़ मन से अधिक गन्ना दिया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि पालियाकलां और सम्पूरन नगर क्षेत्र का लगभग ६ लाख मन गन्ना बिना पिरै रह गया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उसी कारखाने के प्रबन्धकों अथवा किसी अन्य उद्योगपति अथवा स्वयं किसानों द्वारा बनाई जाने वाली सहकारी समिति को पालिया कलां में एक कारखाना खोलने के लिए लाइसेंस देने का विचार कर रही है जिससे कि भविष्य में किसानों को हानि न हो ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस )** : (क) हां, श्रीमान् । कारखाने ने १६ जून, १९६२ तक नहीं वरन् १६ जुलाई, १९६२ तक ८ लाख मन गन्ना पेरा था ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) गोला स्थित कारखाने के जुलाई, १९६२ में बन्द होने के पूर्व उन क्षेत्रों का समस्त उपलब्ध गन्ना पेरा जा चुका था ।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

## पालियाकलां रेलवे स्टेशन की सड़क

†९३७. **श्री बालगोविन्द वर्मा :**
**श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे के पालियाकलां स्टेशन की सीमा के अन्तर्गत स्थित सड़क की दशा बहुत खराब है ;

(ख) यदि हां, तो यह सड़क कब तक बनवा दी जायेगी ; और

(ग) क्या सरकार का इस सड़क को पालियाकलां की टाउन एरिया अथॉरिटी, जो उसे ग्रहण करने और बनवाने के लिये तैयार है, को हस्तांतरित करने का कोई विचार है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी )** : (क) गन्ने के मौसम में सड़क पर बहुत अधिक यातायात रहने के कारण हाल में उसकी दशा खराब हो गई है ।

(ख) चूंकि सड़क पूर्ण मरम्मत करने के लिये गन्ने के मौसम में यातायात को व्यपवर्तित करना संभव नहीं है, इसलिये ऐसी मरम्मत जून, १९६३ के बाद की जायेगी ।

(ग) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि पालियाकलां की टाउन एरिया अथॉरिटी उस सड़क की देखभाल का काम संभालने के लिये तैयार है । जब इस प्रकार की प्रार्थना आयेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे क्योंकि उस सड़क का प्रयोग साधारण जनता ही अधिक करती है ।

## कालीकट में लोको-शेड

†९३८. **श्री कोया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालीकट के लोको-शेड को तोड़ देने का विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

**विवरण**

(क) जी हां ।

(ख) कारण निम्नलिखित हैं :

(१) कालीकट के लोकोशेड, जो लगभग ६० वर्ष पूर्व बनाया गया था, का कुछ भाग गिरा देना पड़ा क्योंकि अप्रैल, १९६१ के तूफान में वह क्षतिग्रस्त हो गया था ।

(२) इस शेड में आई० आर० एस० इंजनों से पहले के हल्के किस्म के इंजन रखे जा रहे हैं। कालीकट और मंगलौर के बीच ९० पौंड की बड़ी लाइन की स्टेंडर्ड पटरियां डल जाने से इस सेक्शन पर आई० आर० एस० के स्टेंडर्ड इंजन चलेंगे । शोरानूर के शेड, जिसमें परिवर्तन किया जा रहा है, में आई० आर० एस० अर्थात् 'डब्लू० पी०' और डब्लू जी०' टाइप के इंजन रखे जायेंगे और शोरानूर से मंगलौर तक इन आधुनिक इंजनों को कम खर्च पर चलाया जा सकेगा ।

(३) कालीकट का पानी लोको में काम लाये जाने के लिये उपयुक्त नहीं है और गर्मी के महीनों में कम भी पड़ जाता है ।

**सड़कों का निर्माण**

†१३९. **श्री सुबोध हंसदा :**
**श्री स० चं० सामन्त :**
**श्री ब० कु० दास :**

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान संकट के कारण देश भर में सड़कों के निर्माण को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है ;

(ख) यह प्राथमिकता किन सड़कों को दी गई है ; और

(ग) योजना आवंटनों के अतिरिक्त और कितनी राशि स्वीकार की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) से (ग). जी हां । बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम राज्यों में तथा देश के कुछ अन्य भागों में मार्गों का सुधार करने का प्रोग्राम उच्चतम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया गया है ताकि वर्तमान संकट का सामना किया जा सके । अनुमान है कि इन सुधार कार्यों पर लगभग ४ करोड़ रुपया व्यय होंगे ।

**खुर्दा डिविजन में तांबे के तारों की चोरी**

†१४०. **श्री गो० महन्ती:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के खुर्दा डिविज़न में तांबे के तारों की चोरी बढ़ रही है ; और

(ख) घटनायें बार बार कहां कहां होती हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** (क) जी नहीं ।

(ख) अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र निम्न हैं :—

(१) निरगण्डो-केन्द्रपाड़ा सड़क

(२) वाईरंग-कपिलास सड़क

(३) चारबटिया-चगन

(४) वालीकुदा-वरंग

(५) जेनापुर-गढ़ माधोपुर

## खाद्य उत्पादन के लक्ष्य

†९४१. **श्री अ० क० गोपालन :**
**श्री प० कुन्हन :**
**श्रीमती विमला देवी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान संकट का ध्यान रख कर केन्द्र ने खाद्य उत्पादन के कोई संशोधित लक्ष्य निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, उनका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इन संशोधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा०राम सुभग सिंह)** :(क) और (ख). खाद्य उत्पादन के कोई संशोधित लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । फिर भी, विकास प्रोग्रामों की गति बढ़ाई जा रही है ताकि चावल, ज्वार बाजरा आदि और दालों का उत्पादन तत्काल बढ़ाया जा सके ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद् के निश्चयानुसार तीसरी योजना के छोटी सिंचाई और भूमि संरक्षण सम्बन्धी लक्ष्यों में ५०प्रतिशत वृद्धि की जा रही है और शुष्क कृषि २२० लाख एकड़ से बढ़ा कर ५०० लाख एकड़ की जा रही है । उर्वरकों, सुधरे बीजों, कृमिनाशक औषधियों और ऋण की उपलब्धि सम्बन्धी वितरण प्रबन्ध बढ़ाये जा रहे हैं । चावल, ज्वार, बाजरा, आदि और दालों पर 'पैकेज प्रोग्राम' दृष्टिकोण सरल ढंग से लागू किया जा रहा है और राज्य सरकारों से कुछ चुने हुए अनुकूल क्षेत्रों में ये कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है ।

## गोदाम सुविधायें

†९४२. **श्री रा० गि० दुबे :**
**श्री विश्राम प्रसाद :**
**श्री इम्बीचिबाबा :**

क्या **सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सहकारी स्टोरों के लिए अधिक उपलब्धि की व्यवस्था करने के लिए देश भर में गोदाम-सुविधायें बढ़ाने के लिये क्या कायवाही की है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या तालुकों में भी गोदाम सुविधायें देने का कोई विचार है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) केन्द्रीय द्वारा चलाई गई योजनाओं के अन्तर्गत २०० थोक स्टोरों में से प्रत्येक को गोदाम बनाने के लिये लगभग ५०,००० रु० की दर से वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(ख) नहीं, श्रीमान्। हाल में चलाई गई योजना ५०,००० से अधिक जन संख्या वाले कस्बों तथा नगरों तक ही सीमित है।

## मथुरा छावनी स्टेशन पर पीने का पानी

६४३. **श्री दि० सिं० चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन पर, जहां देश के लाखों यात्री आते हैं, पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) मथुरा छावनी स्टेशन पर यात्रियों को पीने के पानी देने की पर्याप्त व्यवस्था है :

(ख) सवाल नहीं उठता।

## चावल का मूल्य

६४४. **श्री ह० च० सोय :**
**श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चावल खण्ड बनाने और ऐसे प्रत्येक खण्ड के लिये चावल का मूल्य निर्धारित करने की सरकार की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्धारण का क्या आधार है ; और

(ग) बिहार और उड़ीसा क्षेत्र से आने वाले खण्ड में कितना मूल्य निर्धारित किया गया है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ख) चावल खण्ड तो पहिले से ही विद्यमान है। अतः उन्हें बनाने का प्रश्न नहीं है। प्रत्येक खण्ड में मूल्य निर्धारित करने का कोई विचार नहीं है।

(ग) बिहार तथा उड़ीसा एक चावल खण्ड में नहीं है।

## खाद्य उत्पादन

†६४५. **श्री ह० च० सोय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनन तथा अन्य औद्योगिक कार्यों के लिये उत्तरोत्तर बड़े पैमाने पर भूमि अर्जन से गहरा असन्तुलन उत्पन्न हो गया है और खाद्य उत्पादन पर उस का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो असन्तुलन मिटाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : सूचना राज्य सरकारों से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी ।

## उत्तर प्रदेश में भूमि को खेती योग्य बनाना

९४६. **श्री भक्त दर्शन:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री १३ नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैनपुरी जिले में ऊसर भूमि को खती योग्य बनाने तथा बन्दोबस्त के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भेजी गई योजना के विषय में क्या निर्णय किया गया है;

(ख) क्या जंगल तथा झाड़ियों वाली भूमि को खेती योग्य बनाने सम्बन्धी योजना, जिस के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को सुझाव दिया गया था, इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त भाग (ख) में उल्लिखित योजना की रुपरेखा क्या है; और

(घ) उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) राज्य सरकार ने जो योजना बना कर भेजी है उस पर भारी खर्च होगा, अर्थात् लगभग ११,७५० रुपये प्रति परिवार। अतः राज्य सरकार से कहा गया है कि वह एक संशोधित तथा कम खर्च वाली योजना बनाय ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

## दिल्ली की रिंग रोड पर दुर्घटनायें

९४७. **श्री भक्त दर्शन:** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिंग रोड (साउथ दिल्ली) पर एण्ड्रूजगंज कालोनी के मुख्य चौराहें पर गकुछ महीनों में कई घातक मोटर दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः महीनों में उक्त चौराहों पर कितनी दुर्घटनायें हुई; और

(ग) ऐसी दुर्घटनाओं को रोकन के लिये क्या किया जा रहा है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) एण्ड्रूज-गंज कालोनी से रिंग रोड में कोई मुख्य चौराहा नहीं हैं और सड़क के इस टुकड़ पर एण्ड्रज गंज कालोनी के नजदीक पिछले छः महीनों से कोई घातक दुर्घटनायें नहीं हुई हैं । परन्तु छः छोटी दुर्घटनायें हुई थी जिन में से दो दुर्घटनाओं में मामूली चोटें लगी थीं । शेष चार दुर्घटनाओं में केवल टक्करें हुईं जिन में कोई शारीरिक चोट नहां लगी ।

(ग) सड़क पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) यातायात नियमों को लागू करन के लिये कभी कभी मोबायल ट्रैफिक के सिपाही तनात किये जाते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) गाड़ी को तेज गति से चलाने की ड्राइवरों की प्रवृत्ति को रोकने के लिय बहुधा गति की जांच विशेष रुप से की जाती है ।

(३) स्थानीय प्राधिकारियों से निवेदन किया गया है कि समस्त रिंग रोड पर और विशेष कर उन स्थानों पर जहां वह घनी बस्ती से हो कर जाती हैं, सड़क की रोशनी में सुधार किया जाये; और

(४) सड़क को चौड़ी करने, अलहदा साइकिल मार्ग बनाने और महत्वपूर्ण टी-प्वाइंटों और सड़क के अन्य चौराहों पर अतिरिक्त यातायात कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था के प्रस्तावों को दिल्ली प्रशासन ने अन्तिम रुप दे दिया है ।

## गन्ना मूल्य सम्बन्धन सूत्र[1]

†१४८. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश को गन्ना उत्पादकों को केन्द्रके नय मूल्य सम्बन्धन सूत्र के कारण लगभग ९० लाख रु० की हानि हुई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने विचार करने के लिये यह मामला केन्द्र के पास भेजा है; और

(ग) सरकार नें इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को पिछले वर्ष की अपेक्षा औसत में ३ नये पैसे मन कम मिलेंगे । कुल हानि इस पर निर्भर होगी कि कारखाने कितना गन्ना खरीदते हैं ।

(ख) और (ग) मूल्य सम्बन्धन का नया सूत्र राज्य सरकारों के परामर्श से स्वीकार किया गया था ।

## वन सर्वेक्षण

†१४९. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री वारियर :
श्री इम्बीचिबावा :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में वनों का प्रस्तावित सर्वेक्षण आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो देर होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सर्वेक्षण कार्य में भारत को सहायता देने के लिये संयुक्त राष्ट्र सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र कैसी और कितनी सहायता देगी ?

---

†मूल अंग्रजी में

[1] Sugar price Linking formula

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता लेने के लिये वर्ष १९६० में वन संसाधनों का पूर्व विनियोजन सर्वेक्षण के लिये बनाई गई परियोजना कुल १२७ लाख रु० के व्यय की थी जो तीन वर्ष में होता। इस राशि में से लगभग ३० लाख रु० विदेशी विशेषज्ञों तथा सामान, बीज, प्रशिक्षण के लिये छात्र वृत्तियां तथा विदेशों में औद्योगिक प्रयोगों पर व्यय होना था। परियोजना अगस्त, १९६१ में संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि प्राधिकारियों को भेजी गई थी तबसे निधि का मुख्यालय इस का मूल्यांकन कर रहा है। सितम्बर, १९६२ में निधि के मुख्यालय ने परियोजना पर आगे विचार विमर्श करने के लिये एक मूल्यांकन मिशन भारत भेजा था। मिशन के सुझावों के आधार पर परियोजना में संशोधन कर दिया गया है और वह निधि को भेज दी गई है। अब ३½ वर्ष में कुल १३६.५८ लाख रु० व्यय होने का अनुमान है जिस में से ३९.०९ लाख रु० की सहायता ५ टैक्निकल विशेषज्ञों, हैलीकाप्टरों सहित सामान, छात्रवृत्तियों, बीज तथा बांस पर औद्योगिक प्रयोगों पर व्यय होने के लिये निधि से मांगी गई है। आशा है कि निधि की मई, १९६३ की बैठक में परियोजना पर विचार किया जाये।

## केरल में मीन क्षेत्रों का विकास

†९५०. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री वारियर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने तीसरी योजना काल में अपने राज्य में मीन क्षत्रों के विकास के लिये कैसी और कितनी सहायता मांगी है;

(ख) अब तक कैसी और कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) सहायता किन योजनाओं के लिए मांगी गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) : (क) और (ग). केरल सरकार ने हाल में भारत सरकार से प्रार्थना की है कि योजना में उपबन्धित सहायता के लिए अतिरिक्त निम्न योजनाओं के लिए ३७ लाख रु० की और सहायता दी जाये :—

(१) मछली पकड़ने के जहाज़ों का यंत्रीकरण

(२) स्वदेशी जहाज़ों की उपलब्धि

(३) मछली पकड़ने की मिश्रित डोरी की उपलब्धि।

(ख) केरल सरकार को मीन क्षेत्रों का विकास करने के लिए तीसरी योजना काल में ४५० लाख रु० आवंटित किये गये हैं। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत ढंग से राज्य को केन्द्रीय सहायता भी दी जा रही है। राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इससे पहिले कि मछली पकड़ने के जहाज़ों के यंत्रीकरण और मछली पकड़ने की डोरों की उपलब्धि जैसी योजनाओं के लिए और सहायता देने पर विचार किया जाये, राज्य सरकार को योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने चाहियें। स्वदेशीय जहाज़ों की उपलब्धि के बारे में, भारत सरकार ने सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में विस्तृत मत्स्य उत्पादन की योजना बनाई है जिसमें अन्य बातों के साथ मछेरों को स्वदेशी

†मूल अंग्रजी में

जहाज़ और गीयर की उपलब्धि शामिल है ताकि वे मत्स्य उत्पादन बढ़ा सकें । भारत सरकार इस योजना के लिए ७५ प्रतिशत ऋण और २५ प्रतिशत आर्थिक सहायता देगी । केरल सरकार को कोई खण्ड दे दिया जायेगा और योजना से भी लाभ होगा ।

### केरल में छोटे बन्दरगाह

†९५१. { श्री वारियर :
श्री इम्बीचिबावा :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री ७ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में छोटे बन्दरगाहों का विकास कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय मे नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर ) : (क) और (ख). केरल में छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केरल सरकार कार्यवाही कर रही है । राज्य सरकार से यह सुनिश्चित कर लिया गया है कि सितम्बर, १९६२ तक केन्द्रीय सरकार से जिन योजनाओं के लिए ऋण मिला है उन पर २.६ लाख रु० और जिन के लिए राज्य सरकारों से वित्त जुटाया गया है उन पर १.७२ लाख रु० तीसरी योजना काल में व्यय हुआ है ।

### राष्ट्रीय राजपथ

†९५२. श्री मोहसिन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने बैंगलोर-मैसूर-मेरकारा-मंगलौर सड़क और बैंगलोर-मैसूर-ऊटी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ मानने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार का क्या निश्चय है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). बैंगलोर-मैसूर-ऊटी सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के लिए मैसूर सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है फिर भी, राज्य सरकार ने कुछ समय पहिले बैंगलोर-मैसूर-मेरकारा-मंगलौर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने का सुझाव दिया था । यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सका है क्योंकि तीसरी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था का विस्तार करने के लिए धन उपलब्ध नहीं है ।

### राष्ट्रीय राजपथ

†९५३. श्री मोहसिन : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार ने गोआ से बेलगांव और गोआ से धारवाड़ तक राष्ट्रीय राजपथ बनाने का सुझाव दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार का क्या निश्चय है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर )** : (क) और (ख). कुछ समय पहिले मैसूर सरकार ने धारवाड़–अनमौद–पंजिम (गोआ) सड़क को राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था में शामिल करने का सुझाव दिया था। प्रार्थना पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तीसरी पंच वर्षीय योजना में राष्ट्रीय राजपथ व्यवस्था के विस्तार के लिए धन उपलब्ध नहीं है। बेलगांव से गोआ तक राष्ट्रीय राजपथ बनाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

## खाद्यान्न ले जाने के लिये वैगन

†१५४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६२ के दूसरे सप्ताह के बाद अब तक रेलों के सभी खण्डों में खाद्यान्न को ले जाने के लिए कितने वैगन नियत हुए हैं;

(ख) उपरोक्त काल में रेलों ने कितना खाद्यान्न ढोया; और

(ग) इस पर कितना भाड़ा मिला ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

## विमान परिवहन

†१५५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे विमान परिवहन अर्थात् एयर इण्डिया और इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन का परिवहन-क्षमता कम है;

(ख) वर्तमान और अगले वर्ष की कितनी मांग है और उसे पूरा करने के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है; और

(ग) कितने विमानों की खरीद की बात अन्तिम रूप से निश्चित हो गई है या विचाराधीन है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) इण्डियन एयर लाइन्स के वायु मार्गों पर विमानों की कमी है परन्तु एयर इण्डिया के मार्गों पर विमानों की कमी नहीं है ।

(ख) और (ग). इण्डियन ऐयरलाइन्स ने अनुमान लगाया है कि वर्ष १९६३-६४ में यातायात में वर्ष १९६२-६३ की अपेक्षा लगभग २० प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। अधिक विमान उपलब्ध करने के लिए तीन पुराने वाईकाउन्ट विमान खरीदने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। जेट विमान खरीदने का कारपोरेशन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ताकि उन्हें ट्रंक मार्गों पर प्रयोग किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक एयर इण्डिया का सम्बन्ध है, वर्ष १९६४–६५ में और उसके बाद अधिक यातायात को पूरा करने के लिए अधिक जेट विमान खरीदने का प्रश्न कारपोरेशन के विचाराधीन है ।

## वेस्ट जर्मन लुफ्तहंस एयरलाइन्स

†१५६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट जर्मन लुफ्टहंस एयरलाइन्स ने अपनी विमान सेवा भारत तक बढ़ाने और नई दिल्ली तक अपने विमानों को आने देने की अनुमति मांगी है;

(ख) प्रार्थना की क्या सम्भावनायें हैं और इस मामले पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) नई दिल्ली तक कौन कौन विदेशी सेवायें आती हैं और अनुमति किन शर्तों पर दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन )** : (क) हां, श्रीमान् । प्रार्थना उनकी एक विद्यमान सेवा को नई दिल्ली होकर जाने की अनुमति देने के लिए है ।

(ख) प्रत्येक विदेशी अन्तर्राष्ट्रीय सेवा का मार्ग बदलने का भारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे अनेक देशों के साथ द्वि-पक्षीय करार का भाग होती हैं ।

(ग) निम्नलिखित विदेशी एयरलाइन्स की विमान सेवायें नई दिल्ली तक होकर जाती हैं :—

१. एयरोफ्लाट
२. एयर फ्रांस
३. एरियाना अफगान एयर लाइन्स
४. ब्रिटिश ओवरसीज़ एयरवेज कारपोरेशन
५. के० एल० एम० रायल डच एयर लाइन्स
६. पाकिस्तान इन्टरनेशनल एयर लाइन्स कारपोरेशन
७. पान अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज
८. क्वान्टाज एम्पायर एयरवेज
९. इराकी एयरवेज, और
१०. रायल नेपाल एयर लाइन्स कारपोरेशन ।

रायल नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन के अतिरिक्त उपरोक्त सभी एयरलाइन्स पर भारत और सम्बन्धित देशों के बीच द्विपक्षीय करार लागू होते हैं । रायल नेपाल एयरलाइन्स कारपोरेशन को एतदर्श आधार पर अस्थायी रूप में भारत तक विमान सेवा चलाने का प्राधिकार दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## मूंगफली का मूल्य

†९५७. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली के मूल्य में भारी गिरावट आ गई है जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों को बड़ी कठिनाई हो गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि मूंगफली का मूल्य लगभग वही है ; और

(ग) मूंगफली के मूल्यों को स्थिर बनाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) मद्रास मूंगफली की मांग का मूल्य लगभग ८५ रु० प्रति क्विंटल है जब कि दिसम्बर, १९६१ के अन्त में यह मूल्य ८५.७५ रु० था। बम्बई में ये मूल्य ७९ रु० और ९१.५० रु० हैं।

(ख) मद्रास में, मूंगफली के तेल के वर्तमान मूल्य लगभग १६२.०० रु० प्रति क्विन्टल है जब कि यह मूल्य दिसम्बर, १९६१ के अन्त में १७२.६० रु० था। बम्बई में ये मूल्य १६७.५० और १८९.०० रु० हैं।

(ग) कोई विशेष कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

## जीपों का प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपा जाना

९५८. **श्री राम सेवक यादव** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के सामने ऐसी कोई योजना है कि चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये विकास खंडों की जीप गाड़ियां प्रतिरक्षा मंत्रालय को दे दी जायें ;

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

**सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) से (ग). राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे समस्त उपलब्ध गाड़ियों को जिला व खंड स्तर पर इकट्ठा (पूल) करें और उनका उचित प्रयोग करें, ताकि अनिवार्य असैनिक आवश्यकताओं, जिनमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकतायें भी शामिल है, को पूरा किया जा सके। फालतू जीप गाड़ियां रक्षा प्रयत्नों के लिये सुलभ की जानी हैं। इससे अधिक ब्योरा देना जन-हित के अनुकूल नहीं होगा।

## तेजपुर के रेलवे कर्मचारियों को अग्रिम वेतन दिया जाना

९५९. **श्री राम सेवक यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेजपुर (असम) में रेलवे अधिकारियों ने नवम्बर के महीने म यह के रेलवे कर्मचारियों को तीन महीने का वेतन अगाऊ दे दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

**पश्चिम रेलवे में माल का बुकिंग**

९६०. **श्री राम सेवक यादव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे में १५ फरवरी, १९६२ से २८ सितम्बर, १९६२ तक माल की बुकिंग बन्द कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या गैर सरकारी व्यक्तियों का माल रायगढ़ (मध्य प्रदेश) से उपरोक्त अवधि में बुक किया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो किन तारीखों को और क्या क्या माल बुक किया गया था और वह किन व्यक्तियों का था ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) सूचना मंगायी जा रही है और लोक-सभा पटल पर शीघ्र रख दी जायेगी ।

**रायगढ़ की गल्ले की फर्मों द्वारा चावल का निर्यात**

९६१. **श्री राम सेवक यादव** :
**श्री हरि विष्णु कामत** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायगढ़ के गल्ले की फर्मों के विरुद्ध इस आशय की कोई शिकायत मिली है कि वे अच्छी किसम का हजारों मन चावल रिजर्व जोन के बाहर इस बहाने की आड़ लेकर भेजते हैं कि वह घटिया किस्म का और टूटा हुआ चावल है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन फर्मों ने सरकार को देय उप-कर भी नहीं दिया हैं, और यदि हां, तो उसे वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) रायगढ़ की केवल एक फर्म के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश से सिलीगुरी (पश्चिमी बंगाल) को टोटा चावल के अनुज्ञा पत्र (परमिट) की आड़ लेकर साबत किस्म का चावल भेजा ।

(ख) मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल सरकार इस मामले की छानबीन कर रही है ।

(ग) फर्म ने सरकार को देय उपकर दे दिया है ।

**मद्रास के रेलवे सुरक्षाबल द्वारा गोली चलाना**

†९६२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ दिसम्बर, १९६२ को मद्रास में वाशरमेन पेट फाटक के पास रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने छः व्यक्तियों पर गोली चलाई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोली चलने से एक व्यक्ति मारा गया ;

(ग) गोली क्यों चलाई गई ; और

(घ) क्या जांच पड़ताल हो रही है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) हां, परन्तु मामले में अपराधी पांच व्यक्ति थे ।

(ख) जी हां ।

(ग) रक्षकों ने आत्मरक्षा में गोली चलाई ।

(घ) पुलिस ने संबंधित अपराधियों के खिलाफ जो इस डकैती में शामिल थे, जांच पड़ताल की और कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें अपराध सिद्ध नहीं होता क्योंकि इस सम्बन्ध में पकड़े गये अन्य दो व्यक्तियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिली ।

**मालगाड़ी का लाइन से उतरना**

†९६३. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नम्बूर तथा गुन्टूर के बीच एक मालगाड़ी ६ दिसम्बर, १९६२ को लाइन से उतर गई और परिणामस्वरूप २५ वैगन पलट गये ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). ५-१२-६२ को लगभग ६.५६ बजे जबकि नम्बर ३२०७ अप मालगाड़ी नम्बूर और गुन्टूर के बीच दक्षिण रेलवे के विजमवाड़ा नदी कुडे छोटी लाइन से कशन में चल रही थी, गाड़ी के १८ वैगन लाइन से उतर गये और ११ पलट गये । घटना में कोई व्यक्ति नहीं मरा । दुर्घटना के कारण की दक्षिण रेलवे प्रशासन जांच कर रहा है ।

**कृषि उत्पादन**

†९६४. **श्रीमती विमला देवी** : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामुदायिक विकास प्रोग्रामों को पुनः बनाने का निश्चय किया है ताकि कृषि उत्पादन के लिये अधिक धन दिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो पुनर्गठन का ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री व० सू० मूर्ति) (क) हां ।

(ख) सामुदायिक विकास खंडों में कृषि विकास को अति अधिक प्राथमिकता देने का निश्चय किया गया है। सभी नवीन अवस्था–१ खंडों में खंड बजट में अतिरिक्त और उद्योगातिरिक्त मदों में बचत करके एक लाख रु० व्यय किये जायेंगे। फिर भी, ग्रामीण जल संभरण की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी और विद्यमान सामाजिक सेवाय बनाई रखी जायेंगी।

## दामोदर घाटी नहर में माल यातायात सेवा

†९६५ श्री प्र० चं० बरुआ : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के कारण दामोदर घाटी निगम की मुख्य नहर में एक माल यातात सेवा की योजना को फिर से चालू कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस नहर का माल यातायात के लिये कहां तक प्रयोग किया जा रहा है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) दामोदर घाटी निगम की नाव्य नहर में माल यातायात सेवा चालू करने की कोई यथारूप योजना अभी तक न तो पश्चिम बंगाल सरकार ने तैयार की है और न ही भारत सरकार ने।

आपात स्थिति से पहले ही पश्चिम बंगाल सरकार के पास सरकारी क्षेत्र में एक ऐसी संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव था जो कि इस नहर के रास्ते बन्देल में बन रहे बिजली घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कोयला पहुंचा सके। बाद में पता चला कि बिजली घर के लिये अधिक राख वाले कोयले की आवश्यकता है और नहर के आस-पास स्थित कोयला खानों में उच्च श्रेणी का कोयला पैदा होता था जो अधिकतर कलकत्ता क्षेत्र में चला जाता था।

यद्यपि बन्देल बिजली घर को कोयला भेजने की संभावना समाप्त हो गई है, तथापि पश्चिम बंगाल सरकार के कलकत्ता की मांगों की पूर्ति के लिये नहर के रास्ते कोयले के यातायात के प्रस्ताव पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) इस समय माल यातायात के लिये नहर का प्रयोग नहीं हो रहा है।

## कोलम्बो योजना के अधीन अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण

†९६६. श्री बूटा सिंह :
श्री गुलशन :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तार/टेलीफोन / बेतार विभागों के उन अधिकारियों की संख्या जिन्हें १९६२ में कोलम्बो योजना तथा अन्य सहायता योजनाओं के अधीन विभिन्न यूरोपीय देशों, इंगलैंड, जापान आदि में प्रशिक्षण के लिये भेजा गया था ;

(ख) विदेशों में उनके प्रशिक्षण व्यय का भार किस के ऊपर था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इन अधिकारियों में से प्रत्येक को पुरोनिधान[1] सरकारों द्वारा दिये जाने वाले भत्ते के अतिरिक्त अपने अवकाश वेतन का एक भाग इन देशों में लेने के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा दी गई; और

(घ) विदेशी मुद्रा देने के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) पांच ।

(ख) सहायता देने वाले देश ।

(ग) उन्हें अवकाश वेतन नहीं दिया गया था । फिर भी, उनके वेतन का ३२५ रु० से ४०० रु० मासिक तक का भाग उन्हें विदेशी मुद्रा के रूप में दिया गया था ।

(घ) भत्तों के इलावा अतिरिक्त विदेशी मुद्रा इसलिये दी जाती है ताकि यात्रा के दौरान और उन देशों में पहुंचने पर उन्हें रुपये की कमी के कारण कोई दिक्कत न हो ।

इस अतिरिक्त राशि का निर्धारण विदेशी सरकारों/संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने वाले भत्तों को देखते हुए किया जाता है ।

## हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिये तैरती गोदी

†**९६७. श्री प० कुन्हन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखपट्टनम् स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जलपोतों का निर्माण कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि शिपयार्ड में तैरती गोदी के न होने के कारण उत्पादन में बड़ा विघ्न पड़ रहा है ;

(ग) क्या सरकार का शिपयार्ड के लिए अस्थिर गोदी बनाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो उस की अनुमानित लागत क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) छोटी-मोटी देरी को छोड़ कर शिपयार्ड ने अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार काम किया है ।

(ख) जी हां । गोदी सुविधाओं के न होने के कारण शिपयार्ड के उत्पादन में बाधा पड़ रही है ।

(ग) लगभग २६९.०० लाख रुपये की लागत की एक सूखी गोदी बनाने की सरकार ने अनुमति दे दी है ।

(घ) उपरोक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

## पश्चिम तटीय सड़क

†**९६८. श्री इम्बीचिब्बावा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में पश्चिम तटीय सड़क को चौड़ा करने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Sponsoring

(ग) इस काम के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी ; और

(घ) अब तक कितनी राशि खर्च हो चुकी है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम तटीय सड़क का डामर की इकहरी सड़क के स्तर तक विकास करने का उपबन्ध किया गया है। केरल राज्य में इस सड़क पर काम हो रहा है।

कदाचित माननीय सदस्य का संकेत केरल राज्य के सड़क के दुहरा किये जाने के प्रस्ताव की ओर है। वित्तीय कठिनाइयों के कारण भारत सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

## विशखपट्टणम् में सूखी गोदी

†६६९. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशखपट्टणम् में सूखी गोदी का निर्माण कहां तक हुआ है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) इस के कब पूरा होने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) यह काम रुक गया था क्योंकि शिपयार्ड सूखी गोदी के बजाय अस्थिर गोदी प्राप्त करने पर विचार कर रहा था। अग्रेतर विचार के बाद शिपयार्ड को सूखी गोदी बनाने की सलाह दी गई है।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि जिस खाते में से इस परियोजना को वित्तपोषित किया जायेगा वह टेंडर मंगाये जाने के बाद बताया जायेगा। जिन देशों से सामान खरीदा जायेगा उन के नाम सरकार को पता है।

(ग) परियोजना पर काम आरम्भ होने के लगभग ३॥ वर्ष बाद।

## भद्राचलम् गोदावरी नदी पर पुल

†६७०. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) खम्मम् प्रांत, आन्ध्र प्रदेश, में भद्राचलम् के स्थान पर गोदावरी नदी के ऊपर सड़क-पुल के डिजाइन का अनुमोदन करने में अधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या अब डिजाइन को स्वीकृति दे दी गई है ;

(ग) इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितना अनुदान दिया है ; और

(घ) पुल के कब तक बन जाने और यातायात के लिये खुल जाने की संभावना है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) भद्राचलम् के सड़क-पुल के डिजाइन का अनुमोदन करने में विलम्ब होने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) पुल के स्तंभों और मेहराबों के लिए मूलत: सोचे गये नींव के डिजाइनमें वास्तविक स्थान की दशा को देखते हुए कुछ परिवर्तन करना आवश्यक पाया गया क्योंकि अपेक्षित गहराई पर दृढ़ चट्टान के न मिलने के कारण नींवों को पूर्वानुमान से

†मूल अंग्रेज़ी में

अधिक गहरा करना था। ये परिवर्तन कुछ आवश्यक परीक्षण किये जाने के बाद ही हो सकते थे जिस से कि काम के शुरू होने में देरी हो गई।

(२) संबलित[1] सीमेंट कंक्रीट डिजाइन के आधार पर जुलाई, १९५९ में पुल के निर्माण के लिये टेंडर मांगे गये थे। परन्तु राज्य सरकार ने फर्म द्वारा भेजे गये प्रतिबलित[2] कंक्रीट डिजाइन को स्वीकार किया था और १५ जनवरी, १९६० को काम सौंप दिया गया था। यह दूसरा डिजाइन राज्य सरकार ने भारत सरकार को जनवरी १९६२ में भेजा। परामर्शी इंजीनियर (सड़क विकास) द्वारा जांच किये जाने पर पुल के ऊपरी भाग के उस डिजाइन में, जोकि फर्म ने भेजा था, बहुत से रूपभेद करने की आवश्यकता पाई गई। ये टिप्पण जुलाई, १९६२ में भेजे गये। अब तब फर्म ने वे रूपभेद कर दिये हैं और पुनरीक्षित डिजाइन की एक प्रतिलिपि भारत सरकार को दिसम्बर, १९६२ में मिल गई थी। पुनरीक्षित डिजाइन पर मुख्य इंजीनियर (राजपथ), आंध्र प्रदेश, के टिप्पणों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) अब ऐसा आभास है कि ऊपरी भाग के पुनरीक्षित डिजाइन का राज्य के मुख्य इंजीनियर ने अनुमोदन कर दिया है। पुनरीक्षित डिजाइन पर मुख्य इंजीनियर के टिप्पणों के प्राप्त हो जाने पर भारत सरकार अपनी सहमति भेज देगी।

(ग) इस पुल के निर्माण पर आने वाली ६६ लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत में से भारत सरकार ने २० लाख रुपये का अनुदान दिया है।

(घ) १९६४ के मध्य तक पुल के पूरा होने और यातायात के लिए खुल जाने की आशा की जाती है।

### रेल की पटरी को दुहरा करना

†१७१. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के सिकन्दराबाद डिविजन में येरुपालयम् और कोंडपल्ली के बीच रेल की पटरी को दुहरा करने के काम में दिसम्बर १९६२ के अन्त तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कोंडपल्ली और विजयवाड़ा के बीच रेल की दुहरी पटरी यात्री यातायात के लिये कब खोल दी जायेगी ;

(ग) येरुपालयम् और विजयवाड़ा के बीच रेल की पटरी को दुहरा करने पर अभी तक कितना खर्च हुआ है ; और

(घ) क्या रेलवे बोर्ड ने अब दोरनाकल और येरुपालयम् के बीच रेल की दुहरी पटरी के निर्माण की मंजूरी दे दी है और यदि हां, तो काम कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) येरुपालयम् और कोंडपल्लीं के बीच दुहरी लाइन २८ दिसम्बर, १९६२ से माल यातायात के लिये खुल गई है।

(ख) अक्तूबर, १९६३।

(ग) १२९ लाख रुपये।

(घ) जी हां। काम हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pre-stressed

[2]Reinforced

## रेलवे के लिये वित्तीय आयुक्त

†९७२. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के लेखा विभाग के अधिकारियों में से किसी को रेलवे का वित्तीय आयुक्त नियुक्त करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). वित्त तथा लेखा विभागों के सभी अधिकारियों पर, जिन में रेलवे लेखा विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, रेलवे के वित्तीय आयुक्त की नियुक्ति के लिये विचार किया जाता है । अतः किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

## लाख तथा उससे बनी वस्तुओं का निर्यात

†९७३. श्री महेश्वर नायक : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाख तथा उस से बनी वस्तुओं के निर्यात से कमाई जाने वाली विदेशी मुद्रा में काफी कमी हो गई है ;

(ख) क्या लाख के देशीय उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस के कारणों का पता लगाया गया है और उन के प्रतिकारक उपाय किये गये हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह ) : (क) १९६०-६१ की तुलना में १९६१-६२ में विदेशी मुद्रा की आमदनी में २५ प्रतिशत की कमी हुई ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) थाइलैंड की संशलिष्ट तथा कम मूल्य वाली लाख के साथ स्पर्धा विदेशी मुद्रा की आमदन में कमी का मुख्य कारण है । निर्यात मूल्यों को स्थायी बनाये रखने, अनुसन्धान को उत्तेजन रूप देने तथा उत्पादन की मात्रा और कोटि को सुधारने के लिए उपाय किये गये हैं ।

## झिलमिला तिहाड़, दिल्ली, में रेलवे बुकिंग एजेन्सी

९७४. { श्री राम सेवक यादव :
श्री ब० न० मण्डल :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झिलमिला तिहाड़, दिल्ली में १९६० में कोई बुकिंग एजेन्सी खोली गई थी तथा क्या इस की ढुलाई की दर प्रति ४० किलोग्राम के लिए १० नये पैसे थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सब्जी मण्डी, दिल्ली में बुकिंग एजेन्सी की १९५४ में स्थापित होने के समय से ही प्रति मन २५ नये पैसे दर थी, जो १९६२ तक बनी रही ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह भी सच है कि सब्जी मण्डी बुकिंग एजेन्सी ने इस दर में कोई कमी नहीं की जब कि १६६० में स्थापित पड़ौसी झिलमिला तिहाड़ स्टेशन की बुकिंग एजेन्सी में माल कम दर पर बुक किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने सब्जी मण्डी की बुकिंग एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी )** : (क) जी हां।

(ख) सब्ज़ी मण्डी सिटी बुकिंग एजेन्सी १ दिसम्बर, १६५३ को खोली गयी और एजेन्सी प्रभार प्रति मन या उसके किसी भाग के लिए ४ आने नियत किया गया। १ अप्रैल, १६६० से मीटरिक प्रणाली लागू होने पर प्रभार की दर संशोधित करके ४० किलोग्राम या उसके किसी भाग के लिए २७ नये पैसे की गयी और अब भी प्रभार की. यही दर लागू है।

(ग) झिलमिला-ताहेरपुर आउट एजेन्सी के खुल जाने के बाद सिटी बुकिंग एजेन्ट द्वारा अपनी दर में किसी प्रकार की कमी करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि दोनों करारों और दोनों एजेन्सियों के संचालन की शर्तों का एक दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं था।

(घ) भाग (ग) में दिये गये उत्तर को देखते हुए सब्ज़ी मण्डी के सिटी बुकिंग एजेन्ट के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का सवाल नहीं उठता।

## रेलवे दुर्घटना जांच समिति

†१७५. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री इन्द्रजोत गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री प० कुन्हन :
श्री मंत्री :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने, जिसके सभापति पंडित हृदयनाथ कुंजरू थे, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य उपपत्तियां और सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या उसे पटल पर रखा जायेगा ?

**†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) रेलवे दुर्घटना जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन का भाग १ प्रस्तुत कर दिया है।

(ख) और (ग). प्रतिवेदन के भाग १ की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर पहले ही रख दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

## क्लर्कों और डाकियों के लिये विभागीय परीक्षा

†९७६. **श्री श० ना० चतुर्वेदी:** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग द्वारा यू० पी० सर्कल में क्लर्कों और डाकियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये ११ दिसम्बर, १९६२ को विभागीय परीक्षा ली गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें मिली हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा कार्यालयों को इसकी सूचना नहीं भेजी गई थी जिसके कारण बहुत से कर्मचारी इस परीक्षा में बैठ न सके ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती)** : (क) इस विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में छोटी श्रेणी के कर्मचारियों की क्लर्क पदाली में पदोन्नति के लिये यू० पी० सर्कल में १६ दिसम्बर, १९६२ को एक विभागीय परीक्षा हुई थी ।

(ख) यू० पी० सर्कल के महाडाकपाल[1] को आगरा से एक शिकायत मिली है जिसकी छानबीन हो रही है ।

## भारत-तिब्बत सीमा पर कृषि-फार्म

†९७७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-तिब्बत सीमा पर ऐसे कृषि-फार्म स्थापित करने की कोई योजना बना ली गई है या बनाई जा रही है जहां किसान खेती-बाड़ी तथा सीमा-रक्षा का दुहरा काम करेंगे, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) और (ख). अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है । तथापि, कुछ स्थानों पर उचित क्षेत्रों की उपलब्धता का पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

## भारतीय मालवाही जहाज में आग लगना

†९७८. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर १९६२ के मध्य में भारतीय मालवाही जहाज में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों का पता चला था ; और

(ग) कुल कितनी हानि का अनुमान है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** :(क) जी हां । १६ दिसम्बर, १९६२ को एस० एस० 'इंडियन ट्रायम्फ' के ऊपरी ट्वीन डेक संख्या १ में मामूली सी आग लग गई थी जब कि वह जहाज किंग जार्जेज, डाक्स, कलकत्ता, में था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Postmaster General.

(ख) और (ग). कलकत्ता पोर्ट कमिशनर्ज, कलकत्ता, के वरिष्ठ सहायक अधिरक्षक* द्वारा अब प्रारंभिक जांच की जा रही है । अपेक्षित जानकारी यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**नेफ़ा से चीनी आक्रमणकारियों द्वारा डाक-तार विभाग के उपकरणों का हटाया जाना**

†१७९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी आक्रमणकारियों ने नेफा क्षेत्र में हथियाए गए क्षेत्र को खाली करने से पूर्व वहां डाक तार विभाग के समस्त उपकरणों तथा साज सामान को हटा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां तक फिर से लगा दिया गया है ; और

(ग) इस पर कितनी लागत आई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) :** (क) चीनी आक्रमणकारियों द्वारा नेफ़ा क्षेत्र से लाइनों के कुछ भाग तथा अन्य कुछ संचार उपकरण हटा दिए गए थे जिनका मूल्य लगभग २ लाख रुपये है ।

(ख) बौमडीला से बेतार के तार का संचार पुनः स्थापित कर लिया गया है । तार की लाइन को फिर से चालू करने का काम जारी है ।

(ग) लागत के आंकड़े अभी नहीं आंके जा सकते क्योंकि पुनर्निर्माण का कार्य अभी चल रहा है ।

**पिपरिया के निकट हवाई पट्टी**

†१८०. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पचमढ़ी के लिए पर्यटक यातायात में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार का विचार मध्य प्रदेश में पिपरिया के निकट एक हवाई पट्टी बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजा का क्या ब्यौरा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन ) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**बरमहान में नर्मदा के ऊपर पुल**

†१८१. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरमहान, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर सड़क के पुल का निर्माण कार्य निश्चित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कार्य समाप्त होने की लक्ष्य तिथि कौनसी है ; और

(ग) यदि कार्य निश्चित कार्यक्रम से पीछे है तो इसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

*Conservator

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). कार्यक्रम के अनुसार पुल के निर्माण का कार्य मई, १९६३ तक समाप्त होना है किन्तु नर्मदा नदी में हाल ही में सर्दियों में आई बाढ़ से उत्पन्न रुकावटों के कारण और निर्माण के दौरान देखे गये भूमि स्तर के अनुसार नींव के नमूने में किए जाने वाले आवश्यक परिवर्तनों के कारण उस कार्य में विलम्ब हो गया । आशा है कि यह एक वर्ष में समाप्त हो जायेगा ।

**भारतीय लकड़ी की विदेशों में मांग**

†१८२. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में संगीत वाद्य बनाने के लिए एक भारतीय पेड़ की लकड़ी की भारी तथा बढ़ती हुई मांग है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या नाम है और वह कहां पाया जाता है ;

(ग) क्या इस पेड़ को बड़े पैमाने पर उगाने की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :(क) और(ख). उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जापान में मुख्यतया संगीत वाद्य बनाने के लिए रक्त चन्दन[1] की लकड़ी की मांग है । यह वृक्ष आंध्र प्रदेश के कडरप्पा तथा चित्तूर जिलों में पाया जाता है, तथा वनस्पति शास्त्र में इसे 'Pterocarpus Santalinus' कहते हैं ।

(ग) और (घ). तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश सरकार का ७५० एकड़ क्षेत्र में रक्त चन्दन के बागान लगाने का विचार है । योजना के प्रथम वर्ष (१९६१–६२) में १४३ एकड़ क्षेत्र में वृक्ष लगाए गए । १९६२–६३ का लक्ष्य १४० एकड़ क्षेत्र में यह वृक्ष लगाना है ।

**बल्लभगढ़ के उद्योगों के लिये लूप लाइन**

†१८३. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्रालय, मथुरा–तुगलकाबाद सेक्शन पर बल्लभगढ़ के अनेक उद्योगों के उपयोग के लिए, एक मुख्य लूप-लाइन बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे उद्योगों को किस प्रकार सहायता मिलेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ उद्योगपतियों ने बल्लभगढ़ में अतिरिक्त साइडिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों से प्रार्थना की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Red Sanders.

(घ) यदि हां, तो सरकार ने उनकी सहायता करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी ) : (क) जी, हां ।

(ख) यह उद्योगों की उनके माल को शीघ्रता से लाने ले जाने में सहायता करेगी क्योंकि इससे उद्योगों के लिए माल-डिब्बों को, उनके सीधे आने जाने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लगाने तथा हटाने में सुविधा होगी और माल-डिब्बों को रुके रहना भी नहीं पड़ेगा ।

(ग) जी, हां ।

(घ) हर एक मामले के गुण दोष देखते हुए आवश्यक साइडिंग सुविधायें दी जा रही हैं ।

**बडबील से परदीप पत्तन तक रेलवे लाइन**

†१८४. श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बडबील से परदीप पत्तन तक रेलवे लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ख) क्या रेलवे मंत्रालय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में ऐसी रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अस्थायी रूप में सहमत हो गया है ?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी ) : (क) जी, नहीं । किन्तु टोमका—दायतेरी क्षेत्रों और नयागढ़ क्षेत्र की परदीप पत्तन से मिलाने वाली रेलवे लाइन के केवल प्रारम्भिक आभियान्त्रक तथा यातायात सर्वेक्षण करने के प्रस्तावों को १९६३–६४ के आय व्ययक में सम्मिलित कर लिया गया है ।

(ख) नयागढ़ क्षेत्र से परदीप पत्तन द्वारा लौह अयस्क के भविष्य में होने वाले निर्यात को देखते हुए नयागढ़ से परदीप तक रेलवे लाइन आवश्यक समझी जा सकती है । इस रेलवे लाइन को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिए अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है ।

**पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों तथा पैकरों के लिये वर्दियां**

†१८५. श्री हेम राज : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों तथा पैकरों को ओवर कोट, मोजे, गरम वर्दियां और बरसाती नहीं दी गई हैं यद्यपि यह उन्हें पहिले ही मिल जानी चाहिए थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि गर्मियों की वर्दियों का कपड़ा बहुत खराब किस्म का तथा अधिक टिकाऊ नहीं है और जो छतरियां उन्हें दी गई हैं वह बहुत खराब किस्म के के माल की बनी हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं को कब देने का विचार है और भाग (ख) में उल्लिखित वस्तुओं की किस्म में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) जी नहीं। पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को सर्दियों की वर्दियों का संभरण वैभागिक विनियमों के अनुसार किया गया है सिवाय इसके कि मोजों का संभरण कम है तथा कांगड़ा डिवीजन में ६ डाकियों को ओवरकोट दिए गए हैं। कमियों को यथासम्भव शीघ्र पूरा करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ख) सामान्य नीति के अनुसार डाक-तार विभाग के कर्मचारियों की गर्मियों की वर्दी तैयार करने के लिए सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशक द्वारा स्वीकृत मान्यताप्राप्त नमूने का कपड़ा काम में लाया जाता है। स्वीकृत नमूनों के अनुसार छतरियाँ भी सम्भरण तथा उत्सर्जन महानिदेशालय के द्वारा प्राप्त की जाती हैं।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तरों को दृष्टिगत रखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता।

## सामुदायिक विकास पर व्यय

†१८६. श्री हेम राज : क्या सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में केन्द्र तथा राज्यों द्वारा सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज पर कितना व्यय किया गया है और वर्ष १९६२–६३ में कितना व्यय किये जाने की प्रस्थापना है; और

(ख) सामुदायिक विकास खण्डों से कितनी जीपें वापस ले ली गई हैं तथा इससे कितनी बचत हुई है ?

†सामुदायिक विकास, पंचायती राज तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) केन्द्र और राज्यों द्वारा जिसमें संघ–राज्य क्षेत्र भी सम्मिलित हैं, वर्ष १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में क्रमशः ५५.२९ करोड़ तथा ५९.०४ करोड़ रुपया व्यय किया गया।

(ख) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि समस्त उपलब्ध गाड़ियों को जिला एवं खण्डों के आधार पर एक स्थान में एकत्रित किया जाये तथा उनका प्रयोग व्यवस्थित किया जाये जिससे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों सहित आवश्यक असैनिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। फालतू जीपों को प्रतिरक्षा प्रयत्नों के लिए उपलब्ध किया जाये। क्योंकि इस सम्बन्ध में कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा की जानी है अतः मांगी हुई सूचना उपलब्ध नहीं है।

## स्यालदा सैक्शन पर विद्युत्-चालित रेल गाड़ियां

†१८७. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के स्यालदा सैक्शन पर विद्युत्-चालित रेलगाड़ियों के चलाने को प्रारम्भ करने में बिजली की कमी के कारण अनिश्चित रूप से देरी हो जायेगी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो बिजली की कमी के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). जी, नहीं। थोड़ा थोड़ा करके विद्युत् रेलगाड़ियाँ चलाने के लिए बिजली देने की व्यवस्था की गई है।

## सुपारी का मूल्य

†१८८. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्ष के दौरान सुपारी का मूल्य अलाभकारी स्तर तक गिर गया है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९६१ तथा १९६२ के अन्त में इसका क्या मूल्य था;

(ग) मूल्य में भारी गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने खेतिहरों की सहायता के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : (क) नहीं। केरल राज्य के भागों में सुपारी के मूल्य कुछ गिरे हैं।

(ख) वर्ष १९६१ तथा १९६२ के अन्त में अलेप्पी में २९ रुपये और २५ रुपये प्रति १००० सुपारी; शिमोगा में देसावरम किस्म के प्रति क्विन्टल ६४९ रुपये तथा ७३५ रुपये; और त्रिचूर में चूर के प्रति क्विंटल ६८७ रुपये तथा ७२५ रुपये, मूल्य थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मूल्यों में भारी गिरावट नहीं थी।

(घ) मूल्यों में पर्याप्त गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं;

(१) राज्य सरकारों तथा सहकारी बैंकों को सुपारी उत्पादकों की उनके उत्पादन को जमा रखने की क्षमता में वृद्धि करने के लिए अधिक साख सुविधायें देने का परामर्श दिया गया है।

(२) केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा पर्याप्त भण्डार सुविधायें प्रदान की जा रही हैं।

(३) वर्तमान आयात नीति के अन्तर्गत सुपारी के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

(४) सुपारी उत्पादकों को उनके उत्पाद के उचित विक्रय में परामर्श देने के लिए, राज्य सरकारें तथा भारत की केन्द्रीय सुपारी समिति सुपारी के मूल्यों, उसकी बाजार में पहुंच तथा विक्रय, उसके आयात और निर्यात, मांग और पूर्ति आदि के सम्बन्ध में उचित बाजार सम्बन्धी जानकारी प्रदान कर रही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

## रेलवे दुर्घटनायें

†१८९. { श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, १९६२ तथा जनवरी, १९६३ में अब तक कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ख) कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १ दिसम्बर, १९६२ से लेकर ७ जनवरी, १९६३ की अवधि में टक्कर, रेलों के पटरियों से उतर जाने, लेवल क्रासिंग दुर्घटनायें तथा रेलों में अग्निकण्ड के वर्गों में आने वाली भारतीय सरकारी रेलवे की दुर्घटनाओं की संख्या २१४ है।

(ख) इन दुर्घटनाओं में मारे गए और घायल हुए व्यक्तियों की संख्या क्रमशः ४५ तथा २१० है। इसमें उमेशनगर पर ४ जनवरी, १९६३ को हुई दुर्घटना में मारे गये तथा घायल हुए व्यक्तियों की संख्या ३७ तथा ८६ भी सम्मिलित है।

## नौवहन उद्योग में विदेशी सहभागिता

†१९०. { श्री राम रतन गुप्त :
श्री मंत्री :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवहन उद्योग में विदेशी सहभागिता को ४० प्रतिशत तक बढ़ाने का कोई विनिश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या ब्यौरा है?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) मामले की जांच की जा रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

## माल उतारने के घन्टे

†१९१. श्री दे० जी० नायक : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी रेलवे के सभी सैक्शनों में माल उतारने के निःशुल्क घन्टों को ५ घन्टे से घटाकर तीन घन्टे कर दिया गया है?

†रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : पश्चिम रेलवे के केवल कुछ स्टेशनों पर माल उतारने के निःशुल्क समय को पांच कार्यकारी घन्टों से घटा कर तीन कार्यकारी घन्टे कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

**शराब का आयात**

†९९२. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मंत्री :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि विदेशी शराब के आयात पर पूर्ण पाबन्दी लगा देने से भारत के पर्यटक व्यापार को हानि होने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो पर्यटक व्यापार के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). अभी यह नहीं कहा जा सकता कि विदेशी शराब के आयात पर पूर्ण पाबन्दी लगा देने से भारत के पर्यटक यातायात में रुकावट होगी। अभी तक पर्यटन संवर्धन योजना के अधीन पर्यटन विभाग की स्वीकृत सूची के अन्तर्गत आने वाले पाश्चात्य ढंग के होटलों की आयात की जाने वाली शराबों, अनिवार्य उपकरणों तथा इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं के लिए, जिनका कोई स्वदेशी विपर्यय उपलब्ध नहीं है, आवश्यक राशि वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा निश्चित विदेशी मुद्रा से दी जाती थी। इस योजना के अन्तर्गत इस आधे वर्ष की अवधि के अन्दर भी विदेशी पर्यटकों में लोकप्रिय पाश्चात्य ढंग के होटलों व उपाहारगृहों को पर्यटक विभाग की सिफारिश पर विदेशी शराब की एक निश्चित मात्रा आयात करने की अनुमति दी जायेगी।

**दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन सम्बन्ध**

†९९३. श्री शिवचरण गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'अपना टेलीफोन योजना' और अन्य वर्गों के अन्तर्गत दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शनों के लिए ३१ मार्च, १९६२ को कितने प्रार्थना-पत्र विचार के लिए लम्बित थे; और

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती ) : (क)

| | |
|---|---|
| 'अपना टेलीफोन योजना' . . . . | ७७४ |
| अन्य वर्ग . . . . . | २७९०२ |
| कुल योग . . . . | २८६७६ |

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में टेलीफोन ऐक्सचेन्जों की उपकरण क्षमता में लगभग ६,००० लाइन प्रति वर्ष की दर से वृद्धि करने के लिए कदम उठाये गये हैं।

†मूल अंग्रेजी में

# सभा पटल पर रखे गये पत्र

## भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६३

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, दिनांक १० जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८९ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १९६३ की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६७३/६३]

## भारतीय टेलीग्राफ (तेरहवां संशोधन) नियम, १९६२

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : श्री जगजीवन राम की ओर से मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७६ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (तेरहवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६७२/६३]

## विभिन्न आश्वासनों के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले विवरण

†संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा): मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न आश्वासनों में जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ . तीसरा अधिवेशन, १९६२–६३ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७४/६३]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ३ . दूसरा सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७५/६३]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ६ . पहला सत्र, १९६२ (तीसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७६/६३]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ६ . सोलहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७७/६३]

(५) अनुपूरक विवरण संख्या ९ . पन्द्रहवां सत्र, १९६२ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७८/६३]

(६) अनुपूरक विवरण संख्या ९ . चौदहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६७९/६३)

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) अनुपूरक विवरण संख्या १७ . तेरहवां सत्र, १९६१ (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६८०/६३]

(८) अनुपूरक विवरण संख्या १४ . बारहवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६८१/६३]

(९) अनुपूरक विवरण संख्या १७ . ग्यारहवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० ६८२/६३]

**मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर)** : मैं निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३९ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २० सितम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/६८/६१—टी आर।

(ख) दिनांक १ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/९०/६२ पी आर (टी)।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६८३/६३]

(२) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अधीन बड़े-बड़े कस्बों और शहरों के अन्दर पड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथों को मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों के विकास और मरम्मत के लिये भारत के राष्ट्रपति और उड़ीसा के राज्यपाल के बीच हुए समझौते की प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६८४/६३]

**कृषि उत्पाद (विकास और भांडागार)**

**अधिनियम, १९५६ के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

†**सामुदायिक विकास, पंचायती राज और सहकार मंत्री (श्री स० कु० डे)** : मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन निकाली गई दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७९९।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६८५।६३]

(२) कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ की उप-धारा (४) और धारा १५ की उप-धारा (३) के अधीन वर्ष १९६१—६२

---

†मूल अंग्रेजी में

के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास और भांडागार बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा बोर्ड के लेखे की वार्षिक समेकित विवरण तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६८६/६३]

### अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६२० में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(२) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३७४८ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) नवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(३) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३८५९ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६८७/६३]

### अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री अ० म० थामस): मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) दिनांक ७ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८५ में प्रकाशित चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(२) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७६३, जिसमें दिनांक ३० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६३५ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(३) दिनांक २७ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, १९६२ ।

(४) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(५) दिनांक १८ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२५ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६८८/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

### भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६२

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : मैं निम्न पत्रों की एक-एक प्रति पटल पर रखता हूं :—

(१) भारतीय विमान अधिनियम १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत दिनांक ८ दिसम्बर १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७४ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६२ एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६८९/६३]

(२) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३९०१ में प्रकाशित विमान निगम (संशोधन) नियम, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६९०/६३]

(३) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत एयर इण्डिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९६०–६१ के वार्षिक लेखे और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये एल० टी० ६९१/६३]

---

## लोक लेखा समिति

### पांचवां प्रतिवेदन

†श्री त्यागी (देहरादून) : मैं दामोदर घाटी निगम के वर्ष १९६०–६१ के लेखे के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन भाग १–३ के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

## प्राक्कलन समिति

### पांचवां प्रतिवेदन

†श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—कहवा बोर्ड बंगलौर के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) का एक-सौ-इक्कीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

## कार्य मंत्रणा समिति

### ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिनहा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से जो २१ जनवरी, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन से जो २१ जनवरी, १९६३ को सभा में प्रस्तुत की गई थी, सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

## चीनी नक्शों के बारे में

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : प्रधान मंत्री ने कोलम्बो प्रस्ताव और सम्बन्धित स्पष्टीकरण पटल पर रखे थे, किन्तु जब तक सारी सामग्री पटल पर न रखी जाये, वाद-विवाद नहीं हो सकता। पश्चिमी विभाग सम्बन्धी स्पष्टीकरण में चीन सरकार के नक्शा ३ और ५ के बारे में उल्लेख था। जब तक वे नकशे हमें न उपलब्ध कराये जायें या यह न बताया जाये कि हमें दिये गये पत्रों में वे नकशे भी हैं, जो चीनी नकशों के आधार पर बनाये गये हैं, कल वाद-विवाद शुरू करना असंभव होगा।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: मुझे खेद है, मैं ने वे दो नकशे नहीं देखे। मैं पूछताछ करूंगा कि क्या वे उपलब्ध हैं। किन्तु मैं यह बताना चाहूंगा कि दिये गये नकशों में जो रेखा खींची गई है, वह चीनी नकशों के अनुसार है।

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : जो नकशे हमें दिये गये हैं, उन में बहुत असंगतियां हैं। पश्चिमी विभाग सम्बन्धी बड़े नकशे में दो रेखायें हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इन असंगतियों के बारे में जांच करूंगा और इन का स्पष्टीकरण करूंगा। छपाई की गलती हो सकती है।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : प्रधान मंत्री ने कहा है कि उन्होंने वे दो नकशे नहीं देखे किन्तु उन्हों ने साथ ही एक स्पष्टीकरण भी दे दिया है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कोलम्बो शक्तियों ने जो सामग्री दी थी, हम ने उसी के आधार पर व्यवहार किया था। उन्हों ने कहा था "यह रेखा है" और हम ने उसी आधार पर बातचीत की थी। यह हमारे नकशे में दी गई है। मैं ने वे चीनी नकशे नहीं देखे जो उन्हें वहां दिखाये गये थे।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): क्या हमें विश्वास है कि वह रेखा जो सरकार ने खींची है वे उन नकशों के आधार पर है, जो कोलम्बो प्रस्तावों के आधार थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : नकशे ३ और ५ वैदेशिक-कार्य मंत्रालय द्वारा पुस्तकालय में रखवाये जायें ।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम) : सरकार ने एक और नकशा बनाया है, जो हमें नहीं दिया गया—वह ऐसी रेखा बतलाता है, जो कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकृत करने की सूरत में अमल में आयेगी ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं ने श्री कामत की प्रार्थना सरकार तक पहुंचा दी है कि वे जांच करें कि क्या ऐसे नकशे हैं । अन्य सुझावों पर सरकार विचार करेगी ।

---

## संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ को दोनों सभाओं की उसी संयुक्त समिति को सौंप दिया जाये, जिसे संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक सौंपा गया था ;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी ;

कि यह सभा राज्य सभा से सिफ़ारिश करती है कि राज्य सभा इस प्रस्ताव से सहमत हो और अपनी सहमति इस सभा को भेज दे ।"

श्री कामत ने एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जोकि लगभग एक जैसा है, केवल संयुक्त समिति के सदस्यों के नाम दिये गये हैं और तिथि भिन्न है । हम ने एक ही समिति को कहा है ताकि समय बचाया जा सके और दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार और मतदान हो सके । यही कारण था कि हम चाहते थे कि समिति दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार करे । सदस्य वही रहेंगे और तिथि ऐसी रखी गई है कि दूसरी तिथि से मिल सके ।

यह संभव होगा क्योंकि संशोधन बहुत थोड़े हैं । अनुच्छेद १९ सम्बन्धी संशोधनों पर अधिक समय नहीं लगेगा । अतः अगले सत्र के उपान्तिम सप्ताह तक परीक्षा नहीं करनी पड़ेगी । मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने से दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार हो सकेगा, प्रतिवेदन भी एक साथ रखा जायेगा और विशेष प्रक्रिया को दो बार दुहराना नहीं पड़ेगा ।

इस विधेयक का उद्देश्य मुख्यतः सरकार को उन व्यक्तियों तथा संगठनों के विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाने के अधिकारों को देना है, जो भारत से अलग होना चाहते हैं, या चुनाव लड़ने के उद्देश्य को सामने रखते हुए राजनीतिक कारणों से भारत का विभाजन करना चाहते है । यह केवल वर्तमान संकटकाल के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कुछ समय पहले से इन फूट पैदा करने वाली शक्तियों के पैदा होने के बाद से इन की आवश्यकता बनी हुई है ।

इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए एक राष्ट्रीय एकता समिति श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर के सभापतित्व में बनाई गई थी और इस में सब दलों के सदस्य थे । इस का प्रतिवेदन ५ नवम्बर को मिला था । उस में कहा था कि संकट से एकता उत्पन्न हुई है, इसलिए उन की बैठक फिलहाल स्थगित की जाये और अन्य मामलों पर बाद में विचार किया जाये । किन्तु उन्हों ने अनुच्छेद

---

†मूल अंग्रेजी में

१९ में संशोधन करने की सिफारिश की थी, जिस का प्रारूप भी साथ लगाया गया था। मेरे विचार में सदन के सभी विभाग सहमत हैं कि अलग होने के सब कार्यवाहियों को अवैध घोषित करने के लिए संसद् को विधान बनाने की उपयुक्त शक्तियां दी जायें ताकि १९४० की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, जबकि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन को अपना मुख्य राजनैतिक सिद्धान्त बनाया था और इसी आधार पर चुनाव लड़ी थी।

योजना यह है कि अनुच्छेद १९ में के हित में 'शब्दों के बाद "भारत की प्रभुसत्ता और एकता" शब्द जोड़ दिये जायें, क्योंकि वर्तमान शब्दों से इस प्रकार का प्रतिबन्ध पर्याप्त रूप से नहीं लग सकता।

उच्चतम न्यायालयों ने भी अपने निर्णयों में कहा है कि 'राज्य की सुरक्षा' समिति सीमित शब्द हैं और इन के साथ अन्य शब्द जोड़ने की आवश्यकता है।

अगला कदम यह है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो लोक-सभा या राज्य विधान सभा के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़ा होना चाहता है, सामान्य चुनाव में या उपचुनाव में, यह आवश्यक है कि वह शपथ ले अथवा प्रतिज्ञान करें कि वह भारत की प्रभुसत्ता और एकता बनाये रखेगा। नया प्रारूप स्वयं विधेयक में दिया गया है और यह अनुच्छेद १९ के मुख्य संशोधन के परिणाम-स्वरूप है। "मैं भारत की प्रभुसत्ता और एकता बनाये रखूंगा" शब्द जोड़ने का प्रभाव यह होगा कि जब वह उम्मीदवार खड़ा होगा वह राजनीतिक संघर्ष में अलग होने को एक विषय नहीं बना सकता। यह बिल्कुल असंभव हो जायेगा। इस के बाद लोक-सभा या राज्य-सभा का सदस्य चुने जाने के बाद, उसे उस तरह की एक शपथ दोबारा लेनी पड़ेगी। विधान सभाओं और परिषदों के उम्मीदवारों को और सदस्यों को भी इसी प्रकार की शपथ लेनी पड़ेगी, जोकि तीसरी अनुसूची के फार्म में दी गई है।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : श्रीमान्, औचित्य प्रश्न के हेतु।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो माननीय मंत्री कैसे बोलेंगे।

†**श्री प्रिय गुप्त** : नहीं श्रीमान्, जब तक नियमों में, संविधान में अथवा आचार संहिता में अखंडता और अन्य बातों के विरुद्ध उस के व्यवहार का विवरण न दिया गया हो इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि माननीय सदस्य जो मैं समझता हूं, कि एक वकील हैं . . . .

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या संविधान में या कहीं अन्यत्र ऐसा कुछ दिया हुआ है कि किस बात को प्रभुसत्ता और एकता के विरुद्ध समझा जायेगा ?

†**श्री अ० कु० सेन** : हम अब उस का उपबन्ध कर रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने औचित्य का प्रश्न सुन लिया है। मेरा विनिर्णय है कि इस में कोई औचित्य नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन :** इस को रखना इसलिए आवश्यक हो गया है कि वहां कुछ नहीं दिया गया था । हम इसे देश का सर्वोच्च कानून बनाते हैं कि किसी को भी किसी भी राजनैतिक संघर्ष में या चुनाव में पृथक्करण का प्रश्न उठाने की आज्ञा नहीं होगी और उसे लोक सभा या किसी भी राज्य विधान सभा या राज्य सभा अथवा किसी भी राज्य परिषद् की सदस्यता के लिए खड़े होने का अधिकार प्रयोग करने के पूर्व हृदय से इस बात की शपथ ग्रहण करनी होगी कि वह भारत की अखंडता एवं प्रभुसत्ता की रक्षा करेगा । श्रीमान् ये प्रस्तावित संशोधन हैं और मैं समझता हूं कि ये केवल इस सभा को ही नहीं अपितु पूरे देश की इस व्यापक इच्छा को प्रतिध्वनित करते हैं कि इस संकट के समय देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होने के साथ ही हर आने वाले समय में हम इस राष्ट्र के, संगठित राष्ट्र के, रूप में अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर सकें और उन बुराइयों को, जो हाल ही में भाषा, मूल वंश, जाति, धर्म, प्रादेशिक अथवा अन्य सम्बन्धों की विभिन्न अवच्छेदक शक्तियों के रूप में व्यक्त की गई हैं, हटा सकें । इसलिए मैं पूर्ण प्रसन्नता और गर्व के साथ सभा से प्रस्ताव को पारित करने की सिफारिश करता हूं और मुझे पूरी आशा है कि यह संशोधन विधेयक निर्विरोध स्वीकृत कर लिया जायेगा और इस सभा का आदेश केवल आज और कल के लिए ही नहीं सदा सर्वदा के लिए देश के अक्षय; सर्वोच्च कानून के रूप में राष्ट्र के सम्मुख पहुंच जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । श्री कामत ने इस सम्बन्ध में एक स्थानापन्न प्रस्ताव की सूचना दी है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

१. कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न प्रस्ताव रखा जाय :—

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिसमें इस सभा के ३०, अर्थात् श्री बृजराज सिंह–कोटा, श्री श० ना० चतुर्वेदी, श्री होमी दाजी, श्री रामधनी दास, श्री धर्मलिंगम्, श्री काशीराम गुप्त, श्री इकबाल सिंह, श्री माधवराव लक्ष्मणराव जाधव, श्री मादप्पा कन्डप्पा कडाडी, श्री हरि विष्णु कामत, श्री परेशनाथ कयाल, श्री नील रंजन लास्कर, श्री हरेकृष्ण मेहताब, श्री मलाइछामी, श्री मैथ्यु मणियंगाडन, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री मोहसिन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री दे० जी० नायक, श्री पाराशर, श्री राम स्वरूप, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री नरसिम्हा रेड्डी, श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री सयद-नजीर हुसैन समनानी, श्री रामेश्वरप्रसाद सिंह, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री उ०मू० त्रिवेदी, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री अ० कु० सेन और राज्य सभा के १५ सदस्य हों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

मैं संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

मैं बहुत संक्षेप में अपने संशोधनों पर प्रकाश डालूंगा। मैं विधेयक के गुणों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या उन्हें कोई विधि सम्बन्धी आपत्ति है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** हां प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के आधार पर। माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर कई आधारों पर आपत्ति उठाई जा सकती है। सरकार का विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के प्रतिकूल है। संयुक्त समिति इस सभा के ३० सदस्यों और राज्य सभा के १५ सदस्यों को मिलाकर गठित होती है। इस सभा में बठ कर हमें यह कहने का क्या अधिकार है कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंप दिया जाय जिसमें कुछ सदस्य दूसरी सभा के हैं और जिस पर हमारा क्षेत्राधिकार नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार भी यही है कि प्रस्ताव में उन सदस्यों के, जो प्रवर या संयुक्त समिति में होने चाहिएं, नाम दे दिये जायें तो यह नियमों के अधिक अनरूप होगा। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह भविष्य में पृथक प्रस्ताव करते समय सदस्यों के नामों का उल्लेख कर दिया करें। क्योंकि हमारे यहां स्थायी समितियां नहीं बल्कि तदर्थ समितियां हैं। इसलिए जब हम किसी विशेष विधान को किसी समिति को सौंपते हैं तो हम किसी दूसरे विधान को उसी समिति के पास नहीं भेज सकते। किन्तु मैं समझता हूं कि इस विधान पर कोई वैध आपत्ति नहीं की जा सकती क्योंकि कोई विधि या परिनियम ऐसा नहीं जिस का यह उल्लंघन करता हो। इसलिए इस पर जोर देने की आवश्यकता तो नहीं लेकिन सरकार को चाहिए कि भविष्य में इसका ध्यान रखे।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मुझे प्रसन्नता है कि आप किसी सीमा तक मुझसे सहमत हो गये हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थन करता हूं कि वे मेर स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकार कर लें।

†**अध्यक्ष महोदय :** हमें यह देखना है कि क्या माननीय मंत्री का प्रस्ताव किसी विधि अथवा नियम का उल्लंघन करता है ? क्या म ननीय सदस्य किसी ऐसे वैध उपबन्ध की ओर संकेत कर सकते हैं जो इस प्रकार के प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से रोकता हो।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** लेकिन कोई ऐसा उपबन्ध भी तो नहीं जो स्पष्ट रूप से ऐसा प्रस्ताव करने की आज्ञा देता हो।

फिर दूसरे दो पैराग्राफ जो "दूसरी बातों में इस सभा के संसदीय समितियों से सम्बन्धित प्रक्रिया सम्बन्धी नियम लागू होंगे ....." से आरम्भ होते हैं और जो पहले प्रस्ताव में थे इस प्रस्ताव में नहीं हैं। ये पैराग्राफ जो दूसरे विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के लिए किये गये प्रस्ताव में थे मेरे स्थानापन्न प्रस्तावमें सम्मिलित हैं। हमें प्रसन्नता होगी यदि माननीय मंत्री आपके सुझाव को स्वीकार कर लें। लेकिन आपके सुझाव भविष्य के लिये थे जबकि वर्तमान हर कार्य के लिए सर्वोत्तम समय है।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब तक कोई ऐसी विधि या नियम नहीं है जिसका यह प्रस्ताव उल्लंघन करता है मैं कैसे इसे अस्वीकार कर सकता हूं चाहे मैं यह अनुभव करूं कि दूसरा रूप प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधिक अनुरूप है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हरि विष्णु कामत : यदि आप इसकी आज्ञा देते हैं तो ठीक है ।

अब मैं अपने प्रस्ताव के दूसरे भाग को लेता हूं । इसमें "आगामी सत्र के पहले दिन" के स्थान पर मैंने "आगामी सत्र के उपान्तिम सप्ताह के पहले दिन" रखने का सुझाव दिया है क्योंकि मैं किसी ऐसे आरोप का कि मैं विलम्ब कारी उपाय अपनाना चाहता हूं, खंडन करना चाहता हूं । मैं चाहता हूं कि यह विधेयक आगामी सत्र में पारित कर दिया जाये जो कि २ १/२ या ३ माह क होगा । यदि हमें उपान्तिम सप्ताह में प्रतिवेदन दे दिया जाये तो इस पर विचार करने के लिए १० दिन या २ सप्ताह का समय मिल जायेगा ।

मैं संयुक्त समिति की दूसरे विधेयक सम्बन्धी कार्यवाहियों को प्रकट करना नहीं चाहता किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उसके कार्य में अभी कोई प्रगति नहीं हुई है ।

†अध्यक्ष महोदय : वे इस विधेयक के सौंपे जाने की प्रतीक्षा कर रहे होंगे ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैंने पहली बैठक में ही यह सुझाव दिया था कि गवाहों का साक्ष्य ले लिया जाये । वे साक्ष्य देने के लिए प्रस्तुत हैं । किन्तु उस बैठक में यह निश्चय किया गया कि गवाहों के साक्ष्य लेने की आवश्यकता नहीं विभिन्न संस्थाओं से ज्ञापन मंगवा लिये जायें । फिर दूसरी बैठक में माननीय मंत्री ने भी यही कहा कि कुछ व्यक्ति और संस्थायें विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों के संबन्धमें साक्ष्य देना चाहते हैं । इसके बाद समिति की बैठक १३ फरवरी तक के लिये स्थगित हो गई । अब बजट सत्र १८ फरवरी को आरम्भ हो रहा है और संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा के समक्ष पहले ही दिन प्रस्तुत किया जाना है । इस प्रकार काम अधिक है और हमारे पास समय कम है ।

अब इस विधेयक पर अलग से विचार किया जायेगा । हम नहीं चाहते कि समिति दोनों विधेयकों पर एक साथ विचार करे । इसलिए मैं माननीय विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे इस बात से सहमत हो जायें कि आगामी सत्र के पहले दिन सभा के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना असंभव सा ही होगा । अपितु यह प्रस्ताव रखना अधिक व्यवहार्य होगा कि प्रतिवेदन आगामी सत्र के उपान्तिम पहले सप्ताह के दिन प्रस्तुत किया जाये ।

†अध्यक्ष महोदय : स्थानापन्न प्रस्ताव और मूल प्रस्ताव का संशोधन दोनों सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

†श्री र० ना० रेड्डी (नलगोंडा) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान् । मैं माननीय विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

†श्री अ० कु० सेन : श्रीमान, मैं श्री कामत के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं; किन्तु उसके तीसरे पैराग्राफ में उल्लिखित समय नहीं होगा जो मूल प्रस्ताव में है ।

†अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं श्री कामत को भी यह स्वीकार होगा ।

†श्री हरि विष्णु कामत : मैं इसे स्वीकार करता हूं ।

†अध्यक्ष महोदय : अब स्वीकृत स्थानापन्न प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत है ।

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

---

!मूल अंग्रेजी में

**श्री र० ना० रेड्डी :** यह विधेयक राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता और प्रादेशिकता समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर पुरःस्थापित किया गया है ।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।]**

हाल ही में पृथक्करण की विखण्डनकारी प्रवृत्तियां जातिवाद, साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता आदि के रूप में हमारे सामने आई हैं । यह देश की एकता के लिए बहुत बड़ा ख़तरा उत्पन्न करती हैं । इनका सामना किया जाना चाहिए ।

चीनी आक्रमण से उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में भारत के अन्दर एकता की एक लहर दौड़ गई है । लेकिन कौन जानता है कि इस स्थिति के समाप्त होने पर ये विखण्डकारी प्रवृत्तियां फिर से उत्पन्न न हो जायेंगी । इसलिए माननीय विधि मंत्री द्वारा उठाया गया कदम उचित है । हर व्यक्ति को, जो चुनाव में खड़ा होना चाहता है भारत की एकता और अखण्डता के प्रति वफ़ादार रहने की शपथ लेनी चाहिए । लेकिन इस सम्बन्ध में मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं । केवल विधान बना देने से या संविधान के संशोधन से अथवा शपथ दिलवा देने से ही इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जायेगा ।

पृथक्करण की समस्या लीजिए । जो दल पृथक्करण करवाना चाहता है या जो पृथक राज्य की स्थापना का प्रश्न उठाते हैं उन्हें जनता का समर्थन कैसे प्राप्त हो जाता है । उदाहरणार्थ मद्रास में डी० एम० के० आन्दोलन को ही लीजिए । इसके नेताओं को, यद्यपि उनका नारा इतना खतरनाक है कि वह भारत की एकता को ही समाप्त कर देगा, जनता का इतना समर्थन कैसे प्राप्त हो गया कि उनका दल राज्य में मुख्य विरोधी दल बन गया ? इसके कुछ आधारभूत कारण होने चाहिए । सरकार को चाहिए कि उनकी जांच पड़ताल करे और उन्हें समाप्त करने का प्रयत्न करे ।

एक तो पूरे प्रशासन का केन्द्रीयकरण करने की प्रणाली ही ऐसी है जो जनता को पृथक्करण के बारे में सोचने के लिए विवश करती है । मैं नहीं समझ सकता कि हर विभाग के लिए केन्द्रीय सेवाओं का प्रस्ताव ही क्यों रख दिया जाता है इससे यह गलतफहमी उत्पन्न हो जाती है कि केन्द्र राज्यों की सारी शक्ति छीन कर उन्हें नगरपालिका अथवा ज़िला परिषद् बना देना चाहता है ।

कुछ अन्य समस्यायें भी हैं । भाषा और प्रादेशिक असमताओं का प्रश्न ही लीजिए । प्रादेशिक असमता एक और कारण है जो लोगों में पृथक्करण की भावना उत्पन्न करता है । आंध्र प्रदेश एकदम उद्योगहीन प्रदेश है । अन्य पिछड़े प्रदेशों की भी उपेक्षा की जाती है । ये बातें पृथक्करण की भावना को बढ़ावा देती हैं जिससे पृथक्करणवादी नेताओं को जतता का समर्थन प्राप्त हो जाता है ।

पृथक् नागालैंड की मांग क्यों की जा रही है ? क्यों लोग वर्षों से इसके लिए लड़ रहे हैं ? हम भी फिजो का समर्थन नहीं करते । लेकिन ऐसी बातें अन्यत्र भी हो सकती हैं । इसलिए इनके आधारभूत कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

फिर भाषा का प्रश्न है--दक्षिण में हिन्दी का विरोध क्यों किया जाता है । जहां तक मैं समझता हूं वहां लोग हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं; किन्तु जिस रीति से हिन्दी समर्थक इस प्रश्न को रख रहे हैं वह बहुत सी कठिनाइयां उत्पन्न कर देता है । उन्हें कुछ काल के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए ।

[श्री र० ना० रेड्डी]

प्रादेशिक भाषाओं और उनके अधिकारों का प्रश्न भी है । हिन्दी समर्थक इनके बारे में कुछ नहीं कहते । ये लोग अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी करने जाने की बात ही करते हैं। इससे अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में सन्देह उत्पन्न होता है । वे यह समझते हैं कि प्रादेशिक भाषाओं का स्थान भी हिन्दी ले लेगी । ऐसा सन्देह लोगों में पृथक्करण की भावना को बढ़ावा देगा ।

साम्प्रदायिकता के बारे में भी मैं यही बात कह सकता हूं । साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं । ये राष्ट्र के लिए हानिकारक हैं । किन्तु प्रशासन सब साम्प्रदायिकताओं को एक ही दृष्टि से नहीं देखता । कुछ सीमा तक हिन्दू साम्प्रदायिकता सहन कर ली जाती है । यह अल्पसंख्यकों में सन्देह की भावना उत्पन्न करता है इसलिए अल्पसंख्यकों के अधिकारों का आदर किया जाना चाहिए । जब तक ऐसा नहीं होगा पृथक्करण की भावना बढ़ती ही जायेगी ।

यह सौभाग्य की बात है कि पृथक्करण की भावनाओं को रोकन के लिये विधान बनाया जा रहा है । किन्तु यदि सरकार यह सोचती है कि केवल विधान बना देने से ही इस समस्या का समाधान हो जायेगा तो यह उस की भूल है । विधान बनाने के साथ ही साथ इन प्रवृत्तियों को आधारभूत कारणों का पता चला कर उन्हें दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए ।

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि इस का बहुत ही सीमित प्रभाव होगा । जहां तक वर्तमान परिस्थितियों का प्रश्न है, आपात-कालीन स्थिति को देखते हुए देश में फूट की भावना नहीं रही । जिस दल का अभी उल्लेख किया गया है और जिस ने कुछ समय पूर्व पृथक्करण की मांग सामने रख कर देश भर में उद्वेग की लहर उत्पन्न कर दी थी उस ने भी यह घोषणा कर दी है कि वह देश की रक्षा करने के लिए और उस की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाये रखने के लिये पूर्ण रुपेण तैयार है । इसलिये वर्तमान समय में इस विधान की आवश्यकता नहीं केवल भविष्य में परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही हम यह विधान बना रहे हैं । हम नहीं चाहते कि किसी भी नागरिक को संविधान के उच्छेदन करने का अथवा भारत की प्रभुसत्ता को नष्ट करने का अधिकार हो । किन्तु प्रस्तुत विधेयक में केवल पृथक्करणकारी आंदोलनों पर ही प्रतिबन्ध लगाने का उपबन्ध है ।

श्रीमान्, देश के सामने इस समय इस की अखंडता के लिए संकट उत्पन्न करने वाली कई समस्यायें हैं । चुनावों में सामन्तवादी तत्व एक बड़ी सीमा तक सफलता प्राप्त करते हैं । किन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि जनता सामन्तशाही को फिर से लाना चाहती है । इस के कारण तो कुछ और ही हैं ।

देश में जातिवाद, प्रादेशिकता, साम्प्रदायिकता इत्यादि की वृत्तियां बढ़ रही हैं और मेरे विचार से ये केवल प्रतिक्रियात्मक ही नहीं हैं, अपितु इन में कुछ औचित्य भी हैं । दासता के काल में दलित, उत्पीड़ित वर्ग को अपनी व्यथा व्यक्त करनें का अवसर नहीं मिला । अब लोकतन्त्रात्मक शासन में उन्हें यह अवसर मिला है और हमें इसे समझना चाहिये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री नें राष्ट्रीय एकता समिति के प्रतिवेदन का निर्देश किया था । किन्तु आपातकालीन स्थिति से उत्पन्न देशव्यापी एकता के कारण इस समिति ने विषय का पूर्ण अध्ययन नहीं किया । कुछ ऐसा सुझाव दे दिया कि संविधान के उन्नीसवें अनुच्छेद का संशोधन कर दिया जाये । उस में उन्होंने नागा, डी० एम० के० अकाली दल आदि का ही उल्लेख किया था । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक में प्रान्तों के भाषा के आधार पर विभाजन को रोकने की

शक्ति देने का भी उपबन्ध है। कुछ ऐसे सीमांक्षेत्र हो सकते हैं जिन का भाषा के आधार पर पुनर्विभाजन आवश्यक हो। क्या ऐसे आन्दोलनों को भी प्रभुसत्ता पर आघात समझा जायेगा। यदि ऐसा है तो यह उचित नहीं।

माननीय मंत्री न कहा था कि हमें उस दल का स्मरण है जो इस देश में काम कर रही थी और जिसके कारण देश का विभाजन हुआ। उन्होंने पूछा क्या आप उन बातों को दोहराना चाहते हैं? किन्तु देश को अब यह खतरा नहीं। धार्मिक भावनाओं के आधार पर भी ऐसा आंदोलन, अब इस देश में जन्म नहीं ले सकता। किन्तु मैं कहना यह चाहता हूं कि वास्तविक खतरा पृथक्करण कारी आंदोलनों से नहीं अपितु देश में कार्यरत उन दलों से जो संविधान के प्रति, देश की प्रभुसता के प्रति वफादार नहीं। यहां कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जिन्होंने प्रकट रुप से यह कह दिया है कि उनका दल भारतीय नहीं। उनके निर्णय देश के बाहर किये जाते है। क्या दल भारत की प्रभुसत्ता का उच्छेदन नहीं करते? क्या हमें इस समस्या का दृढ़ता से सामना नहीं करना चाहिये? इस आपातकालीन स्थिति को देखते हुये भी हमें संविधान का संशोधन इस प्रकार करना चाहिये कि किसी भी दल को जो हमारे दश को छोड़ कर किसी दूसरे के प्रति वफादार है यहां कार्य नहीं करने दिया जाय। मैं नहीं जानता कि संयुक्त समिति इस बारे में कुछ कर सकेगी अथवा नहीं। केवल शपथ लेने से क्या होता है? केरल में साम्यवादी सरकार ने २८ माह तक शासन किया। उन्हों ने संविधान के प्रति वफादार रहने की शपथ ली। किन्तु केन्द्र ने हस्ताक्षेप किया क्योंकि उन्हों ने संविधान के नाम पर उस का उच्छेदन करना चाहा था। इसी प्रकार हम न्यायाधीशों संसद सदस्यों आदि से इस बात की शपथ दिलवाते हैं कि वे भारत की प्रभुसता, अखण्डता और सम्मान की रक्षा करेंगे, लेकिन यदि हम ध्यान से समस्या पर विचार करें तो यह विखण्डनकारी अवच्छेदक प्रवृत्तियां प्रशासन में उत्पन्न नहीं होती। प्रशासन में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न जाति सम्प्रदायों के कर्मचारी आते हैं। कहीं किसी एक स्थान पर यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि हमारी उपेक्षा की जा रही है किसी दूसरी जाति अथवा सम्प्रदाय पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, अधिक लाभ पहुंचाया जा रहा है। और फिर बस यह भावना बढ़ कर विखण्डनकारी प्रवृत्तियों में बदल जाती है।

इसलिये जहां यह एक आवश्यक कदम है मैं नहीं समझता यह समस्या को पूर्ण रुप से सुलझा सकता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि समस्या पर ठीक प्रकार से विचार करे और एकदूसरा व्यापक विधेयक प्रस्तुत करे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हू परन्तु मैं समझता हूं कि यह पग बहुत पहले उठाया जाना चाहि था।

यह विधेयक बहुत सीमित है। हम केवल चुनावों के तीन महीनों के लिये विधान बना रहे हैं परन्तु यदि सम्बन्ध विच्छेद, आदि, का जोर चार ४ साल और ९ मास तक होता रहता है उसे रोकने के लिये हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें केवल सभाओं, परिषदों तथा संसद् के सदस्यों को ही इस विधेयक की सीमा में नहीं लाना चाहिये। पंचायतों, नगरपालिकाओं आदि के सदस्यों को भी लाना चाहिये, क्योंकि वह भी इस प्रकार का प्रचार कर सकते हैं। मेरे विचार में देश भर में किसी प्रकार के भी चुनावों में इस प्रकार के प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल जजों, महालेलाखापरीक्षक, संसद्-सदस्यों, और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों को ही क्यों इस विधयक में लाया जा रहा है। मेरे विचार में समस्त सरकारी कर्मचारियों के लिये किसी प्रकार का दूषित प्रचार करने की, जिस से देश की अखण्डता और सुरक्षा को हानि पहुंच सकती हो, मनाही होनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री दी० चं० शर्मा]

देश की अखण्डता को हानि पहुंचाने के सिलसिले में सब से अधिक काम समाचार-पत्र करते हैं : पैस विधियां इस सम्बन्ध में भावहीन हैं। समाचार पत्र, सार्वजनिक प्लेटफार्म, चलचित्र, नाटकों आदि द्वारा ऐसे होने वाले प्रचार को रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं ?

निसंदेह यह एक अच्छा विधेयक है परन्तु यह समस्या बहुत बड़ी है और इस दृष्टि से यह सन्तोष-जनक नहीं है ।

यह कहा गया है कि डी० एम० के० सम्बन्ध विच्छत के लिये अपील कर रही थी । हमारा देश बहुत बड़ा देश है जिस में न केवल विभिन्न प्रकार के लोग बल्कि भिन्न भिन्न बुद्धि तथा विचरों वाले लोग रहते हैं । यह कहना गलत है कि डी० एम० के० केवल सम्बन्ध विच्छद की अपील पर ही निर्भर करती है । यह भूमि वितरण की बात भी तो कहते हैं । मेरे विचार में हम कभी कभी जात-पात, प्रादेशिकता तथा सम्प्रदायिकता को संरक्षण देते हैं ।

हम जनतांत्रिक प्रकार की सरकार की स्थापना में बहुत विकासशील हैं, इसलिये कुछ लोग निर्वाचक-वर्ग के विचारों को प्रभावित करने के लिये जात-पात के नाम से अपील करते हैं, कुछ लोग धर्म के नाम पर एसा करते हैं । मेरे विचार में निर्वाचक-वर्ग को धर्म, जाति, आदि के नाम पर अपील करना दण्डनीय अपराध घोषित कर दैना चाहिये ।

मेरे विचार में विदेश में विधान बहुत उपयुक्त है, परन्तु विधान के साथ साथ प्रशासनिक अभ्युपाय ,जसे प्रचार, शिक्षा, आदि भी होने चाहिये । यह बातें जब तक एक बच्चे की शिक्षा का अंग नहीं बन जातीं तब तक हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते ।

यह विधेयक संयुक्त समिति के पास विचार के लिये जा रहा है परन्तु संयुक्त समिति को केवल प्रतिक्षा से ही सन्तुष्ट नहीं रहना चाहि बल्कि एसे उपाय ढ़ूंढ़ निकालन चाहियें जिन से हम अपने ध्यय को प्राप्त कर सकें । संयुक्त समिति को प्रशासनिक और शैक्षणिक उपाय सुझाने चाहिये ।

हमारे देश में ऐसी पार्टियां हैं जो प्रत्यक्षत: साम्प्रदायिक हैं और उन के लक्ष्य और ध्येय भी देश के लिए घातक और हानिकारक हैं । ऐसी पार्टियों के सम्बन्ध में भी हमें कुछ करना चाहिए ।

केवल प्रतिज्ञायें करते रहने की एक प्रथा सी हमारे देश में बन गई है परन्तु हम प्रतिज्ञायें तोड़ने के लिए भी उतने ही गम्भीर होते हैं जितने प्रतिज्ञायें लेने के सम्बन्ध में ।

देश में जो इस समय एकता पाई जाती है मैं उस का स्वागत करता हूं परन्तु यह एकता केवल ऊपरी सतह पर ही है । अब भी कुछ शक्तयां इस एकता के ध्वंस के लिए गुप्त रूप में कार्य कर रही हैं । ऐसे ध्वंसात्मक कार्यों को रोकने के लिए हम क्या पग उठा रहे हैं ?

इस विधेयक का स्वागत करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक सीमित प्रयत्न है जिस के द्वारा हम बहुत बड़ा काम सम्पन्न करने जा रहे हैं । मुझे आशा है कि संयुक्त समिति इसे अधिक सम्पन्न और प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न करेगी ताकि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिस के लिए इसे लाया गया है ।

†**श्री नारायण दास** (दरभंगा) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं कुछ विचार व्यक्त करूंगा ।

एक लम्बे संघर्ष तथा अनेक कठिनाइयों के पश्चात् हम ने स्वतंत्रता प्राप्त की और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हम लोगों को अपने लिए संविधान तथा प्रस्तावना तैयार करने का अवसर मिला । संविधान में दिये गये मूल अधिकारों से यह विदित होता है कि ऐसी प्रत्याशा की गई कि कोई सरकार यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा डाले तो उस के लिए पहले से ही उपबन्ध हो । उस के पश्चात् एक स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित की गई जो उन मूल अधिकारों का संरक्षण करती है ।

अनुच्छेद १९ के अनुसार जहां मूल अधिकार दिये गये हैं वहां यह भी उपबन्ध है कि सरकार उन पर किसी प्रकार के प्रतिबन्ध भी लगा सकती है ।

हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के नाम पर उन मूल अधिकारों, जैसे वाक्-स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, आदि, का शोषण किया जा रहा है । कुछ नागरिक, मूल अधिकारों की आड़ ले कर, देश से सम्बन्ध विच्छद का प्रचार कर रहे हैं । सरकार ऐसे व्यक्तियों अथवा पार्टियों को रोकने में असमर्थ थी क्योंकि अनच्छद १९ में कुछ त्रुटि पाई जाती हैं । इसीलिय सरकार मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए अनुच्छद १९ का संशोधन करन चाहती है । मेरे विचार में इस संशोधन के पश्चात् वह सम्बन्ध विच्छेद का प्रचार करने वालों के साथ अच्छी प्रकार निबट सकेगी ।

एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा । हम विभिन्न विधान सभाओं के सदस्यों, संसद्-सदस्यों मंत्रियों, आदि, के शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान के लिए उपबन्ध कर रहे हैं । परन्तु मैं चाहता हूं कि संयुक्त समिति ऐसा उपबन्ध करे कि न केवल नये बल्कि वर्तमान, राज्यों में तथा केन्द्र में, सदस्यों को भी संशोधित शपथ फार्म के अनुसार शपथ लेनी पड़े ।

इस संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के पश्चात्, मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसा विधान लाये जिस से सम्बन्ध-विच्छेद अथवा एसी ही और देशघातक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उपबन्ध हों और ऐसी प्रवृत्तियों को दण्डनीय अपराध घाषित किया जाय ऐसी पार्टियों अथवा व्यक्तियों को जो सम्बन्ध विच्छेद का प्रचार करें कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ।

**श्री बड़े** (खारगोन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शासन ने इस हाउस के सामने जो कांस्टीट्यूशन (सिक्स्टीन्थ अमैंडमेंट) बिल उपस्थित किया है, मैं अपनी पार्टी की तरफ़ से उस का समर्थन करता हूं । मेरी समझ में नहीं आया कि यह कांस्टीट्यूशन (सिक्स्टीन्थ अमेंडमेंट) बिल इस से पहले कांस्टीटयूशन (फ़िफ्टीन्थ अमैंडमेंड) बिल के रूप में क्यों नहीं यहां पर लाया गया, क्योंकि यह तो बड़े महत्व का बिल है और इस में देश को साविरेन्टी और इन्टेग्रिटी की सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, जब कि इस से पहले जो कांस्टीट्यूशन (अमैंडमेंट) बिल आया था, उस का कोई विशेष महत्व नहीं था ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री बढ़े]

इस बिल के स्टटमेंट आफ़ आबजेक्ट्स एंड रीज़न्ज़ में दिया गया है:

"राष्ट्रीय एकता परिषद् द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय एकता तथा प्रादेशिकता समिति ने इस प्रकार अनुच्छेद १९ के संशोधन का सुझाव दिया....."

इसलिए यह बिल प्रस्तुत किया है। जब कभी आक्रमण होता है वास्तब में तभी हम को इस तरह की चीज़ों का महत्व मालूम पड़ता है। परकीय आक्रमण जब होता है तो जो परकीय शत्रु होता है वह यह देखता है कि अन्दर का शत्रु कौन है और उसको अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है। परकीय शत्रु से अन्दर के शत्रु से ज्यादा डर होता है। वह ज्यादा खतरनाक होता है। इतिहास इसका साक्षी है। पृथ्वी राज के वक्त यह हुआ है। उस वक्त मुसलमानों ने देखा कि यहां अन्दर का शत्रु कौन है और उसका पूरा पूरा फायदा उठाया और अपना ही साम्राज्य बढ़ाया। इसी तरह से अंग्रेज़ों ने किया। पहल उन्होंने सिन्दों को डिफीट दी और उसके बाद होल्करों को। जब यह हो गया तब उन्होंने अपना साम्राज्य प्रस्थापित किया। अन्दर के शत्रु पर भी प्रतिबन्ध होना चाहिय, अंकुश लगना चाहिय। यह जो बिल आप अब लाये हैं, इसको बहुत पहल आपको लाना चाहिये था।

यह जो इंटग्रटी एंड सावरनटी हिन्दुस्तान में आपको नहीं मिल रही है, इसका कारण अगर आप ढूंढ़ना चाहते हैं तो आपको पहले का इतिहास देखना पड़ेगा। पहला इतिहास बताता है कि कांग्रेस ने लिंग्वस्टिक प्रांविसिस डिमांड करने का निश्चय किया और जब हम हमें आजादी मिल गई तो ये प्राविंसिस बन गए। इसका नतीजा यह हुआ कि जो छोटे छो समुदाय थे, जो भी छोट छोट भाषावयदी, थे, वे यह मांग करने लगगए कि उनको भी अपने प्राविंसिस मिलने चाहिये, जो छोटे छोटे पंथथे उन्होंने मांग करनी शुरू कर दी कि उनको भी अपना प्रान्त मिलना चाहिये। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों को पाकिस्तान का राज्य मिल गया है, तो दूसरे जो छोटे छोटे पंथ थे उन्होंने भी कहा कि हमें अपना राज्य मिलना चाहिये। इसके बाद जब बेरूबाड़ी देने का प्रश्न आया और उसको दिया गया तब भी अगर यह एक्ट होता, यह चीज़ यहां पर लागू होती तो मैं समझता हूं बेरूबाड़ी न दिया जाता। जो रूलिंग पार्टी है, उसकी जो पालिसी चली आ रही है, वह भी इस तरह के तत्वों को बढ़ावा देने में सहायक हुई है और इसके लिए ज्यादा तर वही दोषी है। लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को भी घर वापिस आजाता है, तो उसको भूला नहीं कहा जा सकता है। इस दृष्टि से चाहे यह बिल देरी में ही आया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

परन्तु इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति भारत को एक देश समझता है और तब यह कहता है कि उसके भाषा भाषियों को ज्यादा नौकरियां नहीं मिलती है या उसकी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, तो उसके अन्दर देश प्रम का अभाव है, वह देश के साथ प्रम नहीं करता है। मैंने देखा है कि जब चीनी आक्रमण हुआ तब हिन्दुस्तान में एकता की लहर दोड़ गई और सब एक हो गए। सी० एम० के० वालों ने भी कह दिया, चाहे प्रशर में आकर ही,सही, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कह दिया कि वे देश के साथ हैं और चीन आक्रमणकारी है, तो उन्होंने देश प्रम का ही परिचय दिया। आज सभी यह कह रहे हैं कि हिन्दुस्तान एक है और यह मातृभूमि हमारी है, इसकी रक्षा करना हम सब का कर्तव्य है। यह जो महान संस्कृति है, इसकी रक्षा करना हम सब का प्राथमिक कर्तव्य है जिस को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, उस महान संस्कृति का धीर धीर निर्माण हुआ है उसकी रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। मनुष्य सभी सममाज प्रिय प्राणी है। समाज कैसे बनता है। समाज तब बनता

है जब एक से ज्यादा व्यक्ति, मनुष्य हो, जितने आदर्श हैं, उनको साथ ले कर हम चलत हैं। समाज जिस भूमि पर होता है, जैसा भारत भूमि या मातृभूमि, उस मातृभूमि पर जब तक संकट आता है, तब जा कर संस्कृति का नाश होना शुरु होता है। जब परकीय संस्कृति का आक्रमण होता है, हजारों साल से भारतीय संस्कृति चलती आ रही है। एक दम इसके दिग्दर्शन तब हुए जब प्रिय भारत में एक लहर दौड़ गई और सब एक हो गये और सब ने कहना शुरु कर दिया कि हम नेहरु जी के पीछे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिये हम सब तैयार हैं। सब ने अपनी पार्टियों के निहित स्वार्थों को लात मार दी, उनको अलग कर दिया और कहना शुरु कर दिया कि हम सब एक हैं, तब एकता का दिग्दर्शन हुआ।

यह जो एकता है, इसका हम लाभ उठाना चाहिये। हमें देखना चाहिये कि इंटग्रटी और सावरेनटी का मतलब क्या है। यह बिल सिलेक्ट कमेटी के पास जा रहा है। सिलेक्ट कमेटी से मैं प्रर्थना करता हूं इस हाउस की मार्फत कि वह बतायें कि इंटग्रटी और सावरेन्टी का मतलब क्या है। पीनल कोड में आज यह तो है कि एक इंडिविजुअल अगर गुनाह करता है, तो उसको पनिश किया जा सकता है लेकिन अगर एक पोलिटिकल पार्टी या संस्था इस प्रकार की इंटग्रटी के विरुद्ध कार्य करती है या अलगाव की भावना पैदा करती है या अलग रहने के लिये कोई प्रस्ताव पास करती है, या मवमेंट करती है, तो उसको सजा नहीं हो सकती है। इस का डेफीनीशन इसमें किया जाना चाहिय, इसकी भी व्यवस्था इसमें की जानी चाहिय, यदि यह चीज अब नहीं हो सकती है तो आगे चल कर यह कर दी जानी चाहिये। देश की एकता के विरुद्ध अपराध को पीलन कोड में इसको देश द्रोह मानना चाहिये और इसे देश द्रोह की सजा मिलनी चाहिये। इसको यदि आप देशद्रोह नहीं मानते हैं तो ओथ लेने से क्या लाभ हो सकता है। ओथ तो कोर्ट में भी हर व्यक्ति लेता है। वह कहता है कि मैं जवार की सौगंध खा कर कहता हूं कि सच बोलूंगा या कहता है कि गंगा माता की सौगन्ध खा कर कहता हूं कि सच बोलूंगा, लेकिन होता है यह कि जवार को तो वह खा जाता है और को वह पी जाता है और वह झूठ बोल ता है। पीनल कोड में इस तरह के मतलबी लोगों के लिये सजा रखी गई है। सी तरह से इस प्लेज को लेने के बाद यदि कोई इसके खिलाफ जाए तों उसके लिए सज़ा रखी जानी चाहिये। पीनल कोड में इसको देशद्रोह का गुनाह माना जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि शासन इस ओर ध्यान देगा।

इस तरह की चीज करने की हमें आवश्यकता क्यों महसूस हुई है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। क्या हिन्दुस्तान में ऐसी पार्टियां हैं जो कि एक्सट्राटैरिटोरियल लायलटीज रखती हैं, क्या इस प्रकार की कोई पार्टियां हो गई हैं जो खेक भारत में रह कर पाकिस्तान की तरफ देखती हैं, इस तरह की पार्टियां पैदा हो गई हैं, जो कि हिन्दुस्तान को मातृभूमि नहीं मानती हैं, या द्रविड़ और आर्य को अलग अलग समझती हैं और अगर ऐसी बात है तो मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से कानून बना करके और स्ट्रांग हैंड से उनको कर्ब किया जाय। मैंने देखा है कि अपने पोलिटिकल एड्ज की खातिर जो नेता लोग होते हैं, या जो परकीय सत्ता होती है, वह अपन लोकग भज करके यहां की जनता जो कि अशिक्षित है, उसको गमराह करती है, नाजायज फायदा उठाती है। इस तरह की प्रवृत्तियों पर भी रोक लगनी चाहिय।

मैं चाहता हूं कि सिलेक्ट कमटी को इस बिल के बारे में जल्दी निर्णय लेना चाहिये और जल्दी वापिस इस बिल को इस हाउस के सामने भेजना चाहिय। पंद्रहवां बिल उसके सामने पड़ा हुआ है। वह बहुत लम्बा बिल है। उस पर विचार विनिमय भी बहुत ज्यादा होगा। विटनैसिस भी काफी एग्जमिन की जायेंगी। उसको तो यहां वापिस आने में दर लगेगी। लेकिन यह जो बिल है, इसको उसे शीघ्रातिशीघ्र वापिस इस हाउस में भेजना चाहिय।

हमारे एक मित्र ने कहा कि हिन्दी भाषा के साम्राज्यवाद से या हिन्दी भाषा को दूसरों पर लादे जाने की वजह से इस तरह की बातों होती हैं। मैं कहता हूं कि मातृभूमि के लिये हम अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिये निकले हुये हैं और हमें इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहियें अगर इस तरह की बातें कही जाती हैं तो इसका मतलब यह है

[श्री बड़े]

कि इस तरह के बीज हैं, जो कि मातृभूमि के हितों से विरुद्ध जाते हैं। मातृभूमि पर जब संकट आता है, मातृभूमि की इंटग्रेटी का जब सवाल आता है, तो उसकी खातर सर्वस्व न्योछावर करने के लिये हमें तैयार होना चाहिये। हमारे शर्मा जी ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं में इसका फलाव करना चाहिय। यह बात तो होगी। लेकिन अभी यह जो बिल रखा गया है और इसमें जो प्राविजन रखा गया है सावरेनटी एड इंटीग्रेटी का, इसका मैं सहर्ष समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसकी व्याख्या की जाय कि ये क्या हैं, और इसका पीनल प्राविजन क्या होगा।

†श्री मनोहरन (मद्रास-दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तावित विधयक के सम्बन्ध में मैं डी० एम०के० की ओर से अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। इस समय हमारा देश संकट में है। चीनी आक्रमण के कारण हम ने अपने छोट मोट भेदों को भुला दिया है और आक्रमण को समाप्त करने के लिये सभी मिल कर काम कर रहे हैं। इस आपात काल में यह खेदजनक बात है कि सरकार संविधान में इस प्रकार का संशोधन ला रही है।

डी० एम० के० भी आक्रमण के खतरे को देखकर समस्त देश के साथ मिल कर, पग उठाने के लिये आग आई हैं।

संविधान के अनुसार सरकार के पास इतनी शक्तियां हैं कि वह किसी भी पार्टी के साथ, जो संविधान की सीमा का उल्लंघन कर उपयुक्त व्यवहार कर सके। कानून का हाथ आग ही बहुत सशक्त है।

मैं यह बताना चाहता हूं कि डी०एम०के० ने आजतक अपने प्रचार में संविधान के उपबन्धों का एक बार भी उल्लंघन नहीं किया। हम शांतिपूर्वक ढंग से प्रचार करते रहे हैं और हमारा लक्ष्य सार्वजनिक राय को प्रभावित करना रहा है, जिस में हम सफल रहे हैं।

देश की एकता को कायम रखने के लिये राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ जिस में बहुत सी पार्टियां सम्मिलित हुईं परन्तु केवल डी०एम०के० को नहीं बुलाया गया। जनतांत्रिक शिष्टता को देखते हुय हमें भी बुलाना चाहिये था ताकि अपनी विचारधारा और भावनायें सब के सम्मुख रख सकते।

इस सम्मेलन में एक राष्ट्रीय-एकता समिति का गटन किया गया जिस के सदस्यों ने भारत की यात्रा की और विभिन्न संघों और व्यक्तियों से उस के सभापति मिले। परन्तु इस समिति के सभापति डी०एम०के० के ताओं से नहीं मिल सके जिस की वजह यह दी गई कि डी०ए०के० के नेता उस समय जेलों में थे। उन के मुक्त होने के पश्चात् भी इस समिति के सभापति हमारे नेताओं से नहीं मिले।

हम जनतात्रिक रीतियों में विश्वास करते हैं और अपने प्रधान मंत्री जी को जनतांत्रिक विचारों का अवतार मानते हैं। हम परस्पर बात-चीत में भी विश्वास रखते हैं। परन्तु इस के बावजूद भी मैं सभा को बताना चाहता हूं कि हम से अपनी विचारधारा को व्यक्त करने का अवसर भी छीना जा रहा है। इस लिये मैं कह सकता हूं कि एकता समिति की विनिश्चय एक पक्षीय विनिश्चय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और जनतांत्रिक पद्धति हमारी विचारधारा और प्रचार को असफल बनाने की यह थी कि हमारे प्रचार की प्रेस तथा प्लेटफार्म द्वारा प्रतिक्रिया की जाती और इस प्रकार उसे शून्य बनाया जाता। प्रशासक वर्ग द्वारा एसी प्रतिक्रिया हुई, उन्हें इस में सफलता प्राप्त हुई है या नहां इस का निर्णय वही कर सकते हैं।

---

†मूल अंग्रजी में

**श्री त्यागी** (देहरादून) : किस प्रकार का प्रचार ?

†**श्री मनोहरन** : देश से सम्बन्ध विच्छेद का प्रचार । जनतंत्र का अर्थ यह नहीं है कि बहुमत की बात मानी जाये । अल्पसंख्यक वर्ग के विचार भी सुने जाने चाहिये और उन की उचित प्रशंसा भी होनी चाहिये ।

अब मैं समझता हूं कि, जनतांत्रिक तरीकों को हम बिल्कुल छोड़ रहे हैं और इसी उदेश्य से संविधान का संशोधन हो रहा है । अब जनतांत्रिक तथा संवैधानिक उपाय प्रभाव शुन्य हो चके हैं । प्रत्येक बात के लिये संविधान का संशोधन करना एक अच्छी या उचित जनतांत्रिक परम्परा नहीं है ।

मैं प्रधान मंत्री की इस विषय पर प्रतिक्रिया जानना चाहुंगा कि इस प्रकार मूल अधिकारों को छीनना सर्वोत्तम जनतांत्रिक परम्पराओं के विरुद्ध है । मेरा निवेदन यह है कि अधिक उचित तथा संवैधानिक तरीका यह होगा कि स्थिति का हल राजनैतिक स्तर पर ढूंढ़ा जाय न कि सवैधानिक हथियारों से लैस होकर विशष कर जबकि विधान सभाओं में प्रशासन का बहुमत है ।

हमें अधिक विधियों, परिनियमों, संशोधनों आदि से देश पर बोझा नहीं डालना है । यह जनतांत्रिक देश के लिये उचित नहीं है । सही राजनीति वही है जिसके अनुसार देश में भावनाय और विचार पनपे । मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव सार्वजनिक युद्ध प्रयत्नों को मद्धम करन वाला है ।

यदि सम्बन्ध विच्छेद के मामले को इतना गम्भीर भी समझा जा रहा है तो भी मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उसके लिये यह समय पग उठाने का उचित है । मेरे विचार में ऐसे विधयक के लिये यह समय पूणतया अनुचित है । डी० एम० के० चीनियों के आक्रमण का सामना करने के कार्य में प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत करेंगी । यह मैं आज बताना चाहता हूं ।

जो भी नीति आप अपनाये, मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि चीनियों को खदेड़ देने के लिये डी०एम० के० प्रधान मंत्री का सथ देगी ।

मैं प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा विधि मंत्री से अपील करुंगा कि एसे विधेयक को आपातकाल तक न पास किाया जाय । इस से कोई व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि सम्बन्ध-विच्छेद के लिये प्रचार इस काल के लिये बन्द कर दिया गया है ।

चीनी आक्रमण के कारण आज हम सब यह अनुभव करते हैं कि हमें आगामी राजनैतिक ढांचा इस प्रकार का बनाना चाहिए जिससे देश की सुरक्षितता को हानि न हो । समस्या का हल इस लक्ष्य को सम्मुख रख कर निकालना चाहिए, नकि संविधान के संशोधन से नई शक्तियां प्राप्त कर के । मैं शासक वर्ग से कहूंगा कि इस अवसर पर कानूनी तरीके से या अलोकतंत्रात्मक उपायों से समस्या का हल न निकाल कर वह धैर्य और आपसी बात-चीत द्वारा इसे सुलझायें ।

इन शब्दों के साथ मैं आशा प्रकट करता हूं कि प्रधान मंत्री डी० एम० के० की ओर से मेरे द्वारा दिये गये सुझावों पर विद्वेष-रहित ढंग से विचार करेंगे ।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने पूर्ववक्ता का भाषण सुन कर मुझे अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि वह एक ओर प्रधान मंत्री से अपील कर रहे थे और दूसरी ओर इस बात का दावा भी कर रहे थे कि मूल अधिकारों के अनुसार देश के विभाजन की मांग करना उन का हक है । अब प्रश्न यह हे कि एक वर्ग जो अपने आप को भारतीय कहता है उसे क्या देश के बटवारे की मांग करने का अधिकार है ?

---

†मूल अंग्रजी में ।

[श्री च० का० भट्टाचार्य]

विधि मंत्री ने जिस संविधान के संशोधन का प्रस्ताव किया है वह बहुत ही दुर्बल है । हमें इतिहास से यह शिक्षा मिलती है कि जब जब केन्द्रापग प्रवृत्तियां सार्वजनिक जीवन में आई हैं, देश को हानि हुई है । यदि हम ने सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो ऐसी केन्द्रापग प्रवृत्तियों को पूर्णतया कुचल देना चाहिए । मेरा विधि मंत्री से सुझाव है कि वह देखें कि क्या संविधान में कोई ऐसी त्रुटि तो नहीं रह गई जिस से ऐसी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिल सकता हो ।

मेरे विचार में हम ने अभी तक एक संघ के परिणामों को अच्छी प्रकार नहीं समझा है । श्री वी० एस० श्रीनिवास शास्त्री ने कुछ समय पूर्व एक लेख में कहा था कि एक बड़ा ढांचा लाते हुए हम ने देश की एकता को खंड खंड कर दिया है जो भारत में अंग्रेजों के काल में थी । अब जब कि हम संविधान का संशोधन कर रहे हैं, हमें यह देखना चाहिए कि किन कारणों से ऐसी देश विभाजन सम्बन्धी प्रवृत्तियां जागृत हो रही हैं ।

कुछ सदस्यों ने सरकारी कर्मचारियों के आधार के सम्बन्ध में कहा । मेरे विचार में वह बहुत अच्छा सुझाव था । अन्य व्यक्तियों के साथ साथ, जिन को इस संशोधन की सीमा में लाया गया है, सरकारी कर्मचारियों को भी इस में लाना चाहिए, ताकि उन के द्वारा भी ऐसी प्रवृत्तियों को न फैलाया जा सके ।

कुछ सदस्यों ने जाति भावना का भी उल्लेख किया । चाहे किसी विशेष जाति अथवा डी० एम० के० की किसी प्रकार की शिकायत हो । उन शिकायतों को दूर करने का हल देश से सम्बन्ध-विच्छेद करना नहीं होना चाहिए । शिकायतों का समाधान बात-चीत द्वारा हो सकता है, परन्तु किसी को उन शिकायतों के आधार पर देश से अलग होने या सम्बन्ध-विच्छेद की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए ।

मैं सुझाव देता हूं कि संविधान के संशोधन के पश्चात्, विधि मंत्री साधारण विधियों को भी देखें, और हर प्रकार से, भारत माता के विरुद्ध ऐसी प्रवृत्तियों को सर उठाने और पनपने से रोकें ।

†**श्री कृ० चं० शर्मा** (सरधना) : एक संघीय संविधान से किसी राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध विच्छेद करने के प्रश्न पर विनिश्चय अमरीका के गृह युद्ध के समय से ही हो चुका है । एक संघीय संविधान के अनुसार कोई भी वर्ग, चाहे वह एक साम्प्रदायिक वर्ग हो या कोई और, किसी भी आधार पर केन्द्र से सम्बन्ध विच्छेद की मांग करने का अधिकारी नहीं हो सकता । यह प्रस्ताव ही असम्भव है ।

दूसरी बात यह है कि संविधान के होने का अर्थ ही देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को कायम रखना है । इस उद्देश्य से कानून के संशोधन की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती । कानून का अर्थ ही यही है ।

आज राज्य का गठन किन्हीं सीमाओं से नहीं होता, बल्कि इस बात से कि किस प्रकार विधियों द्वारा नागरिकों को अधिकार दिये जाते हैं या अवसर उपलब्ध किये जाते हैं । सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दृष्टियों से हमारी संस्कृति में समनुगति पाई जाती है ।

देश की प्रभुसत्ता एवं अखण्डता वैधानिक सिद्धान्तों पर निर्भर करते हैं । यदि व्यक्ति को न्याय मिलता है और न्यायालय की दृष्टि में सब के लिए समानता पाई जाती है, तो प्रभुसत्ता और अखण्डता कायम रहती है । केवल किसी क्षेत्र के होने से राज्य में अखण्डता नहीं रहती । दूसरी बात जो अखण्डता की गारंटी होती है वह है प्रशासनिक ढांचा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

यदि देश के नागरिक शिष्ट हैं, सुसभ्य हैं, उन के लिए खाद्यान्न है, अतः निजी आवश्यकताओं के साथ साथ सुख के साधन हैं, तो अखण्डता और प्रभुसत्ता स्थिर है। और देश सुरक्षित भी है।

इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रस्तुत विधेयक, बहुत अच्छे शब्दों तथा शब्दबन्धों के होते हुए भी, व्यवहारिक राजनीति की दृष्टि से अधिक महत्ता नहीं रखता।

†**श्री स्वैल** (आसाम स्वायत्तशासी जिले) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के सिद्धान्त और लक्ष्यों का समर्थन करता हूं। अपने देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता हमारे लिये सब से प्रिय हैं। परन्तु खेद है कि इस विधेयक के लाने में इतना विलम्ब किया गया है; और इसे ऐसे समय में लाया गया है जब कि विदेशी आक्रमण से हमारे देश को खतरा है।

विधि मंत्री ने कहा कि आपात के कारण उन्हें ऐसा संशोधन लाने की आवश्यकता पड़ी। परन्तु मैं समझता हूं कि भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम तथा अन्य प्रतिरक्षा नियम ही इस स्थिति में पर्याप्त थे। परन्तु यदि वह इसे संविधान का स्थिर अंग बनाने जा रहे हैं, तो अवश्य ही सरकार ने राजनैतिक निकाय में किसी बहुत गम्भीर त्रुटि का अनुभव किया होगा।

संविधान के रचियताओं ने इस प्रकार के खण्डों तथा शब्दबन्धों को समाविष्ट नहीं किया जिस प्रकार सरकार आज स्वतंत्रता प्राप्ति के १५ वर्ष पश्चात् करने जा रही है। इन उपबन्धों से, विधि मंत्री के अनुसार, उन के पास उपयुक्त शक्तियां आ जायेंगी जिस से देश की अखण्डता को सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस का अर्थ क्या यह नहीं निकलता कि पिछले १५ वर्ष से सरकार अखण्डता को स्थिर बनाने के लिए प्रयत्न करने की बजाय, अपनी असफलताओं से इस की जड़ें उखाड़ती रही। मेरे विचार में सरकार का इस अवसर पर इस विधेयक को लाना अपनी नीतियों की असफलता को स्वीकार करना है, अतः यह संशोधन उन नीतियों के भीषण परिणामों को रोकने का दुर्बल प्रयत्न है।

केवल वैधानिक उपबन्धों से इतनी बड़ी हानि को नहीं रोका जा सकता। राजनैतिक निकाय में जो त्रुटि रह गई है, उस के कारणों का पता लगाने के लिए भरसक प्रयत्न होना चाहिए।

मुझे खेद है कि इस प्रकार का विधेयक इस समय लाया गया है जब कि हमारे देश पर आक्रमण हो रहा है। क्या हम विदेशियों को यह दिखाना चाहते हैं कि हमारे देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को केवल बाहर से ही नहीं, भीतर से भी खतरा है। सरकार को यह विधेयक लाने से पहले इस पहलू पर विचार करना चाहिए था, क्योंकि शत्रु हमारी दुर्बलताओं और त्रुटियों से लाभ उठाने के लिए हमारे दरवाजे पर बैठा है।

डी० एम० के० के नेता ने अभी अभी कहा है कि उन्होंने सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी प्रचार आपातकाल के अन्त तक स्थगित कर दिया है, परन्तु सरकार विश्व को और चीन को दिखाने पर तुली हुई है कि हमारी जनता में एकता नहीं है।

मेरे विचार में इस संशोधन द्वारा हम जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जिस अवस्था में आज भारत है उस में राष्ट्रीयता और प्रादेशिकता साथ साथ नहीं चल सकते। हमें अपने देश के मूल तथ्यों को नहीं भूलना चाहिए। हमारे स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ। लोग आज इस देश में उत्तर से दक्षिण तक एकता की बहुत बातें करते हैं; परन्तु हमें स्मरण रखना चाहिए कि भारत के विभिन्न लोगों में इतना सादृश्य नहीं पाया जाता जितना कि

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री स्वैन]

यूरोप के विभिन्न देशों में पाया जाता है। हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक भाषायें हैं, अनेक रंगरूप और अनेकों धर्म हैं। यूरोप में कम से कम विभिन्न देशों के धर्मों में तथा रंग में अन्तर नहीं पाया जाता। और इतनी प्रकार के लोगों को हम एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि इस समय हम प्रादेशिकता को प्रोत्साहन देते हैं तो देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता को क्षति अवश्य पहुंचेगी। मुझे खेद है कि आज हमारी सरकार राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन न दे कर प्रादेशिकता को प्रोत्साहित कर रही है। प्रादेशिक भाषाओं तथा प्रादेशिक शिक्षा की बातें आजकल हम बहुधा सुनते हैं। इस के फलस्वरूप लोगों में प्रादेक प्रवृत्ति बढ़ती है, अतः वह अपने आप को भारत का एक अंगमात्र समझना छोड़ देते हैं।

आज किसी प्रकार का खतरा नहीं है क्योंकि केन्द्र में नेता प्रभावशाली हैं, परन्तु भविष्य में यदि केन्द्र में नेता प्रभावहीन हुए और प्रदेशों में नेता शक्तिशाली हुए तो देश की अखण्डता को कायम रखना कठिन हो जायगा। केवल संविधान में उपबन्ध लाने मात्र से क्या होता है। अन्त में सार्वजनयिक राय ही सर्वोत्तम होती है।

प्रादेशिकता के एक और पहलू को लीजिये। आसाम एक बहुभाषी तथा बहुजाति प्रदेश है। आप प्रादेशिक भाषा की नीति को अपना चुके हैं। इस प्रदेश की भाषा आप ने आसामी निश्चित की है। परन्तु आप ने वहां के अल्पसंख्यक वर्ग की भावनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। फलतः आसामी भाषा अल्पसंख्यकों पर ठोसी जा रही है। इस प्रकार की स्थिति में झगड़े होना स्वाभाविक ही है। लोगों में कटुता की भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में वह विवश होकर अलग प्रवेश की मांग करते हैं क्योंकि वह बहुसंख्यकों के शोषण को सहन नहीं कर सकते।

यदि आप देश की प्रभुसत्ता तथा अखण्डता की सुरक्षितता चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि सरकार को अपनी नीति में आमूल परिवर्तन लाने होंगे। मैं सुझाव देता हूं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाय। इस के अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो सरकार के संघीय ढांचे को बदल कर एकात्मक कर दिया जाय।

†श्री त्यागी (देहरादून) : मेरे विचार में इस विधयक की आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक के बगैर भी देश की सुरक्षा और अखंडता को किसी प्रकार का खतरा नहीं है। हम अपने संघ की तुलना अन्य संघों जैसे अमरीकी संघ, के साथ नहीं कर सकते। हमारी स्थिति बिलकुल भिन्न है। जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो हमारे विभिन्न प्रदेश स्वतंत्र प्रदेश नहीं थे। वह उस समय भी केन्द्र के अंगमात्र थे। हम ने राज्य केवल प्रशासनिक सुविधाओं को सम्मुख रख कर बनाये थे। हमारा ध्यय केवल यह था कि प्रत्येक नागरिक का शासन में हाथ हो। हम लोकतंत्र तथा गणतंत्र के विचारों को मान्यता दना चाहत है थ। इस लिय हमारे सघ और अमरीकी संघ में वहुत अन्तर है। इसकारण भारत से संबंध विच्छद की बात देशद्रोह मानी जायेगी।

मैं डी० एम० के० के वक्ता की भावनाओं का आदर करता हूं। उन्होंने प्रचार की ओर निर्देश किया। यदि वह मानता के अधिकारों के विषय में प्रचार करते है तो यह विधिमान्य प्रचार है परन्तु यदि वह संबंध विच्छेद का और स्वतंत्र राज्य स्थापित करन का प्रचार करते है, तो वर्तामान प्रस्थापित विधेयक के न होते हुए भी वह ऐसा नहीं कर सकते। डी० एम० के० के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। उन की सच्ची व्यक्ताओं को सुनने के लिये लोग सदेव तैयार है। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्गा को अपनी व्यथाओं को सामने लाने का अधिकार है। वर्तमान विधेयक के उपबन्धों के

†मूल अंग्रेजी में

अनुसार भी यदि कोई नया राज्य स्थापित करने की मांग करे तो उस पर प्रतिबन्ध नहीं है। केवल भारत से अलग होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने पर प्रतिबन्ध है।

डी० एम० के० ने एकमत हो कर जो संघर्ष करने का निर्णय किया है इस से विदित है कि वह भारतीय हैं और भारत से अलग हो कर स्वतंत्र राज्य की मांग नहीं करते। इसलिए इस प्रस्ताव का उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

शपथ के विषय पर आते हुए; मेरे विचार में यदि संसद्-सदस्यों आदि के लिए शपथ का उपबन्ध किया गया है, तो सब प्रकार के सरकारी कर्मचारियों के बारे में भी ऐसा उपबन्ध होना चाहिए।

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। संविधान (सोलहवां) संशोधन विधेयक भी उसी संयुक्त समिति को निर्दिष्ट किया गया है जिसे संविधान (पन्द्रहवां) संशोधन विधेयक निर्दिष्ट किया गया था। ऐसा शायद समय की बचत को सम्मुख रख कर किया गया है। परन्तु पन्द्रहवें संशोधन विधयक के एक उपबन्ध के अनुसार, उच्च-न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा रही है। जैसाकि मंत्री महोदय जानते हैं, ११ अथवा १२ न्यायाधीश शीघ्र ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सोलहवें संशोधन विधेयक को उसी समिति को निर्दिष्ट करने से उस के कार्य करने में विलम्ब होगा और सेवानिवृत्त होने वाले जज नये उपबन्धों का लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगे। मैं नहीं चाहता कि वह अनुभवी न्यायाधीश उन लाभों से, विलम्ब हो जाने के कारण, वंचित रह जायें।

इन शब्दों के साथ मैं विधयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री अ० कु० सेन**: इस तरह का संशोधन आप दे दीजिए सिलेक्ट कमेटी के सामने।

†**श्री त्यागी** : इन का सुझाव है कि संयुक्त समिति के सामने इस उद्देश्य का संशोधन प्रस्तुत किया जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इस बारे में हम विचार करेंगे।

**श्री भू० ना० मण्डल** (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान में संशोधन करने के उद्देश्य से यह विधेयक यहां रखा गया है और इस को सिलैक्ट कमेटी के सामने भेजा जा रहा है। इस के ज़रिये से संविधान की १९वीं धारा में संशोधन करने की कोशिश की जा रही है। इस के अलावा पार्लिमेंट तथा असम्बलियों के मम्बर जो शपथ लेते हैं, उस शपथ में भी कुछ संशोधन करने की कोशिश की गई है। इलैक्शन में खड़े होने वालों उम्मेदवारों के लिए भी शपथ लेने की बात इस के ज़रिये जोड़ी जा रही है। उन से कहा जा रहा है कि वे साफ तौर से एलान करें शपथ लें कि हिन्दुस्तान की इंटग्रेटी और सावरेनटी की बात उन को मंजूर है। इस तरह के विधेयक को लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। हमारा जो संविधान है वह हिन्दुस्तान का कोई एक भाग, हिन्दुस्तान से अलग करने की इजाजत नहीं दे सकता है। हमारे संविधान में इस को माना गया है कि जो स्टेट्स हैं हमारे देश में, उन को सीमाओं में फिर से तबदीली हो सकती है लेकिन स्टेट्स का कोई भी भाग देश से निकाल दिया जाय, इस तरह की बात इस संविधान के चलते नहीं हो सकती है, इस तरह का प्राविज़न इस संविधान में मौजूद है। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है उस को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी।

इस विधेयक को लाने का एक कारण यह मालूम होता है कि आज हिन्दुस्तान में जो अनेक प्रकार के आन्दोलन चल रहे हैं उन को दबाया जाय। यह सही है हिन्दुस्तान के अन्दरसपेरेट राज्य बनाने का आन्दोलन भी रहा है। जैसा मैं ने अभी कहा कि वर्तमान जो हमारा संविधान है वह इस

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भू० ना० मण्डल]

बात के लिए काफी है कि इस प्रकार का आन्दोलन का मकसद पूरा न हो सके। ऐसी हालत में देश के अन्दर जो असन्तोष होता है उस असन्तोष को जाहिर करने के लिए वधानिक तरीके अपना कर अगर कोई शांतिपूर्ण आन्दोलन किया जाता है, तो मैं समझता हूं कि उस की मनाही नहीं होनी चाहिये। क्योंकि जब ग्रीवान्सेज को जायज़ तरीकों से व्यक्त नहीं करने दिया जाता है तो उस का नतीजा यह होता है कि वह आन्दोलन जनता के दिल में चला जाता है और कभी न कभी वायोलेंट (हिंसात्मक) तरीकों से फूटता है और देश में रिवोल्यूशन या उपद्रव का रूप धारण कर लेता है। इस खयाल से भी जो यह संशोधन विधेयक लाया गया है उसे नहीं लाया जाना चाहिये था।

मैं ने बिहार में देखा है कि वहां पर एक आन्दोलन चला जिस में झारखंड स्टट कायम करने की बात थी। लेकिन उस झारखंड स्टेट का जो आन्दोलन था उस में यह नहीं कहा जाता था कि हिन्दुस्तान से प्रथक कोई राज्य बनना चाहिये। उस में देश के अन्दर ही एक सेपेरेट स्टेट बनाने की कोशिश थी। मैं ने देखा कि छोटा नागपुर का इलाका एक ऐसा इलाका है जिस कॉ जमीन बहुत में काफी धन गड़ा हुआ है। वहां पर कोयला है, अबरख है और सारी चीजें जो धरती के नीचे धन के रूप में हो सकती हैं वह छोटा नागपुर में मौजूद हैं। छोटा नागपुर में रहने वाले आदिवासी वहां के बाशिन्दे हैं। लेकिन आज हिन्दुस्तान भर में अगर कहीं पर सब से खराब दशा और सब से गरीबी की दशा है तो वह छोटा नागपुर के निवासी के अंदर है। अगर उन लोगों की तरफ से इस तरह का कोई आन्दोलन खड़ा होता है जिस के जरिये से वे अपना असन्तोष प्रकट करते हैं और कहते हैं कि वे बिहार सरकार के अन्दर न रह कर एक अलग सरकार बनायेंगे तो मैं समझता हूं कि इस तरह के आन्दोलन को दवाने की कोशिश करना अच्छा नहीं होगा। इसी तरह से अगर देश में किसी दूसरी जगह के बाशिन्दे इस तरह से अनुभव करते हैं कि आज हिन्दुस्तान में जो शासन चल रहा है वह उन लोगों के हक में नहीं चल रहा है, तो उन को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी इच्छा को प्रकट कर सकें इस तरह के आन्दोलन के रूप में। आज हिन्दुस्तान में जगह जगह जो इस तरह के आन्दोलन चल रहे हैं उन आन्दोलन में जो उन का यह कहना है कि वे सेपेरेट स्टेट बनायेंगे, वह भी आज के हमारे संविधान के अनुसार नहीं बन सकती है, लेकिन उस आन्दोलन के जरिए से उन लोगों के ग्रीवान्सेज (शिकायतें) सामने आते हैं, उन को एक रास्ता मिलता है और इसीलिए वे अपने आंदोलनों को चलाते हैं। उन को इस तरह के आन्दोलनोंनों को चलाने की छूट रहनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मैं इस बात को सिद्धान्ततः गलत समझता हूं कि इस तरह के विधेयक इस हाउस में आयें। आखिर जनतंत्र का मतलब क्या है? उस का मतलब है एक ऐसे समाज का गठन करना, जिस समाज में व्यक्ति स्वातंत्र्य हो। स्वतंत्र लोगों का संगठन होना किसी राष्ट्र में ही जनतंत्र है। जो संशोधन अभी आया है उस संशोधन के जरिये जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं, चाहे स्वतंत्र व्यक्तित्व का, चाहे सम्मेलन का, जो डिमाक्रेसी का कंसेप्शन (विचार) है, उस को आघात पहुंचता है, उस के जरिये जो व्यक्ति स्वातंत्र है उस के ऊपर एक अंकुश पड़ जाता है, जिस के पड़ जाने से व्यक्ति की स्वाधनता खत्म हो जाती है। इस तरह से जनतंत्र के लिए जो स्वतंत्र व्यक्तित्व चाहिए, जिस स्वतंत्र व्यक्तित्व का मतलब है हर माने में स्वतंत्र, उस की समाप्ति हो जाती है। बिना इस तरह के व्यक्तित्व के जो जनतंत्र है देश में जनतांत्रिक समाज नहीं बन सकेगा। इस सिद्धान्त को दृष्टि में रख कर भी जो संशोधन लाया गया है उसे नहीं लाना चाहिये था।

आज इस राज्य में अनेक तरह के ग्रीवान्सेज हैं। कुछ ग्रीवान्सेज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। इसी देश के संविधान के मातहत एक बकवर्ड क्लासेज कमिशन बना था। उस बकवर्ड क्लासेज कमिशन ने अपनी रिकमेन्डेशनस दीं लेकिन इतने वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक वे रिकमेन्डेशन

पार्लियामेंट के सामने नहीं रक्खे गये । आज संविधान बना हुआ है लेकिन संविधान के मुताबिक जो कमिशन कायम होता है, जिस की रिपोर्ट पार्लियामेंट के सामने आनी चाहिये थी, वह नहीं आती है । संविधान बनन पर उसकी इज्जत होनी चाहिये लेकिन आज इसी पार्लियामेंट के अन्दर जो देश की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वह संविधान को रिस्पेक्ट नहीं करती है । मैं जानना चाहता हूं कि इस के लिए इस सरकार को कौन सजा देगा ?

**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : क्या आप इसी लिए अलग होना चाहते हैं ?

**श्री भु० ना० मंडल** : इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि आज संविधान में जिस प्रकार की धारायें हैं वे काफी हैं और इस विधेयक को लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी । होना तो यह चाहिए कि आज का जो ऐडमिनिस्ट्रेशन है उस के जरिये जो गलतियां होती हैं और जिन गलतियों की वजह से हम महसूस करते हैं कि यहां के नागरिक स्वतंत्र जीवन नहीं बिता पा रहे हैं, उन को दूर किया जाय । यहां के लोगों के जो ग्रीवान्सेज़ हों उन को रिड्रेसल होना चाहिये न कि इस तरह के संशोधनों को ला कर संविधान की तरमीम की जाय ।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सम्मुख प्रवर समिति में जाने के लिए उपस्थित है, मैं उस का स्वागत करता हूं क्योंकि जिन भावनाओं की पृष्ठ-भूमि में यह विधेयक सदन में उपस्थित किया गया है वह समस्यायें इस प्रकार की हैं जिन से देश के हर समझदार मस्तिष्क को चिन्ता होनी स्वाभाविक है । अभी हमारे पड़ोस में बैठे हुए मित्र श्री स्वेल ने एक बात का संकेत किया था कि देश का हर व्यक्ति आज यह अनुभव कर रहा है कि धीरे धीरे हमारे इस राष्ट्र में जो राष्ट्रीयता की भावना समाप्त होती जा रही है और प्रान्तीयता की भावना धीरे धीरे बल पकड़ती जा रही है उन्हों ने एक बहुत दूरदर्शितापूर्ण संकेत यह भी किया कि आज तो केन्द्र की सरकार कुछ मजबूत है इसलिए प्रान्तीयता की भावनायें भले ही उभर रही हों लेकिन जो केन्द्रीय प्रभुसत्ता है, उसे सब हृदय से स्वीकार करते हैं । परमात्मा न करे, कल कुछ इस प्रकार की स्थिति आ कर बने कि केन्द्र में कोई दुर्बल सरकार स्थिति में आ जाय और प्रदेशों की सरकारें कुछ दृढ़ हो जायें, तो उस समय राष्ट्र के लिए एक संकट उपस्थित हो सकता है । इसलिये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि हम राष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना को और अधिक पुष्ट करने के लिये प्रयत्नशील हों । मेरे अपने विचार तो इस संबंध में भिन्न प्रकार के रहे हैं और इस के लिये मैं ने कुछ दिन पहले सदन में एक विधेयक भी उपस्थित करना चाहा था कि सारे देश में एक ही केन्द्रीय सरकार हो और उस प्रकार की सरकार का निर्माण कर के हम सारे देश का शासन अपने हाथ में लें और देश में इस तरह की रेखायें ही समाप्त हो जायें कि यह अमुख प्रान्त है और यह अमुख प्रान्त की रेखा है । सारा राष्ट्र एक ही शासन से आबद्ध हो और उस शासन के द्वारा ही सारे राष्ट्र का शासन सूत्र संचालित हो ।

मेरे मित्र ने यह सुझाव दिया कि यह मौका इस विधेयक को लाने के लिये उपयुक्त नहीं था लेकिन जिन परिस्थितियों से हमारा यह राष्ट्र गुजर रहा है उन को देखते हुए मैं उनके इस विचार से सहमत नहीं हूं । कारण कि भली बात किसी समय भी मस्तिष्क में आ जाये तो उस पर निर्णय ले लिया जाय । मेरा विचार तो इस प्रकार का है कि अब तक सरकार की भूल हुई क्यों नहीं अब तक इस प्रकार का निर्णय लिया गया । इस प्रकार की बातें चर्चा का विषय ही क्यों हुई, लोगों के मस्तिष्क में इस प्रकार की भावनाओं को प्रोत्साहन देने का अवसर ही क्यों मिला । फिर भी सुबह का भूला शाम को घर आया । कल जो और भयंकर दुष्परिणाम होता उस से बचने के लिए सरकार ने जो निर्णय आज लिया है वह इस लिए स्वागत का पात्र

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

है। परन्तु इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन भी करना चाहता हूं कि मेरी अपनी इच्छा यह है कि हम यहीं पर पूर्ण विराम न लगायें, इससे भी थोड़ा और आगे बढ़े। देश की परिस्थितियों के लिये अत्यंत आवश्यक है कि जो देश से बिलकुल प्रथक हो कर अपना दूसरा देश बनाने की स्थिति में है, अपेक्षाकृत इसके हम सावधान में उसे आराम घोषित करें, हम को अपने मस्तिष्क में यह भी निर्णय वे लेना चाहिए कि धीरे-धीरे प्रान्तों की सीमाओं को छोटा करने का जो आधार है, चाहे वह मजहब का आधार हो चाहे भाषा का आधार हो, उस प्रवृत्ति पर भी हमारे देश में रोक लगनी चाहिए। कुछ समय पहले सदन में इस प्रकार की चर्चा चली भी थी। आप को पता होगा कि देश के एक व्यक्ति ने अपनी जान की बाजी इस बात के लिये लगा दी थी कि भाषा के आधार पर एक प्रान्त के दो टुकड़े किए जायें। सौभाग्य हुआ कि किसी प्रकार वह काले बादल हमारे सिर से हट गये। लेकिन कल को इस प्रकार की प्रवृत्तियां फिर भी तो उभर सकती हैं। सरकार को ऐसा पग उठाना चाहिये कि देश में ऐसे व्यक्तियों को आगे बढ़ावा ही न मिले।

जहां आप आज इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र भारत से पृथक हो कर अपनी स्वतंत्रता सत्ता बनाने का निर्णय न ले। वहां इस बात पर भी निर्णय लीजिए कि प्रान्तों के अन्दर भी उनको और छोटा करने की प्रवृत्ति न उत्पन्न होने पावे। इस संबंध में मैं तो यह भी कहूंगा कि हमारे शासक दल के साथी इस विषय में आत्म निरीक्षण भी करें। हम देखते हैं कि उनमें ही इस प्रकार की प्रवृत्ति उभरती है। महाराष्ट्र और गुजरात के इतिहास को छोड़िये, आन्ध्र प्रान्त के भी इतिहास को भी छोड़िये, नागा लैंड बनाने के इतिहास को भी छोड़िये। कल परसों आपने हिमाचल, मणिपुर और त्रिपुरा को राज्य विधान मंडल बनाने की अनुमति दी थी। उस समय आपके ही बगल में बैठे भाइयों ने दिल्ली का एक अलग प्रान्त बनाने की बात उठायी थी और उसके लिये एक आन्दोलन चलाया था। दुःख इस बात का है कि जो शासन इस प्रकार का निर्णय लेता है कि देश की राष्ट्रीयता को अखंड रखा जाए, उसी के अगल बगल में बैठे भाई अब भी ऐसे आन्दोलन उठाते है जो देश की अखण्डता को कमजोरी के रास्ते पर ले जाने वाले हैं।

मैं यह चाहता हूं कि जहां आप देश के किसी भाग को प्रथक करने की प्रवृत्ति को संविधान की दृष्टि से अपराध घोषित करनें का निर्णय ले रहें है वहां इस बात के लिए भी कोई निर्णय लीजिए कि प्रान्तों को छोटा करने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगे, चाहे इस की मांग धर्म के आधार पर हो या जाति के आधार पर हो। हम ने अभी तक जो इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया यह हम से भूल हुई, लेकिन आज जब कि हम राष्ट्र को एक बड़े रूप में रखने के लिये निर्णय ले रहें है, यह अवसर है कि हम प्रान्तों को छोटा करने की भी प्रवृत्ति को रोकने के लिये भी निर्णय लें।

हम को इस विषय में अपने पड़ोसी पाकिस्तान से सीखना चाहिए जिसने अपने जीवन के आरम्भ काल में यह निर्णय ले लिया कि छोटी छोटी दीवारों को खड़ा ही न रहने दिया जाए और सारे राष्ट्र को एक शासन के नीचे लाकर खड़ा किया। उसने प्रान्तों का झगड़ा ही नहीं रखा। हम भी कुछ इस दिशा में सोचना आरम्भ करें।

मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने दृढ़ता के साथ यह निर्णय लिया है, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि देश के जितने भी प्रान्तों के मुख्य मंत्री हैं सब ने ही इस भावना का स्वागत किया है। यह सदन भी इस विधेयक का स्वागत कर रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार यहीं जा कर न रुक जाए, बल्कि प्रान्तों

के अन्दर जो छोटे छोटे पृथक प्रान्त बनाने की प्रवृति है उस के ऊपर भी रोक लगाने का निर्णय ले।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक की भावनाओं का स्वागत करता हूं।

†**श्री खाडिलकर** (खेड) : मेरे विचार में देश में अखंडता का नाश करने के लिए जो प्रवृतियों काम कर रहीं है, उन की प्रतिक्रिया के लिए यह संशोधन पर्याप्त नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् एकीकरण के लिये चूंकि कोई स्थिर नीति नहीं अपनाई गई, इसलिए कुछ सामाजिक भावनाओं जिन को कि पहले दबाया जा रहा था, का उपजना स्वाभाविक ही था।

सरकार द्वारा सदैव तदर्थ नीतियां अपनाई जाती रहीं है। संघटित प्रकार का प्रयत्न कभी नहीं किया गया। उदाहरणतः भाषायी राज्यों के मामले में भाषायी राज्यों के लिए प्रचार करने वालों को पहले देशद्रोही कहा गया, परन्तु बाद में सरकार ने अनुभव किया कि भाषायी आधार पर राज्यों के पुनःसंघटन से देश का अधिक अच्छी प्रकार एकीकरण होगा। दूसरा उदाहरण एकीकरण समिति का है। इस विषय में भी प्रयास तदर्थ ढंग से किये गये है और समस्या का सही हल न ढूंढ़ते हुए सरकार समझती है कि संविधान के संशोधन से समस्या का समाधान हो सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लोग, आसाम में, प्रशासक-वर्ग से घृणा करते हैं। उसके क्या कारण है, उन्हें मालूम करके आसाम की जनजातियों को वृहद समाज के साथ एकीकृत करना चाहिए। मेरे विचार में वर्तमान विभाजक प्रवृतियों का समाधान संविधान का संशोधन कर के नहीं किया जाना चाहिए।

अंग्रेजों के शासन काल में हम अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। परन्तु आज जो भी समस्या उत्पन्न होती है, और जब उस के लिये आवाज उठाई जाती है, तो सरकार के पास केवल एक ही उस के हल का उपाय है कि संविधान का संशोधन किया जाये। समस्या को समझने का प्रयत्न नहीं किया जाता।

मेरे विचार में यदि विभाजक प्रवृतियों तथा बुनियादी इच्छाओं को ठीक प्रकार समझने और उनका हल निकालने का प्रयत्न न किया गया तो आपात के पश्चात् स्थिति भीषण हो जायगी।

डी० एम० के० की जो संबंध विच्छेद की मांग है, मेरे विचार में हमें उसे अधिक सावधानी से तथा सहानुभूतिपूर्वक समझने का प्रयत्न करना चाहिये। इस समस्या का हल हमें राजनैतिक स्तर पर ढूंढ़ना चाहिए। इस के लिए संविधान का संशोधन करना अनुचित है। यह हल चिरस्थायी सिद्ध नहीं होगा।

**श्री यशपाल सिंह** (कैराना): उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे सामने प्रस्ताव आया है उसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमारा कांस्टीट्यूशन पहले से ही इस मामले में सम्पूर्ण है और हम जो कसम अपने विधान के लिए लेते हैं यह शपथ हम अपने देश की इंटैग्रटी के लिए लेते है, अलबत्ता कांग्रेस अपना माइंड मेक अप करे। हम तो हमेशा ही राष्ट्र की अखण्डता के लिए लड़ते है। जब भी देश का पार्टीशन हुआ, जब भी कोई इलाका कटा, सिर्फ कांग्रेस के हाथों से कटा। तरीका यह है कि पहले बातचीत करते हैं, मेजें बिछती हैं, एटमोसफियर तैयार करते हैं और फिर आहिस्ता से बांट कर के दे देते है। हम लोग तो राष्ट्र की अखंडता के लिये हमेशा लड़ते है लकिन देश के अन्दर **डिवाइड एंड रूल** की पालिसी को अखित्यार करके रूलिंग पार्टी यह चाहती है कि कोई और पार्टी बरसरे इक्तदार न आ सके। हमारे साथ यह वायदा किया गया था और बड़े बड़े इस चीज को अभी भूले न होंगे कि इस वक्त की रूलिंग पार्टी ने जुलाई १६४७ में हमारे साथ यह वायदा किया था कि "यदि सारा देश तबाह भी हो जाय हम देश के विभाजन को स्वीकार नहीं करेंगे"। यह वायदा हमारे साथ इन्होंने किया था। लेकिन उस के

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री यशपाल सिंह]

एक ही महीने के बाद हमने ड्रैमेटिक चेंज देखा और देश का विभाजन होगया। देश को टुकड़ों में तकसीम कर लिया गया। पहले मेजें बिछती हैं, चाय पिलाई जाती है, मेहमान बनाये जाते हैं और उसके बाद पार्टीशन को मंजूर कर लेते हैं। चाहे आंध्र प्रान्त बना हो, चाहे गुजरात बना हो और चाहे महाराष्ट्र बना हो, यह सब रूलिंग पार्टी के हाथ से बने हैं। यह भी **डिवाएड एंड रूल** की पालिसी अख्तियार करते हैं और देश के अंदर नहीं चाहते हैं कि कैरेक्टर पनप सके या नेशनेलिज्म पनप सके।

उत्तर प्रदेश के इतिहास में, उत्तर प्रदेश की असेम्बली में एक ऐसा समय आया कि माननीय गिरधारी लाल जी वहां के मुख्य मंत्री होने वाले थे लेकिन पता नहीं क्यों कांग्रेस एम० एल० ऐज़ ने यह कहा कि एक हरिजन कुर्सी पर बैठ जाय? ५२ जिलों की कुर्सी पर एक चमार बैठे यह कैसे हो सकता है? हमें यह कहा जाता है कि यह ऊंचे वर्णों की पार्टी है लेकिन हमारी पार्टी में आज भी यू० पी० के अन्दर आप चल कर देखिये, पांच हरिजन एम० एल० ऐज़, पांच चमार एम० एल० ऐज० ऐसे हैं जो कि रूलिंग पार्टी को हरा कर आये हैं। हमें यह कहा जाता है कि यह जमींदार लोग हैं लेकिन हमारे बड़े भाई डा० बसन्त नारायण सिंह यहां बैठे हुए हैं और हमारे महाराजा रामगढ़ साहब हैं, उन्होंने अपने हाथों से अपनी २०००० एकड़ ज़मीन लैंडलैस लेबरर्स हरिजनों को तक़सीम कर दी है। कांग्रेस अपना माइंड मेक अप कर ले कि वह देश के और टुकड़े नहीं करेगी। हम इस में कोई ऐतराज़ नहीं है मगर कांग्रेस खुद इस के खिलाफ जायगी। जब भी देश को बांटे, जब भी कोई प्रस्ताव लायें, चाहे वह दूसरे मुल्क से लाया जाय और चाहे किसी को आरबिटरेटर बना कर लाया जाय, यह विगत १५ साल का इतिहास देश की तक़सीम का इतिहास है। आज भी कोलम्बो प्रस्ताव के नाम पर, आरबिटरेशन के नाम पर और श्रीमती भंडारनायके के नाम पर नये नये प्रस्ताव इसलिए लाये जाते हैं कि देश में उस के लिए एक अनुकूल वातावरण पैदा किया जाय ताकि देश किसी न किसी तरीक़े से अपने में से किसी टुकड़े को काट कर ग़ैर को देने को तैयार हो जाय। जब हम यहां इस हाउस में युनैनीमसली तय कर चुके हैं और यह पास कर चुके हैं कि हम अपनी एक एक इंच ज़मीन चीनियों से खाली करा कर रहेंगे तो आप को क्या हक़ है कि आप कोई कोलम्बो कान्फ्रेंस का प्रस्ताव या कोई आरबिटरेशन का प्रस्ताव लायें? यह तो **कंटैम्प्ट औफ दी हाउस** है। हाउस जिस चीज़ को एकमत से तय कर चुका है उस के ऊपर अटल रहना चाहिए। हिन्दुस्तान जब भी बंटेगा इन के हाथों से बंटेगा। मेरी दरख्वास्त आप की मार्फ़त यह है कि आप अपना माइंड मेक अप कर लें। अगर आप तक़सीम की पालिसी को मानेंगे तो ज़ाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ज़रूर आप का साथ देगी।

"मुझ से ही पूछते है दिल में सूराख क्यों है,
तीरे नज़र को मेरे सीने के पार कर के।"

आज आप मुस्लिम लीग को कम्युनल बौडी कहते हैं लेकिन जो मुस्लिम लीग ने किया उस के सामने आप ने सिर झुकाया। मुस्लिम लीग ने अपने जो प्रपोज़ल्स रक्खे उस के सामने आपने सरंडर कर दिया। आप दोनों एक तराज़ू में हैं। आप दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कहता हूं कि राष्ट्र की इंटैगरेटी के लिए तेशनलिज्म की ज़रूरत है। कांग्रेस अपना माइंड मेक अप कर ले फिर देश के अन्दर किसी की हिम्मत नहीं है कि वह नागालैंड का नारा लगा सके या द्रविड मुन्नेत्र कज़गम का नारा लगा सके या किसी और पार्टीशन का नारा लगा सके लेकिन जो गवर्नमेंट में हैं उन को माईंड मेक अप करना होगा। इस

संशोधन विधेयक की कोई जरूरत नहीं है । यह तो हमारे कांस्टीटयूशन में है जिस की कि हम शपथ उठाते हैं । देश की आजादी के लिए हम ने लड़ाइयां लड़ी हैं । पूज्य बापू जी ने मुल्क को उस के लिए तैयार किया है और देश की जनता को तैयार किया है । हमारा कांस्टीटयूशन काफ़ी है । यह सिर्फ इसीलिए लाया जा रहा है कि आप अपनी कमजोरी को कवर करना चाहते हैं । मेरी ला मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि इस को वापिस लिया जाय और इस की कोई जरूरत नहीं है । हमारा कांस्टीट्यूशन ही सम्पूर्ण है और वह बिल्कुल काफ़ी है । वह **मोर दैन एफिशिएंट** है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्र की अखंडता का व्रत लेते हुए देश की इंटैगरेटी को कायम रखने के लिए प्राण प्रण से लड़ूंगा ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन )** : इस विधेयक को जो समान्य समर्थन प्राप्त हुआ है मैं उसके लिए बहुत आभारी हूं किन्तु मुझे खेद है कि एक दो सदस्यों ने विरोध भी किया है । उन से मैं कहूंगा कि इस अवसर पर उन का यह कहना कि 'इस समय हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बाद में कर सकते हैं, इस लिए ऐसे विधेयक फिलहाल न लाये जायें' हैं उचित नहीं है । इस तर्क का सरकार पर कोई असर नहीं होता और मुझे विश्वास है देश पर भी नहीं पड़ेगा । चूंकि हमारी और राष्ट्र की शक्ति कम करने वाली शक्तियां इस समय खामोश हैं, इसलिए यह तर्क देना कि इन का मुकाबला करने के लिए संवैधानिक संशोधन द्वारा शक्तियां न ली जायें, गलत है । वास्तव में यदि हम ने इस के मुकाबले की काफी तैयारी न की, तो हम अपना कर्त्तव्य पूरा निभा नहीं सकेंगे ।

मुझे हर्ष होगा यदि हमें यह बताया गया होता कि पृथक होने के इच्छुक और तोड़ फोड़ की कार्यवाही करने वालों ने यह राजनैतिक हथकंडे छोड़ दिये हैं । देश को भी हर्ष होता । किन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और वे शक्तियां आज भी अपना सिर उठा रही हैं । उन्होंने यह कह कर राष्ट्र या सरकार पर कोई एहसान नहीं किया कि इस समय वे खामोश हैं । इस से बल्कि और भी दुःख हुआ है ।

भारत की प्रतिरक्षा नियमों से ही आजकल वह शांति बनी हुई है जो कि हमें हर जगह नजर आती है और इन के हटा लेने से शायद वह शान्ति न रहे । यदि यह शांति इन नियमों से पहले आई होती, तो हमें यह संतोष होता कि कम से कम इतिहास का एक अध्याय सदा के लिए बदल चुका है । बहुत से ऐसे गुट और दल जिन्होंने चोनी उद्देश्यों का खुले आम समर्थन किया था और हिमालय में उन की हरकतों को स्वीकार किया था इस समय खामोश हैं बहुत से इस लिए कि उन्हें शरारत करने के असमर्थ बन दिया गया है और विरुद्ध कर दिया गया है । दूसरे इस लिए कि वे जानते हैं कि निगरानी अब भी हो रही है ।

एक बात बिल्कुल यकीनी है और यह वह कि हम अपनी अमूल्य आजादी को, किसी की अनुत्तरदायी और राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों से, जो धर्म, भाषा और सिद्धांत के नाम पर की जाये, नष्ट नहीं होने देंगे । देश और संसद् ऐसी सब शक्तियों को उखाड़ फेंकेंगे और संसद् एकमत होकर बाहरी खतरे की तरह आन्तरिक खतरों का भी मुकाबला करेगी ।

ऐसा करते हुए मैं उन सही शिकायतों की ओर, जो कि विशेषकर आदिमजाति या पहाड़ी लोगों की ओर से आई है, ध्यान देने को तैयार हूं । केन्द्र और राज्यों की सरकारें उनके हितों की ओर पूरा ध्यान देंगी । उन की तकलीफ़ें अधिकतर पुराने शासन के कारण हैं जिसके कारण उन्होंने देश के शेष भागों की तरह उन्नति नहीं की । इसलिए पिछड़े होने से जो बुराइयां

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु०. सेन]

होती है, वे उनमें हैं। आर्थिक दृष्टि से वे भले ही पिछड़े हुए हों, किन्तु अन्य दिशा ओं में वे देश के अन्य भागों से आगे भी हैं।

खासी लोगों को देखिए। उनकी स्त्रियां राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो भाग लेती हैं, देश को उस से प्रेरणा लेनी चाहिये। इसलिए मैं नहीं मानता कि वे आर्थिक पहलू को छोड़ कर अन्य पहलुओं से पिछड़े हुए हैं। उन्हें अपनी भाषाओं के बारे में बिल्कुल चिन्ता नहीं होनी चाहिए। मैं माननीय सदस्य के इस आरोप को बिल्कुल नहीं मानता कि उनकी भाषाओं को हानि पहुंचाने का एक तरीका अपनाया गया है। मैं उन्हें कहूंगा कि वे संविधान का अनुच्छेद ३४४ देखें जिस की ८वीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं दी गई हैं। श्री स्वैल के इस कथन से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि हमने एक ऐसा कानून बनाया है कि प्रत्येक प्रदेश की एक भाषा होनी चाहिये। यह बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद ३४४ और ३५१ के अनुसार दायित्व यह है कि हिन्दी के अखिल भारतीय भाषा होते हुए आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य भाषाओं के संरक्षण और विकास को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिये। देश की भाषा सम्बन्धी नीति इस भावना को ध्यान में रख कर बनाई गई है।

आसाम निस्संदेह एक बहुभाषीय राज्य है। इस के बारे में और पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों के बारे में जहां पहाड़ी क्षेत्र है, एक त्रि-भाषा सूत्र बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत उन के क्षेत्रों की भाषाओं को पूरा संरक्षण मिल सकेगा और उन का पूरा विकास हो सकेगा। मैं श्री स्वैल से कहूंगा कि वे इस सूत्र और केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेशों को देखें और यह भी देखें कि अल्प-संख्यक भाषा आयोग को सौंपा गया प्रभार भी देखें। केवल इतना ही नहीं। स्वयं गृह-कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक अखिल-भारतीय निकाय बनाया गया है, यह देखने के लिए कि त्रि-भाषा सूत्र को अच्छी तरह क्रियान्वित किया जा सके। इसके बारे में सिफारिशें वे स्वयं प्राप्त करते हैं। यदि इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें हों, तो वे उन्हें भेजनी चाहियें। किन्तु यह कहना ठीक नहीं है कि हम ने इस विधेयक को लाकर जल्दी की है या बुद्धिमत्ता से काम नहीं लिया। मुझे इस के सम्बन्ध में कोई अफसोस नहीं है और मैं समझता हूं कि सारा सदन इसको बिना किसी सन्देह या हिचकचाहट के अनुमोदित करेगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा था कि इस विधेयक को लाने का यह समय उपयुक्त नहीं है। मुझे इस से बड़ा आश्चर्य हुआ है। यदि कोई उपयुक्त समय है, तो वह अब है, जब कि राष्ट्र को खतरा है और उन लोगों का मुकाबिला किया जाना है जो देश की एकता और प्रभुसत्ता के विरुद्ध काम कर रहे हैं। यदि यह कहा जाता है कि खतरा बाहरी है, तो इसी समय ही राष्ट्र को आन्तरिक खतरे का मुकाबला करने के लिये भी तैयार होना चाहिये, जो कि गुप्त रूप से बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने के संकल्पों को कमजोर करता है।

†**श्री मनोहरन** (मद्रास--दक्षिण) : क्या खतरा इस समय देश के अन्दर है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : आप ने स्वयं माना है कि यह इस समय है, जैसा कि आप के भाषण से प्रकट होता है जिस में आप ने कहा है कि वह कार्यवाहियां फिलहाल बन्द कर दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

जब ब्रिटेन पर हिटलर के अधीन जर्मनी का हमला हो रहा था, तो वहां की लोक सभा में यह बताया गया था कि बहुत से व्यक्ति बिना मुकदमा चलाये कैद में डाल दिये गये थे । तो उस समय भी वहां यह आरोप लगाया गया था कि लोगों की आजादी खत्म की जा रही है । मुझे याद है इस आरोप का जवाब सरकार द्वारा कैसे दिया गया था, जसा कि चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सरकार दे सकती है । उस समय सरकार ने कहा था कि उस ढांचे की, जिस के अधीन आजादी मिलती है, रक्षा के लिये और यूरोप में फस्ताई प्रणाली स्थापित करने वाले लोगों को रोकने के लिये उन लोगों को निरुद्ध करना आवश्यक है । उन्हें पांच वर्ष तक निरुद्ध रखा गया था ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : यह संशोधन कभी नहीं लाना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन**: यह संशोधन सरकार को आवश्यक कानून लाने की शक्ति देता है । क्या वें अस्थाई प्रकार के होंगे या स्थाई प्रकार के, देश के अन्दर और बाहर की स्थिति पर निर्भर करता है । इस मामले पर संसद् अपनी राय देगी जब यह उस के सामने रखे जायगे । यह शक्ति संविधान में नहीं दी गई किन्तु अब ली जा रही है, ताकि इसे उस प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जा सके जो संसद् आवश्यक समझे । माननीय सदस्य भी तब अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे । किन्तु यह हमारा कर्तव्य है कि ऐसे खतरे दूर करें जिस से देश की एकता और शक्ति भंग होती हो ।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के माननीय सदस्य से यह सुन कर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि इस विधेयक से मूलभूत अधिकार नष्ट हो जायेंगे । मैं ने यह कभी नहीं सुना कि देश की एकता या प्रभुसत्ता को नष्ट करने का भी एक मूल भूत अधिकार है । क्या हमारा प्रजातन्त्र इतना कमजोर हो गया है कि वह देश की एकता भंग करने वालों का मुकाबला नहीं कर सकता ? मुझे विश्वास है कि इस का उत्तर नकारात्मक होगा । हमारा प्रजातन्त्र और प्रशासन प्रणाली पूरी तरह इन का मुकाबला कर सकते हैं । कल फिर अन्य लोग यह कहने लगेंगे कि उन्ह चीनियों का स्वागत करने का मूलभूत अधिकार है ।

तो मेरा निवेदन है कि यह विधेयक पूरी तरह उस खतरे का जो हमारे संविधान को है और हमारी एकता को है मुकाबला करता है ।

मेरा विचार है कि मैं ने अल्पसंख्यकों का चिन्ताओं को दूर करने का भी सफल प्रयास किया है । मेरा उन से निवेदन है कि वे दोनों विषयों को न मिलायें । संविधान में उनके विकास और कल्याण के लिये पर्याप्त उपबन्ध हैं यदि भारत जीवित है, तो वे भी जीवित हैं, यदि भारत नष्ट हो जाता है तो वे भी नष्ट हो जायेंगे ।

मैं अनुरोध करूंगा कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाये । मैं ने हिन्दी में बोलने का सोचा था किन्तु चंकि वे लोग जिन्हों ने चुनौती दी है, शायद इसे न समझते, इसलिये मैं ने अंग्रेजी में भाषण किया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री कामत का स्थानापन्न प्रस्ताव विधि मंत्री द्वारा संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं कि मूल प्रस्ताव के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाय जिस में इस सभा के ३० अर्थात् श्री ब्रज राज सिंह—कोटा, श्री चतुर्वेदी श्री होमी, दाजी, श्री राम धनी दास, श्री धर्मलिंगम, श्री काशी राम गुप्त, सरकार इकबाल सिंह, श्री माधव राव लक्ष्मणराव जाधव, श्री मादप्पा बन्दप्पा कडाडी, श्री हरि विष्णु कामत, श्री

---

†मूल अंग्रेजी में

[उपाध्यक्ष महोदय]

परेश नाथ कयाल, श्री नीहार रंजन लास्कर, श्री हरेकृष्ण मेहताब, श्री मलाइच्छामी, श्री मैथ्यू मणियंगडन, श्री विबुधेन्द्र मिश्र, श्री मोहसिन, श्री हो० ना० मुकर्जी, श्री डी० जे० नायक, श्री पाराशर, श्री राम स्वरूप, श्री एस० वी० कृष्णमूर्ति राव, श्री नरसिंह रेड्डी, श्रीमती यशोदा रेड्डी, सैयद नजीर हुसैन, समनानी, श्री रामशेख प्रसाद सिंह, डा०लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री उ०पू० त्रिवेदी, श्री बालगोबिन्द वर्मा और श्री अशोक के० सेन और राज्य सभा के १५ सदस्यों;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई होगी ;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवेशन के प्रथम दिन तक रिपोर्ट देगी ;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लाग होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बतायें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

## कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक

†**श्री हिम्मतसिंहका** (गोड्डा) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । किन्तु इस का क्षेत्र सीमित होने के कारण इस से बहुत लाभ नहीं होगा ।

केन्द्रीय भूबन्धक बैंक, सरकारी बैंक तथा अनुसूचित बैंकों को भी विधेयक का लाभ प्राप्त होना चाहिये, चाहे वे अंशधारी न भी हों । अब व्यवस्था यह है कि जब तक वे अंशधारी न हों, वे विधेयक के अन्तर्गत दिये जाने वाले लाभ नहीं उठा सकगे ।

मेरा निवेदन है कि 'ग्राह्य संस्थाओं' का कार्य क्षेत्र बढ़ा देना चाहिये ताकि इस में वे सारी संस्थायें आ सकें, जो विधेयक में उल्लिखित किसी प्रयोजन को सिद्ध करती हों । खंड २२ क उपखंड (४) के अन्तर्गत, संस्थाओं को आवश्यकता पड़ने पर वित्त देने में बाधा होगी । इन दो तीन कठिनाइयों को दूर किया जाना चाहिये ।

निगम की पूंजी प्रत्याशित पूंजी से बहुत अधिक होनी चाहिये, उसके लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जाये ।

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : मैं चाहता हूं कि इस विधेयक के विषय में इतनी जल्दबाजी से काम न लिया जाता । इस पर बहस को स्थगित करना अच्छा होगा ताकि उन समस्त हितों से सलाह ली जा सके जिन को ग्राम्य ऋण से रुचि है और जो देश के किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं । देश के ९३ प्रतिशत किसान साहूकारों से ऋण लेते हैं । उन के लिये अन्य साधन तकावी कर्जे और सहकारी ऋण थे । लोग तकावी से तंग आ चुके हैं क्योंकि उन्हें थोड़ा सा ऋण लेने के लिये बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और बहुत रुपया खर्च करना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी संस्थाओं के बारे में, रक्षित बैंक ने सहकारी कर्जों के क्षेत्र को बढ़ाया है। किन्तु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि हम केवल २५ करोड़ रुपये की रकम क्यों रख रहे हैं। हमारे किसानों को तो कई सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता है ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सरकार भारत रक्षित बैंक को बड़ी रकमों को अधिक समय तक देने का अधिकार क्यों नहीं देती है। इसे पुनर्वित्त निगम क्यों कहा जाता है ?

मेरे विचार से यह विधेयक सीमित प्रकार का है। पुनर्वित्त निगम को ३ करोड़ रुपये तक २ लाख रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से व्यय करन का अधिकार दिया गया है। मेरे विचार से यह राशि बहुत ही कम है ।

केवल कुछ संस्थाओं को ही निगम के अंशों को खरीदने की छूट नहीं होनी चाहिये। समस्त किसानों और सहकारी संस्थाओं को इसके अंश खरीदने की छूट होनी चाहिये।

यह विधेयक सीमित प्रकार का है। इस के क्षेत्र को कम से कम इतना व्यापक और बनाया जाये कि यह निगम राज्य स्तर पर जमानती बकों तथा सहकारिताओं तक ही सीमित न रहे। निगम में किसानों के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाये ।

वस्तुत: इस निगम के स्थान पर भारत के कृषि बैंक नाम से नयी संस्था खोली जा सकती थी। यदि सरकार ऐसा करती तो उसे किसानों से भी काफी रकम प्राप्त हो सकती थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस आशय का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है कि वह विश्व स्वास्थ्य तथा कृषि संगठन के अधीन एक विश्व सहकारी संस्था की स्थापना करेगी। यदि हम भारत का कृषि बैंक की स्थापना करते तो हमें किसानों के अलावा विश्व सहकारी संघ से भी सहायता प्राप्ता हो सकती थी।

अत: मैं चाहता हूं कि यह विधेयक वापस ले लिया जाय तथा इस के स्थान में कृषि सहकारी बैंक की स्थापना की जाय। उस को अधिक व्यापक बनाया जाये तथा किसानों को अंशधारी और निदेशक दोनों ही अधिकार दिय जायें। जब किसानों को अंश खरीदने का अधिकार प्राप्त होगा तभी वे निदेशक भी बन सकेंगे। इनके अभाव में यह केवल सरकारी चीज बन कर रह जायेगी ।

भारत रक्षित बैंक ५ करोड़ रुपये देगा। इस राशि में से अधिकांश वह निगम की स्थापना के बिना भी दे सकते थे। यदि सरकार का उद्देश्य दीर्घकालीन ऋणों की राशि में वृद्धि करना है तो हमारी राशि ५ करोड़ तक ही सीमित नहीं करनी चाहिये थी। सरकार को यह स्मरण रखना चाहिये कि ब्रिटेन और अमेरिका में भी कई सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थायें किसानों को कर्जा देती हैं। फार्मर्स कोआपरेटिव बैंक के अनुसार अमेरिका के किसानों को १,८६,६६० लाख डालर प्रति वर्ष कर्ज दिया जाता है। भारत में आज पहिली बार जीवन बीमा निगम कृषि सम्बन्धी बैंक के कुछ अंश खरीदेगा ।

मैं सरकार से केवल इतना अनुरोध करता हूं कि जनता तथा किसानों के दीर्घकालीन ऋण की बड़ी आवश्यकता है। अत: सरकार को उनकी आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिये।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : मैं विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं । मैं डा० देशमुख से इस बात में सहमत हूं कि सरकार को इस विधेयक पर अधिक विचार करना चाहिये था । सरकार को किसानों तथा कृषि ऋण के सम्बन्ध में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण द्वारा १९५४ में प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट से उनकी सही अवस्था ज्ञात हो गयी थी यद्यपि इसी विशेष उद्देश्य से इम्पीरियल बैंक को भारत का राज्य बैंक बनाया गया था तथापि यह दुःख की बात है कि अभी तक अनुसूचित बैंकों ने कुल ऋण का केवल १४.२ प्रतिशत ही दिया है ।

वस्तुतः विधेयक में कोई नई बात नहीं है । यह सारी बातें भारत रक्षित बैंक या कृषि ऋण विभाग अच्छी तरह कर सकता है । निगम के लिये नई राशियां उपलब्ध नहीं की जा रही हैं ।

वस्तुतः छोटे किसानों को अल्पकालीन ऋणों के लिये अपना अनाज बेचना होता है । यह बात सभी को ज्ञात है कि सरकारी संस्थायें बिचौलियों के हाथों का खिलौना हैं और वे लोग किसानों से २०० प्रतिशत तक का सूद वसूल करते हैं । दुःख की बात यह है कि इस निगम की स्थापना से किसानों को कोई भी अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होने की आशा नहीं है ।

यह निराशा का विषय है कि अनुसूचित बैंकों ने इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है । अतः उन्हें इस कार्य के लिये अतिरिक्त राशियां प्रदान न की जानी चाहियें । उनको इस विधेयक के अधीन अधीकार प्राप्त संस्थाओं की सूची से हटा दिया जाये । लोगों को यह सन्देह है कि निगम दुग्धशाला तथा इसी प्रकार के अन्य उद्योगों की अपेक्षाकृत अधिक सहायता करेगा । यह भ्रांति दूर करनी चाहिये ।

मैं इसके उद्देश्य से पूरी तरह सहमत हूं । तथापि यह उद्देश्य विधेयक के उपबंधों से पूरा होता दिखायी नहीं देता है । तथापि मेरा मत यह है कि यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है अतः इसे या तो प्रवर समिति को सौंपा जाये या इसे कुछ समय के लिये वापस ले लिया जाये । मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरे सुझावों पर ध्यान देगी ।

**श्री यशपाल सिंह :** अध्यक्ष महोदय, इस बिल की चर्चा दो दिन से हो रही है । मेरी दरख्वास्त यह है कि १७ स्टेट्स के लिए पांच करोड़ रुपया बिल्कुल नाकाफी है । हमारे देश में सब से ज्यादा तादाद किसानों की है, ज़मींदारों की है, खेती करने वालों की है और हम लोगों को पांच करोड़ रुपया फ्री आफ इंटिरेस्ट जो दिया गया है, यह तो एक स्टेट के लिए भी नाकाफी है ।

इसके साथ ही साथ रूल्ज़ एंड रेग्युलेशंज़ जो हैं, उनको बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ में दे दिया गया है । मेरी आपके द्वारा यह दरख्वास्त है कि इन रूल्ज़ एंड रेग्युलेशंज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाये । इसका कारण यह है कि स्टेट्स के अन्दर सिवाय पंजाब को छोड़ कर जहां पर कि एक किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर है, कहीं भी नहीं देखा गया है कि किसी किसान का बेटा चीफ मिनिस्टर हो । यहां पर तो १७ स्टेट्स के लिए पांच करोड़ रुपया रखा गया लेकिन मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक मिल मालिक को, साहू शांति प्रसाद को, डेढ़ करोड़ रुपया दिया है और उस पर आठ आने सूद की बात है । इसके विपरीत हम को जो सूद पर रुपया दिया जाता है, उस पर हमें पचास परसेंट सूद देना पड़ता है । हम सरकारी बीज भंडार से दस मन गेहूं बोने के लिए लाते हैं, छः महीने के बाद हम साढ़े बारह मन देते हैं और अगर फसल मारी गई तो एक साल के बाद हम को दस मन का पंद्रह मन देना पड़ता है । इस तरह से हम को तो पचास परसेंट सूद देना पड़ता है लेकिन जो मिल मालिक हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको आठ आने ही सूद देना पड़ता है । मेरा आग्रह यह है कि इस रुपये को बढ़ा कर कम से कम

---

†मूल अंग्रेजी में

पचास करोड़ कर दिया जाये और रूल्ज एंड रेग्युलेशंज सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बनाये । सब से ज्यादा कुर्बानी हम देने वाले हैं, सब से ज्यादा खून देने वाले हम लोग हैं, सब से ज्यादा तादाद हमारे लोगों की है, तब फिर हमारे साथ सौतेली मां का सलूक क्यों किया जा रहा है । हमारे लिए सभी रूल्ज एंड रेग्युलेशंज विपरीत हैं । अगर किसान छः महीने मालगुजारी नहीं दे सकता है, तो उसके हाथों में हथकड़ियां पड़ जाती हैं, लेकिन मिल मालिकों की तरफ अब भी साढ़े तीन अरब रुपया बाकी है, और किसी के खिलाफ न तो वारेंट निकला है और न किसी को हथकड़ियां ही पड़ी हैं और न ही किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की गई है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं झूठ बोलना पाप समझता हूं । लेकिन इस संसार में एक प्राणी ऐसा भी है, इस दुनिया में एक प्राणी ऐसा भी है, इस देश में एक प्राणी ऐसा भी है कि उसके साथ झूठ बोलना जायज है और वह है रुड़की की तहसील का तहसीलदार . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप किसी व्यक्ति का नाम कैसे ले सकते हैं ?

**श्री यशपाल सिंह :** मैं तो एक अफसर का नाम इसलिए ले रहा हूं कि सरकार की मेहरबानियों की वजह से . . . .

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा करना ठीक नहीं है । जो यहां नहीं है और जो अपनी सफाई नहीं दे सकता है, उसको आप छोड़ दीजिये । आप मिनिस्टर साहब को पकड़ लीजिये ।

**श्री यशपाल सिंह :** उनकी महिमा में ही मैं कुछ कहने जा रहा था । उसको पूरा तो कर लेने दीजिये

**अध्यक्ष महोदय :** आप महिमा करेंगे तो कोई दूसरा उसकी निन्दा कर देगा ।

**श्री यशपाल सिंह :** कांग्रेस सरकार की मेहरबानी से हमारे ऊपर आज सतरह गुना अधिक परसेंट लगान बढ़ गया है । अंग्रेजों के जमाने में जो हमारी देनदारी थी, उससे सतरह गुना देनदारी आज हमारी है । ब्रिटिश पीरियड में अगर एक रुपया मैं लगान का देता था तो आज सतरह रुपया देता हूं । उस वक्त अगर मैं एक एकड़ के पीछे तीन रुपया आबपाशी का देता था तो आज एक एकड़ के पीछे मैं ३२ रुपये आबपाशी के देता हूं . . . .

**श्री विभूति मिश्र** (मोतिहारी) : इतना रुपया नहीं है ।

**श्री यशपाल सिंह :** मैं आज की बात कह रहा हूं । अगर मैं पानी न लूं तब भी मुझे आबपाशी देनी पड़ती है । इरिगेशन न करूं तब भी आबपाशी देनी पड़ती है । ऐसा कोई कानन दुनिया का नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है । कहीं ऐसा कायदा नहीं है कि आप चांदनी चौक में जायें और कपड़े वाला आप को पकड़ कर कहे कि आप ने अचकन का कपड़ा लिया है या नहीं लिया है, लेकिन आपको पेमेंट जरूर करनी पड़ेगी । एक मैं हूं कि आबपाशी करूं या न करूं, हमारी फसलें ज्यादा पानी या फ्लड से मारी जाती हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** कोई ऐसा तजुर्बा हुआ ठाकुर साहब को ?

**श्री यशपाल सिंह :** आबपाशी का तजुर्बा ऐसा हुआ है ।

**अध्यक्ष महोदय :** कभी ऐसा हुआ है कि आप ने अचकन का कपड़ा लिया न हो और आप से दाम मांगे गये हों ?

**श्री यशपाल सिंह :** फसलें हमारी ज्यादा पानी से मारी जाती हैं । फिर भी जब हम आबपाशी नहीं भी करते तब भी हम से आबपाशी का टैक्स वसूल किया जाता है । इसलिये मेरी दर्ख्वास्त यह है ८५ फी सदी जनता का ताल्लुक जिस चीज के साथ है उस के लिये कम से कम ५० करोड़ रुपया फ्री आफ इंटरेस्ट रखा जाय । जब ज्यादा से ज्यादा जवान हम हमेशा देते हैं तो उस का खयाल तो होना चाहिये । पंजाब की बात मैं ने इसलिये अर्ज की कि वहां का चीफ मिनिस्टर किसान का बेटा है सब से ज्यादा खून वह दे रहा है, सब से ज्यादा रुपया वह दे रहा है, सब से ज्यादा जवान वह दे रहा है, सब से ज्यादा सोना दे रहा है । आज सुबह प्रश्नोत्तर के समय मुझे हंसी आ रही थी जब पंजाब से दुधारू गाय को निकालने की कोशिश की जा रही थी । उन लोगों को दूध और घी मिलना चाहिये जो उस के मुस्तहक हैं । बल्कि आप उन्हें रोक दीजिये कि अगर वह कहीं दुधारू गाय भेज रहे हों तो न भेजें । जो देश के लिये नहीं देते हैं उन को गरम चाय मिलनी चाहिये और दालदा का पराठा मिलना चाहिये । उन को घी दूध का हक हासिल नहीं है । घी दूध का हक उन को हासिल है जो देश के लिये खून देते हैं । इसलिये मेरी दर्ख्वास्त यह है कि किसान, जो ८५ फी सदी हैं, उन की दिक्कतों का खयाल रखा जाय ।

इस सलसिले में मैं कह दूं कि मैं एक छोटा सा किसान हूं, मामूली सा किसान हूं । मैं अपनी आमदनी का ५० फी सदी सरकार को देता हूं वार फंड में, नैशनल डिफेन्स के लिये देता हूं । चाहे वह आमदनी खेती की हो चाहे वह आमदनी हो जो मुझे पार्लियामेंट से थोड़ा बहुत मिल जाता है तन्ख्वाह के रूप में । लेकिन जो लखपति वजीर कांग्रेस के हैं वह अब तक १० फी सदी भी नहीं देते हैं । तो इन चीजों पर गौर किया जाय और किसानों की दिक्कतों को समझा जाय । किसान आज इतनी बुरी हालत में है कि अगर उस के लिये ५० करोड़ रु० न तय किया गया तो न वह अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा और न अपनी खेती का इन्तजाम कर सकेगा ।

पिछले जमाने में, जब कहते हैं कि सामन्तशाही थी, जब कहते थे कि जमींदारी सिस्टम था, उस वक्त हाली और मजदूर को १० फी सदी मिलता था और हम को ६ फी सदी मिलता है । रिहन्द डैम की बिजली जितनी है उस में से ६ फी सदी तो मिलती है आबपाशी के लिये, खेती के लिये । बाकी ९४ फी सदी बिजली जो है वह सब सिनेमाघरों में चली जाती है या ऐयाशियों में चली जाती है । या फिर वह दूसरे लोगों के पास चली जाती है । १० फी सदी जो कि हाली और मजदूरों को हक था उतनी भी हमें नहीं मिलती । अगर मैं ने अश्लीलता का ठेका लिया होता, मैं फाहिशाने गाने और नाच करवाता, कोई सिनेना घर खोलता तो मुझे १० फी सदी बिजली मिल सकती थी । लेकिन किसान को सिर्फ ६ फी सदी बिजली मिलती है ।

मैं बिजली का टैक्स देता हूं १८ नये पैसे, बिड़ला साहब बिजली का टैक्स देते हैं ३ नये पैसे । बिड़ला साहब को जो बिजली मिलती है उस के तो वह ३ नये पैसे दें और खेती के लिये जो बिजली मुझे मिलती है उस के लिये मैं दूं १८ नये पैसे । इस तरह से हमारे साथ सौतेली मां का सलूक किया जाता है । इस चीज को हटाने के लिये सरकार जरूर कोई कदम उठाये । अगर वह एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम सोचेंगे कि हमारे साथ उस की हमदर्दी है । जब हम जवान दे रहे हैं तो हमारे साथ यह चीज क्यों न की जाय ? मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन अपना दुःख आप के सामने न कहूं तो किस के सामने कहूं । मेरा बेटा, मेरा सगा भतीजा था विक्रम सिंह । चीनियों ने कुल्हाड़ी से तीन टुकड़े कर के उसे खत्म किया । जो लोग जवान दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, फौज के लिये पैसा दे रहे हैं, आज उन की सुनवाई नहीं है । इसलिये मेरी दर्ख्वास्त यह है कि इस कारपोरेशन के लिये कम से कम ५० करोड़ रुपये काश्तकार के लिये फ्री फ्राम इंटरेस्ट तय किये जायें

और किसान को मौका दिया जाये अच्छे बीज के लिये, अच्छी आबपाशी के लिये और उस के अच्छे कन्सोलिडेशन के लिये।

यहां बार बार कहा जाता है कि अगर खेती आगे नहीं बढ़ी तो देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। देश का दारोमदार खेती पर है। आपने देख किया उड़ीसा में, बिहार में, हजारों करोड़ रुपये खर्च किये गये इंडस्ट्री और कारखानों पर। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी है तो पंजाब में बढ़ी है, खेती की वजह से बढ़ी है। जब हम ऐग्रिकल्चर को फर्स्ट प्रायरिटी देंगे तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। बगैर ऐग्रिकल्चर के देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए इसमें यह प्राविजन जरूर होना चाहिये अगर किसान कहीं फेल हो जाता है, साल दो साल में वापस नहीं कर सकता है तो उसके हथकड़ियां न पहनाई जायें, उसे जेल में न डाला जाये, उसे मौका दिया जाये कि वह अच्छे बीज से, अच्छी आबपाशी से अपने खेत की तरक्की कर के बाद में पेमेंट कर सके। मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो रुपया रखा जा रहा है वह नाकाफी है। इस मामले में किसी से राय लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक काम में लराय लेने का कोई जरूरत नहीं हुआ करती। यह तो पब्लिक का राज्य है, पब्लिक से पूछा जाये। जैसा श्री देशमुख साहब ने फरमाया और ठीक फरमाया कि इस बिल को अभी पास न किया जाये, बल्कि जनता में घुमाया जाये। जो ८५ फी सदी जनता है उससे पूछा जाये। क्योंकि कानून महज जनता की राय है जिसे कानून का रूप दे दिया जाता है ला उस वक्त बनाया जाता है जब कि पीपल की आवाज देख ली जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि जनता के इस बड़े हिस्से को ज्यादा से ज्यादा इमदाद की जाये ताकि खेती की तरक्की हो सके।

जहां मैंने यह कहा कि डिफेंस के लिये, देश की रक्षा के लिये रुपये की जरूरत है, वहां इस सदन के माननीय सदस्य श्री मुजफ्फर हुसैन की आवाज में आवाज मिलाता हूं, उन्होंने ठीक फरमाया है कि जिन लोगों ने सरकार की नवाजिशों से करोड़ों रुपये कमाये हैं, कानूनन उनकी आमदनी का ५० फी सदी उनसे लिया जाना चाहिये। जब किसान की इमदाद की जायेगी, खेती तरक्की करेगी तभी देश की उन्नति होगी। यह बात कहने में बड़ी अच्छी लगती है कि हम लड़ने के लिये तैयार नहीं थे। लेकिन अगर हमारे खेतों में तरक्की की होती, खेती हमारी उन्नतिशील होती, खेती डेवलप हो जाती, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारी फौज को हरा सकता, क्योंकि खेती पर ही फौज का दारोमदार है।

इन शब्दों के साथ ज्यादा वक्त न लेता हुआ मैं श्री पंजाब राव देशमुख के शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह बिल्कुल सही बात है कि इस बिल को वापस लिया जाये और जनता की राय जानने के लिये भेजा जाय और कम से कम ५० करोड़ रुपया काश्तकारों के लिये फ्री आफ इंटरेस्ट रक्खा जाये।

**श्री सिंहासन सिंह** (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक आज सदन के सम्मुख उपस्थित हुआ है, मुझे कुछ ऐसा लगा कि शायद यह विधेयक काश्तकारों को कृषि के सम्बन्ध में सहायता देने के लिये लाया गया है। लेकिन जब इसके अन्दर मैं गया तो नाम में और भीतर के भाव में भेद पाया। नाम से इसका कोई मेल नहीं था उसके अन्दर का। मैंने इसके आब्जक्ट्स ऐंड रीजन्स को पढ़ा। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि ५ करोड़ रुपया कम है। शायद उन्हें पता नहीं कि यह ५ करोड़ रुपया भी हमको और आपको मिलने वाला नहीं है। यह ५ करोड़ रुपया हमारे नाम से बड़े बड़े लोगों के पाकेट में जाने वाला है। आप इसके आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स को पढ़े तो उसी से मालम होता है कि यह गरीब काश्तकारों के हित के लिये नहीं है। उनके हित के लिये वेअरहाउसिंग

[श्री सिंहासन सिंह]

कारपोरेशन बना । जैसा रिजर्व बैंक रूरल क्रेडिट सोसाइटी की रिपोर्ट में था कि ८५ परसेंट देहातों में रहने वाली जनता के लिये, जो कि देश के धन का आधे से अधिक पैदा करते हैं, सरकार ने कुछ नहीं किया है । सरकार ने इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन बनाया । उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद वेअरहाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन बना जो कि सन् १९५६ और १९६० में रिपील करके वेअर-हाउसिंग कारपोरेशन के रूप में, दो बाडीज के रूप में आया । लेकिन उससे हमको क्या लाभ हुआ । अगर उसहे सही लाभ हो तो काश्तकारों का लाभ हो सकता है । लेकिन जब इसमें देखा कि यह किस उद्देश्य से बनाया गया है रिफाइनेन्स कारपोरेशन तो पाया कि इसकी स्कीम यह है कि कहीं अन्यत्र फाइनेन्स हुआ है तो अब उसको दुबारा फाइनेन्स करना चाहते हैं । हमको तो फाइनेन्स किया नहीं, जिसे पहले फाइनेन्स किया था उसको दुबारा फाइनेन्स कर रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान है । मैं आपका ध्यान आब्जेक्ट्स ऐंड रीजन्स की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसमें लिखा हुआ है :

कि यह ऐसी परियोजनाओं को ऋण सम्बन्धी सहायता देने के लिये है जिनमें या तो काफी बड़ी राशि लगती है अथवा ऋण काफी लम्बे समय के लिये दिया जाता है ।

वेरी लार्ज अमाउंट इन्वाल्व्ड है उसे देने के लिये, या बड़ा पीरियड होता है । और आज जो सोसाइटी है, अपेक्स कोआपरेटिव सोसाइटी, चूंकि वह हमें नहीं दे सकती, उस परपज के लिये है । अभी सरकार की नीति के मुताबिक किसी के पास चालीस एकड़ से अधिक भूमि नहीं रहेगी । तो हमारी बड़ी बड़ी नीड्स तो यों ही कम हो जाएंगी । बड़े बड़े काश्तकारों को जरूरत हो सकती थी कि वे बड़े बड़े फार्म बनायें और उनके लिये मशीनें लावें । अब बड़े काश्तकार रहेंगे ही नहीं तो इन धन की किसके लिये आवश्यकता होगी । किसी के पास चालीस एकड़ से ज्यादा भूमि ही नहीं रहेगी । दो दो तीन तीन एकड़ वाले किसानों को तो वैसे ही यह रुपया नहीं मिल सकता । जो बड़े काश्तकार हैं उनके पास आप ४० एकड़ से अधिक भूमि नहीं रहने देना चाहते । आप ऐसा देश के हित में कर रहे हैं इसलिए मेरा इससे कोई विरोध नहीं है ।

जब यह बिल लाया गया तो मैंने सोचा कि इस एग्रीकल्चर में कौन कौन शामिल होंगे । मुझे मालूम हुआ कि यह रुपया घूम फिर कर शिड्यूल्ड बैंकों के मालिकों के पास जाएगा । वे लोग औरों के नाम पर इस रुपये को भी ले जाएंगे ।

इसमें एग्रीकल्चर को इस तरह डिफाइन किया गया है : कृषि के अधीन पशुपालन, डेरी फार्मिंग, मत्स्य पालन, मुर्गीपालक तथा नस्ल सुधार का कार्य शामिल है । आज जो लोग जहाजों के द्वारा समुद्र में फिशरी कर रहे हैं वे एग्रीकल्चर में शामिल हो जाएंगे और बड़े बड़े धनी लोग आएंगे और कहेंगे कि हमको यह रुपया दिया जाए फिशरी के लिए और उनको यह रुपया मिल जाएगा । जो लोग स्टाक ब्रीडिंग के लिए बड़े बड़ फार्म खोलेंग उनको यह रुपया मिल जाएगा । आपने देखा होगा कि प्लानिंग कमीशन ने यह सिफारिश की है कि लैंड सीलिंग स्टाक ब्रीडिंग फार्म्स पर न लगायी जाए और जो दूसरे ब्रीडिंग फार्म हैं उन पर भी यह सीलिंग लागू न हो । तो मेरा विचार है कि एग्रीकल्चर के नाम पर यह रुपया उधर जाने वाला है ।

यह बड़ा महत्वपूर्ण बिल है पर इसको इतने अल्प समय में हाउस से पास कराने का प्रयत्न किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि इस सदन के साथ न्याय नहीं हो रहा है । उचित तो यह था कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को मंत्राणी जी सिलेक्ट कमेटी को भेजने का प्रस्ताव करतीं और हम अगले सत्र में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर विचार करते । यह इतना लम्बा चौड़ा बिल है और इसको आज दो तीन चार घंट में पास करने को आपके सामने रखा गया है ।

आप देखें कि बिल के अन्दर कम्पनी का शब्द आया है। लेकिन देहात में काश्तकारों की कम्पनियां नहीं बनेंगी। कम्पनियां बनेंगी इन्हीं पोल्ट्री फार्म वालों की, फिशरी वालों की और स्टाक ब्रीडिंग वालों की, और ये कौन लोग होंगे? ये लोग शहर के बड़े बड़े लोग होंगे। खेती के नाम पर इस कारपोरेशन का आफिस बम्बई में बनेंगे और कहीं आफिस नहीं बनेंगे। बम्बई में कौन सी खेती होती है? किस खेती की यह देख रेख करेंगे? बम्बई में फिशरी की खेती होती है, पोल्ट्री की खेती होती है और डेयरी की खेती होती है। इसलिये वहां ही इन आफिसों के हेड क्वार्टर होंगे।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान रिजर्व बैंक की कमेटी की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं। उसने यह सिफारिश की है कि देश के अन्दर जो बैंक हैं उनको अगर एक सूत्र में बांध दिया जाए तो इससे सारे देश का कल्याण हो सकता है। उन्होंने अपनी सिफारिश को बड़े मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है। हमारे देश में ९१ शिड्यूल्ड बैंक हैं इनको एक सूत्र में बांधने की उनकी सिफारिश है। उन्होंने कहा है। यदि किसी प्रक्रिया द्वारा इन बैंकों को समेकित रूप से एक सूत्र में बांधा जा सके और वह संस्था राष्ट्रीय विकास के उद्देश्य से कार्य करे तो बहुत वांछनीय होगा। इसमें नेशनल पालिसी की बात कही गई है। आज हम नेशनल पालिसी की बात करते हुए खेती की उपज बढ़ाने की बात करते हैं। इसके लिये वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बनाया गया ताकि किसान वहां अपनी प्रोड्यूस रखे और उसको वहां से रुपया दिया जाए। इस वेयर हाउसिंग एक्ट की धारा २४ के सब क्लाज डी को आप देखें। अगर आज ये वेयर हाउसिंग कारपोरेशन देहात में फैले होते तो हमको उनसे रुपया मिलता और हम अपना काम करते और इस रिफाइनेन्सिंग कारपोरेशन की जरूरत ही होती। इस सब क्लाज डी में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के फंक्शन दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं : वे केन्द्रीय भांडागार और सहकार के एजेन्ट के रूप में कृषि उत्पादों, खाद तथा उर्वरक इत्यादि की खरीद और वितरण के लिये कार्य करेगा। अगर यह काम देहातों में किया जाता तो हम इन वेयर हाउसेज में अपनी पैदावार जमा कर देते और इनसे हमको फरटीलाइजर आदि मिलता जिससे हम खेती की उपज को बढ़ा सकते थे। लेकिन आज भी वे देहातों में नहीं हैं। सन् १९५६ में आपने एक्ट पास किया और फिर सन् १९६२ में उसको रिपील किया। हम आज देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में वेयर हाउसिंग कारपोरेशन बने हैं। देहातों में उनके दर्शन नहीं हैं। न काश्तकारों को पता है कि उनके हित के लिए वेयर हाउस बने हैं जहां वे अपना गल्ला रख कर ७५ फी सदी रुपया ले सकते हैं और जब भाव ठीक हो उस समय उस गल्ले को बच सकते हैं। अगर उस तरफ ध्यान दिया जाता तो हमारा हित हो सकता था बनिस्वत इस बिल के।

आप देखें कि जो पहले इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन बना, उसके लिए पार्लियामेंट में बड़ा हल्ला मचा था। इसमें इन्डस्ट्री वालों को रुपया देने की योजना थी जिनका देश की आय में केवल १८ प्रतिशत योग है जब कि एग्रीकल्चर का योग ४७ परसेंट है। इस इंस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन के बारे में यह शिकायत की गई कि जो उसके डाइरेक्टर थे उन्होंने ही रुपया ले लिया और उसे अपनी कम्पनियों में लगा दिया। इसके बाद एक कमेटी बनी। उसकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। स्वर्गीय लाला श्रीराम उस कारपोरेशन के प्रसीडेंट थे। उनके खिलाफ एलीगशन लगाये गये थे। स्पेसिफिक एलीगेशन थे। उनके बारे में यह फाइंडिंग कमेटी ने दिया कि उन्होंने कारपोरेशन का ढाई करोड़ रुपया अपने घराने वालों को दे दिया।

तो इस तरह उन्होंने सब रुपया ले लिया। मुझे डर है कि इसमें भी जो डाइरेक्टर बनने वाले हैं वे ही सारा रुपया ले लेंगे।

**एक माननीय सदस्य** : और फिर कौन लेगा।

**श्री सिंहासन सिंह :** मैं आपका ध्यान इसके सेक्शन १८ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि जो डाइरेक्टर किसी तरह इंटरेस्टेड हो वह पार्ट न ले। लेकिन उसको रुपया तो मिल ही जाएगा। वह कह देगा कि हम पार्ट नहीं लेते लेकिन हमको रुपया दे दिया जाए, हम अलग हुए जाते हैं। तो इस तरह उसको रुपया तो मिल जाएगा। तो इस सेक्शन के रहते हुए भी जो रुपया है वह इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की तरह उस तरफ चला जाएगा।

इसके अलावा अगर सेक्शन १८ की पाबन्दी न भी हो तो कोई दोष नहीं है क्योंकि इसमें दफा २१ है। इसके अनुसार यदि कोई डाइरेक्टर कानून के खिलाफ भी रुपया ले ले तो उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती और वह पीनल क्लाज से निकल जाता है। ऐसा डिफेक्टिव यह कानून है। हम देखते हैं कि अन्त में डाइरेक्टर है, मध्य में डाइरेक्टर है और आदि में डाइरेक्टर है। वही दिखायी देता है।

जैसा कि देशमुख साहब ने कहा यह पांच करोड़ रुपया १५ बरस के लिए गवर्नमेंट फ्री आफ इंटरेस्ट इस कारपोरेशन को दे रही है। १५ बरस बाद सूद लगाया जाएगा। इसका लाभ किधर जाएगा इसका पता नहीं।

इसमें ९ डाइरेक्टर होंगे। पहले उनको गवर्नमेंट नामिनेट करेगी। और उन में से तीन सरकारी अधिकारी होंगे। एक रिजर्व बैंक के मनोनीत अधिकारी होंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें सरकारी अधिकारी क्यों डाइरेक्टर बनाए जा रहे हैं। यह एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कारपोरेशन है। तो इसके शेयरहोल्डर्स में से डाइरेक्टर होने चाहिए। ये तीन सरकारी अधिकारी क्यों रखे जाते हैं।

फिर सब कमेटी बनेगी। इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन की भी एक सब कमेटी बनी थी। एनक्वारी कमेटी ने उस सब कमेटी के बारे में कहा था कि इसको तोड़ दो क्योंकि जितना रुपया बांटा गया है वह सब इस सब-कमेटी ने बांट लिया है, बोर्ड को पता भी नहीं चला। यहां भी सब कमेटी बनती है। मेरा ख़याल है कि सब कमेटी मत बनाइये। जब ९ का ही भला बुरा बोर्ड बनने वाला है, छोटी कमेटी खुद ही है तो फिर उसके अन्दर बाहर और भीतर से कई सब कमेटियां बनाना महज़ उस खर्चे को और अधिक बढ़ाना है और उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरा आपके द्वारा गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस पर विचार करे और देखें कि किस हद तक यह विधेयक हम काश्तकारों के हित में जाता है। अगर यह काश्तकारों के हित में नहीं जा रहा है और अगर इससे किसानों को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है तो मेरा आग्रह है कि यह हम काश्तकारों के नाम पर औरों को रुपया न बांटा जाय। काफी रुपया आपने गैर लोगों को दे दिया है। जितने भी बड़े बड़े कल, कारखाने खड़े हैं यह सब गवर्नमेंट के रुपये से खड़े हैं और वह आज भी रुपया ले रहे हैं। बड़े बड़े आलीशान मकानात भी गवर्नमेंट के रुपये से बने हैं, यहीं लिंक भवन गवर्नमेंट के रुपये से बना है और गवर्नमेंट खुद अपने दफ्तर के लिये उसका किराया देती है। खुद अपने रुपये से बनवा कर उसका किराया देना यह उचित ढंग नहीं है। मैं मंत्राणी महोदया से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर पुनर्विचार करें। आखिर हम लोग उन्हीं के दल के आदमी हैं। हम फ़ील करते हैं। हम गृहस्थ हैं, काश्तकार हैं और खेती करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम काश्तकारों के नाम पर और उनका फायदा करने के लिए कोई बिल बने, कृषि की तरक्की के लिए कोई बिल बने तो वाकई वह कृषि की तरक्की करने वाला हो और उसका उपयोग खेती बाड़ी की तरक्की में किया जाये। ऐसा न हो कि हमारे नाम से जो उसके डाइरेक्टर्स और आर्गेनाइजर्स बनें वह रुपया जायें।

मेरा सब से बड़ा विरोध इसमें शिड्यूल्ड बैंक्स को लाने का है। जितने भी शिड्यूल्ड बैंक्स हैं वे कृषि का कोई काम नहीं करते हैं, कृषि के लिए कोई रुपया नहीं देते हैं। वह हमारे शेयरहोल्डर्स

होंगे १००० शेयर्स तक और शेयरहोल्डर्स के बाद वह एलिजिबिल भी हैं। उनके पास रुपया है मगर वह रुपया पाने के भी मुस्तहक़ हैं। वह किस लिए रुपया लेंगे ? शैड्यूल्ड बैंक वाले किस लिये रुपया लेंगे ? यह कौन सी एग्रीकल्चर करते हैं, कौन सी खेती करते हैं ? यह जो शैड्यूल्ड बैंक वालों को एलिजिबिल रक्खा गया है उस के लिए मेरा विरोध है। मैं आपके द्वारा पुनः सरकार से अनुरोध करूंगा कि यह बिल ऐसा है जिस पर पूरी तरह से विचार होना चाहिए और इस सदन को इतनी जल्दी २, ३ घंटे के अन्दर ऐसे आम विषय पर पास करने के लिए मजबूर न करें।

†**श्री वेंकटासुब्बया** (अडोनी) : विधेयक से मुझे यह आशा बंधी थी कि सरकार लाखों व्यक्तियों की सहायतार्थ कुछ कर रही है। तथापि इस विधेयक से मुझे केवल निराशा ही हुई है। इस विधेयक से केवल यही किया जा रहा है कि भारत रक्षित बैंक के कृषि ऋण शाखा को पृथक कर उसे निगम का रूप दिया जा रहा है। यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी बहुसंख्या जनता खेती पर ही निर्वाह करती है। तथापि इस विधेयक के द्वारा भी यह आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि कृषि कार्यों के लिये उचित ऋण दिया जायेगा।

वस्तुतः इस कार्य के लिये सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिये था जिससे कि हमारी जनता को सस्ती और आसान किस्तों पर ऋण सुलभ हो सके। मेरा सुझाव है कि इस विधेयक को पारित करने में शीघ्रता न की जाये अपितु इस पर चर्चा फिलहाल स्थगित रखी जाये तथा किसानों की ऋण सम्बन्धी समस्या को हल करने के उद्देश्य से एक अधिक प्रभावशाली और व्यापक विधान बनाने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये।

यह स्मरण रखना चाहिये कि किसान लोग कई सिंचाई परियोजनाओं में अपना योगदान देने को बहुत इच्छुक हैं। वे उन परियोजनाओं में भरसक प्रयत्न करना चाहते हैं जिससे उनकी भूमि अधिक उपजाऊ बने तथापि सरकार परियोजना के पूरा होते ही उन पर कर लगा देती है। फल यह होता है कि गरीब जनता उससे लाभ नहीं उठा पाती है। सरकार को ऐसी सुविधायें प्रदान करनी चाहिये कि किसान इन परियोजनाओं में सक्रिय योगदान देवें।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

**इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, २३ जनवरी, १९६३ / ३ माघ, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थापित हुई।**

---

†मूल अंग्रेजी में

# दैनिक संक्षेपिका

**मंगलवार, २२ जनवरी, १९६२**

---

**२ माघ, १८८४ (शक)**


| विषय | | पृष्ठ |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर** | | १३१—५३ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ४०० | पंचायती राज संस्थायें . . . . | १३१—३३ |
| ४०१ | सहकारी समितियों द्वारा अन्तर्राज्यीय व्यापार . . | १३३—३५ |
| ४०२ | पाकिस्तानी नाविकों और संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के बीच समझौता . . | १३५—३८ |
| ४०३ | रेलों में तोड़ फोड़ के मामले . . . . | १३८—४० |
| ४०४ | आसाम में सड़कें और पुल . . . | १४०–४१ |
| ४०५ | गेहूं, चावल तथा चीनी के लिये पण्य बोर्ड . . . | १४१—४३ |
| ४०६ | रेलवे वर्कशापों में चोरियां . | १४३–४४ |
| ४०७ | भारतीय मीन क्षेत्र निगम . . | १४४—४६ |
| ४०८ | दुधारू गायों का निर्यात . . | १४६–४७ |
| ४०९ | कृषि उत्पादन . | १४७—४९ |
| ४११ | रेल दुर्घटना की जांच . . . | १४९—५२ |
| ४१२ | कृषि उत्पादन बढ़ाने के उपाय . . . | १५२–५३ |
| **अल्प सूचना प्रश्न संख्या** | | |
| १६ | गोहाटी से सिलीगुड़ी तक पाइपलाइन . . | १५४–५५ |
| १७ | नेताजी के जन्म दिवस पर आकाशवाणी द्वारा विशेष कार्यक्रम . | १५५—५७ |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर** | | १५७ |
| **तारांकित प्रश्न संख्या** | | |
| ४१० | मैलानी और शाहजहांपुर के बीच रेलवे लाइन . . | १५७ |
| ४१३ | आसाम को वस्तुओं का परिवहन . | १५७–५८ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४१४ अदालती पंचायत . . . . . १५८
४१५ खाद्यान्न के मूल्य . . . . १५८–५९
४१६ कम्पनियों के लिये भूमि अर्जन . . . . १५९
४१७ उर्वरक . . . . १५९–६०
४१८ पराद्वीप पत्तन . . . . . १६१
४१९ ग्राम स्वयंसेवक दल . . . . . १६१–६२
४२० डेनमार्क की सहायता से डेरी फार्म . . १६२
४२१ कीटाणुओं सम्बन्धी अनुसंधान . . . १६२
४२२ पाकिस्तान से रेलवे सम्पर्क . . . १६३
४२३ नौवहन टनभार . . . . १६३
४२४ किसानों को रोजगार . . १६३–६४
४२५ बर्मा से चावल का आयात . . . १६४
४२६ डाउन एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना . . . १६४
४२७ सड़क परिवहन . . . . . १६५
४२८ रोज़ा–हापुड़ रेलवे लाइन . . . १६६
४२९ अलभ्य जड़ी बूटियों का विदोहन . . . १६६

तारांकित
प्रश्न संख्या

९२२ उपभोक्ता सहकारी स्टोर . . . . १६६–६७
९२३ सहकारी समितियों को चलाने के लिए कर्मचारी . . १६७
९२४ धान का प्रति एकड़ उत्पादन . . . १६७–६८
९२५ चावल का उत्पादन . . . . १६८–६९
९२६ स्कूटर रिक्शा के लिए टैक्सी की तरह के मीटर . . १६९
९२७ गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास . . १६९–७०
९२८ गोदामों का निर्माण . . . १७०
९२९ उर्वरक के मूल्य . . . १७१
९३० रेलवे में गत्यावरोध . . . १७१
९३१ एयर इंडिया बोइंग ७०७ की दुर्घटना . . . १७१
९३२ मंगलौर प्रकाश स्तम्भ . . १७२
९३३ नई दिल्ली में राष्ट्रीय गुलाब उद्यान . . . १७२

| | विषय | पृष्ठ |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी) | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | | |
| ६३४ | मुजफ्फरनगर में रेलवे की इमारत | १७२—७३ |
| ६३५ | पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय | १७३ |
| ६३६ | पालिया कलां में चीनी का कारखाना | १७३–७४ |
| ६३७ | पासिया कलां रेलवे स्टेशन की सड़क | १७४ |
| ६३८ | कालीकट में लोको शेड | १७४–७५ |
| ६३९ | सड़कों का निर्माण | १७५ |
| ६४० | खुर्दा डिविजन में तांबे के तारों की चोरी | १७५–७६ |
| ६४१ | खाद्य उत्पादन के लक्ष्य | १७६ |
| ६४२ | गोदाम सुविधायें | १७६–७७ |
| ६४३ | मथुरा छावनी स्टेशन पर पीने का पानी | १७७ |
| ६४४ | चावल का मूल्य | १७७ |
| ६४५ | खाद्य उत्पादन | १७७–७८ |
| ६४६ | उत्तर प्रदेश में भूमि को खेती योग्य बनाना | १७८ |
| ६४७ | दिल्ली की रिंग रोड पर दुर्घटनायें | १७८–७९ |
| ६४८ | गन्ना मूल्य सम्बन्धन सूत्र | १७९ |
| ६४९ | वन सर्वेक्षण | १७९–८० |
| ६५० | केरल में मीन क्षेत्रों का विकास | १८०–८१ |
| ६५१ | केरल में छोटे बन्दरगाह | १८१ |
| ६५२ | राष्ट्रीय राजपथ | १८१ |
| ६५३ | राष्ट्रीय राजपथ | १८१–८२ |
| ६५४ | खाद्यान्न ले जाने के लिए वैगन | १८२ |
| ६५५ | विमान परिवहन | १८२–८३ |
| ६५६ | वेस्ट जर्मन लुफटहंस एयरलाइन्स | १८३ |
| ६५७ | मूंगफली का मूल्य | १८४ |
| ६५८ | जीपों का प्रतिरक्षा मंत्रालय को सौंपा जाना | १८४ |
| ६५९ | तेजपुर के रेलवे कर्मचारियों को अग्रिम वेतन दिया जाना | १८४–८५ |
| ६६० | पश्चिम रेलवे में माल का बुकिंग | १८५ |
| ६६१ | रायगढ़ की गल्ले की फर्मों द्वारा चावल का निर्यात | १८५ |

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या


| | | |
|---|---|---|
| ९६२ | मद्रास के रेलवे सुरक्षा बल द्वारा गोली चलाना | १८६ |
| ९६३ | माल गाड़ी का लाइन से उतर आना | १८६ |
| ९६४ | कृषि उत्पादन . . | १८६–८७ |
| ९६५ | दामोदर घाटी नहर में माल यातायात सेवा . . | १८७ |
| ९६६ | कोलम्बो योजना के अधीन अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण | १८७–८८ |
| ९६७ | हिन्दुस्तान शिपयार्ड के लिए तैरती गोदी . | १८८ |
| ९६८ | पश्चिम तटीय सड़क . | १८८–८९ |
| ९६९ | विशाखापट्टनम् में सूखी गोदी . . | १८९ |
| ९७० | भद्राचलम में गोदावरी नदी पर पुल . | १८९–९० |
| ९७१ | रेल की पटरी को दुहरा करना . . | १९० |
| ९७२ | रेलवे के लिए वित्तीय आयुक्त . . . | १९१ |
| ९७३ | लाख तथा उस से बनी वस्तुओं का निर्यात . | १९१ |
| ९७४ | झिलमिला तिहाड़ दिल्ली में रेलवे बुकिंग एजेन्सी . | १९१–९२ |
| ९७५ | रेलव दुर्घटना जांच समिति . . . | १९२ |
| ९७६ | क्लर्कों और डाकियों के लिये विभागीय परीक्षा . . | १९३ |
| ९७७ | भारत तिब्बत सीमा पर कृषि फार्म . | १९३ |
| ९७८ | भारतीय मालवाही जहाज़ में आग लगना . . . | १९३–९४ |
| ९७९ | नेफ़ा से चीनी आक्रमणकारियों द्वारा डाक तार विभाग के उपकरणों का हटाया जाना . | १९४ |
| ९८० | पिपरिया के निकट हवाई अड्डा . | १९४ |
| ९८१ | बरमहान में नर्मदा के ऊपर पुल | १९४–९५ |
| ९८२ | भारतीय लकड़ी की विदेशों में मांग . | १९५ |
| ९८३ | बल्लभगढ़ के उद्योगों के लिए लूप लाइन . . . | १९५–९६ |
| ९८४ | बडबील से परदीप पत्तन तक रेलवे लाइन . | १९६ |
| ९८५ | पहाड़ी क्षेत्रों में डाकियों तथा पैकरों के लिए वर्दियां . | १९६–९७ |
| ९८६ | सामुदायिक विकास पर व्यय . . | १९७ |
| ९८७ | स्यालदा सैक्शन पर विद्युत चलित रेल गाड़ियां . . | १९७–९८ |
| ९८८ | सुपारी का मूल्य . . . | १९८ |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी) | |
| तारांकित प्रश्न संख्या | |
| ६८६ रेलवे दुर्घटनायें | १६६ |
| ६६० नौवहन उद्योग में विदेशी सहभागिता | १६६ |
| ६६१ माल उतारने के घंटे | १६६ |
| ६६२ शराब का आयात | २०० |
| ६६३ दिल्ली में टेलीफोन के कनेक्शन सम्बन्ध | २०० |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | २०१—०४ |
| (१) भारत प्रतिरक्षा अधिनियम, १६६२ की धारा ४१ के अन्तर्गत, दिनांक १० जनवरी, १६६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८६ में प्रकाशित भारत प्रतिरक्षा (संशोधन) नियम, १६६३ की एक प्रति । | |
| (२) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत, दिनांक ८ दिसम्बर, १६६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७६ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (तेरहवां संशोधन) नियम, १६६२ की एक प्रति । | |
| (३) मंत्रियों द्वारा विभिन्न अधिवेशनों में, जो प्रत्येक के सामने बताये गये हैं, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरण :— | |
| (एक) अनुपूरक विवरण संख्या १ — तीसरा सत्र १६६२–६३ (तीसरी लोक-सभा) | |
| (दो) अनुपूरक विवरण संख्या ३ — दूसरा सत्र, १६६२ (तीसरी लोक-सभा) | |
| (तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — पहला सत्र, १६६२ (तीसरी लोक-सभा) | |
| (चार) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — सोलहवां सत्र, १६६२ (दूसरी लोक-सभा) | |
| (पांच) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — पन्द्रहवां सत्र, १६६२ (दूसरी लोक-सभा) | |
| (छै) अनुपूरक विवरण संख्या ६ — चौदहवां सत्र, १६६१ (दूसरी लोक-सभा) | |
| (सात) अनुपूरक विवरण संख्या १७ — तेरहवां सत्र, १६६१ (दूसरी लोक-सभा) | |

**सभा पटल पर रखे गये**

**पत्र**—(जारी)

(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या १४ बारहवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या १७ ग्यारहवां सत्र, १९६० (दूसरी लोक-सभा)

(४) मोटर गाड़ी अधिनियम, १९३६ की धारा १३३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिल्ली मोटर गाड़ी नियम, १९४०. में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २० सितम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/६८/६१—टी आर ।

(दो) दिनांक १ नवम्बर, १९६२ के दिल्ली गजट में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ १२/९०/६२—पी आर (टी) ।

(५) राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, १९५६ की धारा १० के अधीन बड़े-बड़े कस्बों और शहरों के अन्दर पड़ने वाले राष्ट्रीय राजपथों को मिलाने वाली छोटी-छोटी सड़कों के विकास और मरम्मत के लिए भारत के राष्ट्रपति और उड़ीसा के राज्यपाल के बीच हुए समझौते की प्रति ।

(६) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ३ के अधीन निकाली गई दिनांक २९ दिसंबर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७९९ ।

(दो) कृषि उत्पाद (विकास और भाण्डागार) निगम अधिनियम, १९५६ की धारा ४१ की उप-धारा (४) और धारा १५ की उप-धारा (३) के अधीन वर्ष १९६१—६२ के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास और भाण्डागार बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट तथा बोर्ड के लेखे की वार्षिक समेकित विवरण तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित ।

(७) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६२० में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) आठवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३७४८ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) नवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

**सभा पटल पर रखे गये**

पत्र—(जारी)

(तीन) दिनांक २४ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३८५९ में प्रकाशित उर्वरक (नियंत्रण) दसवां संशोधन आदेश, १९६२ ।

(८) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८५ में प्रकाशित चावल और धान (आसाम) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १७६३, जिस में दिनांक ३० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १६३५ का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है ।

(तीन) दिनांक २७ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १८१२ में प्रकाशित उत्तर प्रदेश धान और चावल (लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, १९६२ ।

(चार) दिनांक ५ जनवरी, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४ में प्रकाशित चावल (उत्तर प्रदेश) दूसरा मूल्य नियंत्रण (संशोधन) आदेश, १९६३ ।

(पांच) दिनांक १८ जनवरी, १९६३ की जी० एस० आर० संख्या १२५ ।

(९) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४—क के अन्तर्गत दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६७४ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६२, एक व्याख्यात्मक टिप्पण सहित ।

(दो) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा ४४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३९०१ में प्रकाशित विमान निगम (संशोधन) नियम, १९६२ ।

(तीन) विमान निगम अधिनियम, १९५३ की धारा १५ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत एयर इंडिया इंटरनेशनल कारपोरेशन के वर्ष १९६०—६१ के वार्षिक लेखे और उन पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट ।

**लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित** २०४

पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**प्राक्कलन समिति का प्रतिबन्ध प्रतिवेदन उपस्थापित** २०४

पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

**कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत** २०५

ग्यारहवां प्रतिवेदन स्वीत किया गया ।

**विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत :** २०६—३२

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) ने प्रस्ताव किया कि संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक को उसी संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसे संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक सौंपा गया था ।

श्री हरि विष्णु कामत ने एक स्थानापन्न प्रस्ताव तथा एक संशोधन प्रस्तुत किया। श्री अ० कु० सेन ने चर्चा का उत्तर दिया ।

श्री कामत द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

**विधेयक—विचाराधीन** २३२—४१

२१ जनवरी, १९६३ को पुरस्थापित किये गये कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

**बुधवार, २३ जनवरी, १९६३/३ माघ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि :**

१० से १२ दिसम्बर, १९६२ को कोलम्बो में हुए छः तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्तावों पर, जो २१ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार ।

---

GMGIPND—LSIII—2563(AI) LSD—12-2-63—140.

श्री भू० ना० मण्डल २२३—२५
श्री प्रकाशवीर शास्त्री २२५–२७
श्री खाडिलकर २२७
श्री यशपाल सिंह २२७—३२
**कृषि पुनर्वित्त निगम विधेयक—** २३२—२४१
विचार करने का प्रस्ताव
श्री हिम्मतसिंहका २३२
डा० पं० शा० देशमुख २३२–३३
श्री प्रभात कार २३४
श्री यशपाल सिंह २३४—३७
श्री सिंहासन सिंह २३७—४१
श्री वेंकटासुबैयया : २४१
**दैनिक संक्षेपिका** २४२—४९

PLS. 41. XII. 28. 63.
140

© १९६३ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।